सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में गठित तकनीकी समूह की रिपोर्ट

अध्यक्ष की कलम से

मुझे “सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में गठित तकनीकी समूह की रिपोर्ट” प्रस्तुत करते हुए काफी खुशी हो रही है ।

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के बारे में पहली बार सोचा जा रहा है । सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में गठित कार्य-दल द्वारा 1 जून, 2020 को जारी की गई रिपोर्ट में माननीय वित्त मंत्री महोदया की सोच को आकार प्रदान किया गया है । कार्य-दल (वर्किंग ग्रुप) की रिपोर्ट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबध में उच्च स्तरीय सिफारिशें की गई हैं, जिनमें शामिल है - 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठनों' (एनपीओ) और 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने उद्यमों' (एफपीई) को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लाना, बशर्ते कि वे रिपोर्टिंग के संबंध में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करें । कार्य-दल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का खाका कैसा हो, ताकि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जिसके जरिए पैसा जुटाया जा सके । इसके अलावा, इस रिपोर्ट में वे प्रक्रियाएँ भी बताई गई हैं जिनके जरिए इस बात का पता चल पाए और इस बात की रिपोर्टिंग भी हो पाए कि एनपीओ और एफपीई से समाज को कितना फायदा पहुँचा ।

कार्य-दल द्वारा जो उच्च स्तरीय सिफारिशें की गई थीं, उन्हें इस रिपोर्ट में और विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है । इस रिपोर्ट में जो व्यापक ढाँचा निर्धारित किया गया है, उससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की दिशा में एक मजबूत और पर्याप्त ढाँचा तैयार करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी ।

कार्य-दल की रिपोर्ट के अनुक्रम में, इस तकनीकी समूह ने विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया, जैसे कि समाज को फायदा पहुँचाने वाले कौन-कौन से सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइस) सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगे और वे इस प्लेटफॉर्म पर कैसे आएंगे, और उन्हें क्या-क्या घोषणा (डिस्क्लोज़र) करननी होंगी। तकनीकी समूह ने पूरी व्यवस्था (खासकर सोशल ऑडिटर से संबंधित) विकसित करने से जुड़े पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की । तकनीकी समूह ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज

का दायरा फैलाने के लिए एक फंड (कैपेसिटी बिल्डिंग फंड) बनाए जाने के संबंध में भी कुछ सिफारिशें की हैं, जिनमें यह भी बताया गया है कि एनजीओ एसएसई के जरिए पैसा कैसे जुटा पाएंगे । भारत में सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) द्वारा पैसा जुटाने की जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके लिए सोशल ऑडिटर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड नए होंगे, और जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए मददगार होंगे । ये सिफारिशें कार्य-दल द्वारा की गई उच्च स्तरीय सिफारिशों की पूरक हैं ।

इस तकनीकी समूह का अध्यक्ष होने के नाते, मैं इस तकनीकी समूह के सदस्यों और सेबी के अधिकारियों के सराहनीय योगदान के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इसके लिए अपना कीमती समय निकाला और अथक प्रयास किए ।

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
अध्यक्ष
सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में गठित तकनीकी समूह

आभार

यह तकनीकी समूह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है, जिन्होंने इसका गठन किया और मार्गदर्शन किया । साथ ही, यह तकनीकी समूह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य श्री एस.के. मोहान्ती के प्रति भी आभार प्रकट करता है ।

यह तकनीकी समूह इस रिपोर्ट का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने वाले दल: श्री वरद पांडे (ओमिड्यार नेटवर्क इंडिया), श्री राहिल राय (ओमिड्यार नेटवर्क इंडिया), श्री आविष्कार नाईक (एनएसई), सुश्री रचना भुसारी (एनएसई) और सेबी के अधिकारियों - श्रीमती योगिता जाधव, महाप्रबंधक; श्री अभिषेक रोज़ात्कर, सहायक महाप्रबंधक और श्री राजेश कुमार मीणा, प्रबंधक का भी धन्यवाद करता है ।

यह तकनीकी समूह, उप-समूहों (सब-ग्रुप) के संयोजक श्री हेमंत गुप्ता, श्री संतोष जयराम और डॉ. संजीव सिंघल के विशेष योगदान के प्रति भी आभार प्रकट करता है, जिन्होंने इस रिपोर्ट का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने में और सिफारिशों को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई ।

विषय-सूची

1 परिचय 7

1.1 तकनीकी समूह का गठन 7

1.2 विचारार्थ विषय 8

1.3 अपनाई गई प्रक्रिया 8

1.4 मुख्य-मुख्य सिफारिशें 10

2 पात्रता संबंधी मानदंड एवं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आना 17

2.1 इस बात की पुष्टि की कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे हैं 17

2.2 सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पात्रता संबंधी मुख्य मानदंड 22

2.3 सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु मुख्य दिशानिर्देश 26

2.4 सोशल वेंचर फंड के स्वरूप में परिवर्तन 41

3 अनुकूल व्यवस्था 42

3.1 व्यवस्था पहले से करना जरूरी 42

3.2 सोशल स्टॉक एक्सचेंज का दायरा फैलाने के लिए एक फंड (कैपेसिटी बिल्डिंग फंड / सीबीएफ) 42

3.3 सोशल ऑडिटर और इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरी 46

4 घोषणा (डिस्क्लोज़र) और रिपोर्टिंग 54

4.1 मानकीकरण 54

4.2 सामान्य जानकारी, संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया जा रहा है उसकी जानकारी और वित्तीय स्थिति की जानकारी देने के संबंध में घोषणा (डिस्क्लोज़र) 55

4.3 समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी रिपोर्टिंग 58

संलग्नक-1: सामाजिक उड़ेश्यों के लिए क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का वर्गिकरण 61

संलग्नक-2: विकास प्रभाव बॉन्ड और सामाजिक स्टॉक एक्स्चेंज 69

संलग्नक-3 पेशकश दस्तावेज़ की रूपरेखा 72

संलग्नक-4: एस ए द्वारा प्रभाव की रेपोर्टिंग की सुनिशिचितता का ड्राफ्ट मानक 89

संलग्नक-5: एस ए के लिए ड्राफ्ट नियम 109

संलग्नक-6: सीए फर्म/एलएलपी के पैनल की सी एंड एजी पॉलिसी और लेखा परीक्षकों का चयन 121

संलग्नक-7: सूचीबद्ध/पंजीकृत एनपीओ के लिए वार्षिक घोषणा 124

संलग्नक-8: समान्य प्रशासन पर सूचीबद्ध/पंजीकृत एनपीओ के लिए दिशानिर्देश और वित्तीय घोषणाएँ 126

संलग्नक-9: प्रभाव रेपोर्टिंग पर सभी एसई के लिए मार्गदर्शन नोट 131

संलग्नक-10: चुने हुए क्षेत्रों में सामाजिक कार्यप्रदर्शन के नमूना संकेतक 135

1 परिचय

1.1 तकनीकी समूह का गठन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डॉ. हर्ष कुमार भानवाला (नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष) की अध्यक्षता में 21 सितम्बर, 2020 को एक तकनीकी समूह का गठन किया । इस तकनीकी समूह के अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:

i. *श्री वेद आर्य, संस्थापक, सृजन और आरसीआरसी*
ii. *डॉ. आर. बालासुब्रमणियम, संस्थापक एवं चेयरमैन, ग्रासरूट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट (जीआरएएएम)*
iii. *श्री मैथ्यू चेरियन, ग्लोबल ऐम्बैस्डर और पूर्व चीफ एग्ज़िक्यूटिव, हेल्पएज इंडिया*
iv. *श्री मुकुंद चितले, प्रेज़िडेंट, लोक मान्य सेवा संघ (सेबी से रजिस्ट्रीकृत निवेशक संघ)*
v. *श्री विक्रम गाँधी, संकाय सदस्य, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल; संस्थापक, आशा इम्पैक्ट*
vi. *श्री हेमंत गुप्ता (बीएसई के प्रतिनिधि)*
vii. *श्री संतोष जयराम, पार्टनर एवं हेड - सस्टेनबिलिटी एंड सीएसआर एडवाइज़री, केपीएमजी*
viii. *श्री शाजी कृष्णन वी., उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड*
ix. *सुश्री रूपा कुडवा, एमडी, ओमिड्यार नेटवर्क इंडिया;*
x. *डॉ. संजीव सिंघल, चेयरमैन, सस्टेनबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड, आईसीएआई*
xi. *सुश्री पुष्पा अमन सिंह, सीईओ, गाइडस्टार इंडिया*
xii. *सुश्री इंग्रिड श्रीनाथ, संस्थापक निदेशक, सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैन्थ्रॉपी, अशोका यूनिवर्सिटी*
xiii. *सुश्री प्रिया सुब्बारमन (एनएसई की प्रतिनिधि)*
xiv. *श्री प्रसन्ना तांत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईएसबी*
xv. *श्री अमरजीत सिंह, कार्यपालक निदेशक, सेबी*
xvi. *श्री जीवन सोनपरोटे, मुख्य महाप्रबंधक, सेबी; संयोजक*

1.2 विचारार्थ विषय

मोटे तौर पर तकनीकी समूह के विचारार्थ विषय थे - सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में गठित कार्य-दल द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में, निम्नलिखित विषयों के संबंध में समीक्षा करना और सिफारिशें देना:

i. लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठनों (एनपीओ) और लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यमों (एफपीई) को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लाने तथा उन्हें विनियमित (रेग्यूलेट) करने संबंधी ढाँचा, जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यमों (फॉर-प्रॉफिट सोशल इन्वेस्टिंग / एनटरप्राइज़) को परिभाषित करना भी शामिल है ।

ii. सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने वाले एनपीओ और एफपीई के लिए रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) के संबंध में एक जैसी अपेक्षाएँ निर्धारित करना, और साथ ही वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग, संचालन (गवर्नेंस) की रिपोर्टिंग तथा समाज को कितना / क्या-क्या फायदा पहुँचा (सोशल इम्पेक्ट कितना रहा) उसकी रिपोर्टिंग के संबंध में भी मानदंड तय करना ।

iii. सोशल ऑडिटर, अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) [जैसे इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरीज़] और उनके एसआरओ के कार्य का दायरा, पात्रता मानदंड और उनका विनियमन (रेग्यूलेशन) ।

iv. सोशल ऑडिटर को बढ़ावा देना ।

1.3 अपनाई गई प्रक्रिया

तकनीकी समूह ने विचारार्थ विषयों के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए तीन छोटे-छोटे उप-समूह (सब-ग्रुप) बनाए, ताकि इस समूह के सदस्यों के ज्ञान और अनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके और निर्धारित विषयों पर गहन विचार-विमर्श हो सके । साथ ही, तकनीकी समूह के सभी सदस्यों की बैठकें नियमित अंतरालों पर होती रहीं, ताकि कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके और प्रत्येक उप-समूह को जरूरी सुझाव आदि दिए जा सकें । प्रत्येक उप-समूह को सौंपे गए कार्यों के ब्यौरे इस

प्रकार हैं:

उप-समूह 1: इस उप-समूह के संयोजक की भूमिका श्री हेमंत गुप्ता ने निभाई । इस उप-समूह ने जिन विषयों पर कार्य किए वे हैं : सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) की परिभाषा तय करना, सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लाने संबंधी ढाँचा और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का ढाँचा निर्धारित करना । इस उप-समूह की नौ बैठकें हुईं । इस उप-समूह के अन्य सदस्य हैं - डॉ. हर्ष कुमार भानवाला, श्री वेद आर्य, डॉ. आर. बालासुब्रमणियम, श्री मैथ्यू चेरियन, श्री शाजी कृष्णन, सुश्री रूपा कुडवा, सुश्री पुष्पा अमन सिंह और सुश्री प्रिया सुब्बारमन ।

उप-समूह 2: इस उप-समूह के संयोजक की भूमिका श्री संतोष जयराम ने निभाई । इस उप-समूह ने जिन विषयों पर कार्य किए वे हैं : सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) को शुरुआत में और समय-समय पर क्या-क्या प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करने होंगे । इस उप-समूह ने इन विषयों पर भी कार्य किए - सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का वर्गीकरण और कुछ क्षेत्रों (सेक्टर्स) के लिए प्रकटीकरण मानदंड तय करना । इस उप-समूह की पाँच बैठकें हुईं । इस उप-समूह के अन्य सदस्य हैं - डॉ. हर्ष कुमार भानवाला, श्री वेद आर्य, डॉ. आर. बालासुब्रमणियम, श्री मुकुंद चितले, श्री शाजी कृष्णन, सुश्री रूपा कुडवा, श्री हेमंत गुप्ता, सुश्री पुष्पा अमन सिंह, डॉ. संजीव सिंघल, सुश्री इंग्रिड श्रीनाथ और डॉ. प्रसन्ना तांत्री ।

उप-समूह 3: इस उप-समूह के संयोजक की भूमिका डॉ. संजीव सिंघल ने निभाई । इस उप-समूह ने जिन विषयों पर कार्य किए वे हैं : सोशल ऑडिटर और इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरी का दायरा और उनकी पात्रता, और सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) को वित्तीय विवरणों के क्या-क्या प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करने होंगे । इस उप-समूह की तीन बैठकें हुईं । इस उप-समूह के अन्य सदस्य हैं - डॉ. हर्ष कुमार भानवाला, श्री मैथ्यू चेरियन, श्री मुकुंद चितले, श्री संतोष जयराम, श्री शाजी कृष्णन, सुश्री पुष्पा अमन सिंह और सुश्री प्रिया सुब्बारमन । इस उप-समूह को बाहरी विशेषज्ञों श्री संजय गुप्ता (सीएमए), श्री दुर्गेश काबरा (सीए), श्री एम.पी. विजय कुमार (सीए) और सुश्री केमिशा

सोनी (सीए) का भी सहयोग मिला ।

इस तकनीकी समूह की दस बैठकें हुईं । इस तकनीकी समूह ने विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ भी विचार-विमर्श किए, ताकि जिन विभिन्न लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) [जिनमें डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड भी शामिल हैं] के जरिए पैसा जुटाया जाता है उनकी बारीकियों को समझा जा सके, और साथ ही यह भी समझा जा सके कि प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करने में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही यह भी जाना जा सके कि फिलहाल क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है । तकनीकी समूह को हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने से काफी फायदा मिला ।

1.4 मुख्य-मुख्य सिफारिशें

तकनीकी समूह की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

क. सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने के संबंध में सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़ / एसई) की पात्रता संबंधी अपेक्षा और इस बात की पुष्टि कि कार्यों से समाज को फायदा पहुँच रहा है [पैरा 2.1 (क), (ख) एवं (ग)]: सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइज़) [लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम (एफपीई) और लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन (एनपीओ)] को यह जाहिर करना होगा कि उसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण के इरादे से कार्य करने का तथा समाज को फायदा पहुँचाने का है और जो उसके द्वारा सुविधाओं से वंचित लोगों या इलाकों के कल्याण के उद्देश्यों (जिन्हें पात्र माना गया है) से किए जा रहे कार्यों से साफ झलके । तकनीकी समूह का यह प्रस्ताव है कि कोई सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइज़) समाज कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रहा है या नहीं, इस बात को आंकने के तीन पैमाने हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के आधार पर और सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तथा नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्राथमिकता क्षेत्रों के आधार पर 15 मुख्य गतिविधियाँ (जिन्हें पात्र माना गया है) ।

(ii) सामाजिक उद्यमों की गतिविधियाँ (जिन्हें पात्र माना गया है) सुविधाओं से वंचित उन लोंगो या इलाकों के कल्याण के लिए ही की जाएंगी, जिनका विकास केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों के लक्ष्य की तुलना में काफी कम हुआ हो ।

(iii) सामाजिक उद्यम द्वारा की जाने वाली गतिवधियों में से 67% गतिविधियाँ ऐसी हों जिन्हें पात्र माना गया है और जो उन्हीं लोगों के लिए की जा रही हों जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है । इसके लिए सामाजिक उद्यम को नीचे दिए गए किसी एक या एक से अधिक मानदंड पर खरा उतरना होगा:
क. आमदनी ख. खर्च ग. ग्राहक

कारपोरेट फाउंडेशन, राजनैतिक या धार्मिक संगठन / गतिविधियाँ, पेशेवर व्यक्तियों के संघ (प्रोफेशनल एसोसिएशन) या व्यापार संघ (ट्रेड एसोसिएशन), अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियाँ और आवास कंपनियाँ (किफायती आवास कंपनियों को छोड़कर) को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति नहीं होगी ।

ख. एनपीओ को रजिस्टर कराने संबंधी अपेक्षाएँ (पैरा 2.2.1): एनपीओ को पैसा जुटाने के लिए प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) की व्यवस्था के दायरे में लाया जाए और जिसके लिए उन्हें अब निवेशकों को यह भी बताना होगा कि वे समाज को कितना फायदा पहुँचा रहे हैं । इसके मद्देनज़र तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि एनपीओ को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा जुटाने से पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर होना पड़ेगा । रजिस्ट्रीकरण लेने के लिए उन्हें यह बताना होगा कि उनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कब तक मान्य है, उन्हें स्वामित्व और नियंत्रण के ब्यौरे देने होंगे, उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या आय-कर अधिनियम के तहत उनका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेशन) अब भी मान्य है, उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कितना खर्चा किया और कितना पैसा जुटाया ।

ग. **एफपीई को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने संबंधी अपेक्षाएँ (पैरा 2.3.3):** तकनीकी समूह ने यह पाया है कि एफपीई द्वारा जारी (निर्गमित / इश्यू) की जाने वाली प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के संबंध में सेबी के विभिन्न विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत पर्याप्त दिशानिर्देश दिए हुए हैं । एफपीई के मामले में, तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि एसएसई में सूचीबद्ध (लिस्ट) होने के लिए मौजूदा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में दी हुई अपेक्षाओं [मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड) पर या एसएमई पर या आईजीपी पर सूचीबद्ध (लिस्ट) होने से संबंधित, जो भी लागू हो] का पालन करने के साथ-साथ आगे 2.3.2 में दी हुई मदों (differentiators) के अनुसार भी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।

घ. **एनपीओ इन लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) के जरिए पैसा जुटा सकेंगे (पैरा 2.3.1):** एनपीओ इक्विटी (धारा 8 के तहत बनी कंपनी की) के माध्यम से, ज़ेडसीज़ेडपी [जिसे एससीआरए के तहत एक प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के रूप में अधिसूचित करना होगा] के माध्यम से, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड के माध्यम से, सोशल इम्पैक्ट फंड (जिसे अभी सोशल वेंचर फंड के नाम से जाना जाता है) [100% दान लेने और दान देने हेतु] के माध्यम से और म्यूचुअल फंडों के जरिए निवेशकों से दान लेकर पैसा जुटा सकते हैं ।

सेबी कुछ और म्यूचुअल फंडों को एचडीएफसी कैंसर फंड जैसे फंड लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है । जिस तरह क्वांटम म्यूचुअल फंड ने HelpYourNGO के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया है, उसी तरह से और म्यूचुअल फंड भी काम कर सकते हैं ।

ङ. **एफपीई इन लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) के जरिए पैसा जुटा सकेंगे (पैरा 2.3.1):** एफपीई इक्विटी, ऋण (डैट), डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड और सोशल वेंचर फंड के माध्यम से **पैसा** जुटा सकते हैं ।

च. **सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) के प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में इन बातों का जिक्र करना होगा (पैरा 2.3.2, 2.3.3):** पैसा जुटाने के लिए

सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) को अपने प्रस्ताव दस्तावेजों में विभिन्न मदों (differentiators) के अनुसार जानकारी देनी होगी । Differentiators में जिन विभिन्न मदों के अनुसार जानकारी देनी होगी, वे इस प्रकार हैं: लक्ष्य क्या है; समाज कल्याण का कार्य किनके लिए किया जाएगा; योजना के ब्यौरे; संचालन (गवर्नेंस) के ब्यौरे; प्रबंध-मंडल के ब्यौरे; कार्यालय के ब्यौरे; वित्तीय विवरणों के ब्यौरे; मौजूदा प्रावधानों के पालन के ब्यौरे; विश्वसनीयता साबित करने के दस्तावेज; समाज को कितना फायदा होगा; और जोखिम के ब्यौरे । एफपीई के लिए यह भी जरूरी होगा कि वह प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में ऐसी समस्त जानकारी भी प्रदान करे, जो भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विभिन्न विनियमों के तहत दी जानी चाहिए ।

छ. **सोशल वेंचर फंड के स्वरूप में परिवर्तन (पैरा 2.4)**: यह जरूरी है कि निवेशकों और जन कल्याण करने वालों को एसवीएफ में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तकनीकी समूह ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: न्यूनतम कॉपर्स को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया जाए, न्यूनतम निवेश की रकम 1 करोड़ रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दी जाए, एसवीएफ के तहत 100% दान लेने और दान देने की अनुमति दी जाए, कंपनियों को सीएसआर के तहत खर्च किए जाने वाले पैसे का निवेश एसवीएफ में करने की अनुमति दी जाए (100% दान लेने और दान देने हेतु), सोशल वेंचर फंड का नाम बदलकर सोशल इम्पैक्ट फंड कर दिया जाए, आदि-आदि ।

ज. **कैपेसिटी बिल्डिंग फंड (सीबीएफ) [पैरा 3.2]**: तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि इस फंड का कुल कॉपर्स 100 करोड़ रुपये रखा जाए, जिसका इस्तेमाल करके सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को इस बारे में पूरी जानकारी दी जा सके कि एसएसई के जरिए पैसा कैसे जुटाया जा सकता है, इसके लिए उन्हें क्या प्रक्रियाएँ अपनानी होंगी, किन-किन लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) के जरिए पैसा जुटाया जा सकता है, आदि-आदि । एनपीओ के कार्यों से समाज को कितना फायदा पहुँचा उसे कैसे आंका जाए, इस बारे में उन्हें समझाना भी जरूरी है । एक्सचेंज निवेशक सेवा निधि (इनवेस्टर सर्विसेज़ फंड / आईएसएफ) का इस्तेमाल उन निवेशकों में

जागरूकता लाने के लिए करेंगे, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा लगाएंगे ।

सीबीएफ नाबार्ड में बनाया जाए । एक्सचेंज और विकास कार्य से जुड़ी अन्य एजेंसियाँ (जैसे सिडबी) भी इस फंड में पैसा डालेंगी । सीएसआर फंड का पैसा भी इस फंड में डालने की अनुमति दी जाए । सीबीएफ का संचालन सलाहकार बोर्ड (एडवाइज़री बोर्ड) द्वारा किया जाएगा, जिसमें विकास कार्य से जुड़े संगठनों, स्टॉक एक्सचेंजों, जन कल्याण से जुड़े संगठनों और एनपीओ समुदाय के प्रतिनिधि सदस्य होंगे ।

झ. **सोशल ऑडिटर (पैरा 3.3.1):** शुरुआत में केवल सोशल ऑडिट के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली प्रतिष्ठित फर्मों / संस्थाओं को ही सोशल ऑडिट करने की अनुमति दी जाए । ये संस्थाएँ उन सोशल ऑडिटरों को नियुक्त करेंगी, जिन्होंने एनआईएसएम का प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेशन कोर्स) उत्तीर्ण किया हो । सोशल ऑडिटरों के लिए यह जरूरी है कि पहले उनका नाम एसआरओ (जिसे आईसीएआई के अधीन एक अलग सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टरेट के रूप में बनाए जाने का प्रस्ताव है) के पैनल में शामिल हो । एसआरओ के शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) में मुख्य रूप में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग और साथ ही आईसीएआई / सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्डस बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे । एसआरओ के कार्यों में शामिल है - सोशल ऑडिटर को रजिस्टर करना, उनके लिए आचार-संहिता निर्धारित करना, एसआरओ द्वारा तय किए गए किसी आधार पर सोशल ऑडिटर की सदस्यता को निलंबित / रद्द करना, आदि-आदि । तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 में आवश्यक संशोधन (यदि करने जरूरी हों) किए जा सकते हैं, ताकि सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टरेट उपरोक्तानुसार अपने कार्य कर सके ।

एसआरओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बनने के बाद जल्द ही सबसे पहले फर्मों / संस्थाओं के संबंध में मानदंड निर्धारित करेगा और उनकी सूची भी तैयार करेगा, और उन फर्मों / संस्थाओं को एसआरओ के यहाँ रजिस्टर होना होगा ।

आईसीएआई का सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड सोशल ऑडिट के मानदंड निर्धारित करेगा, जिनमें शामिल है - उसका दायरा क्या रहेगा, कोई कार्य हाथ में लेते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मूलभूत सिद्धाँत क्या होंगे, ऑडिट के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, एश्योरेन्स रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी, आदि-आदि । आईसीएआई भी सोशल ऑडिटरों के लिए अलग से आचार संहिता निर्धारित करेगा ।

ञ. **इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरीज़ (पैरा 3.3.2)**: तकनीकी समूह ने इस संबंध में विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि चूँकि अभी ये अपने शुरुआती दौर में हैं, इसलिए फिलहाल इनके लिए कोई कानूनी प्रावधान न बनाया जाए । बाद में उनकी भूमिका कैसी रहेगी उसके आधार पर ही, उनके संबंध में विनियम (रेग्यूलेशन) बनाए जा सकते हैं, ताकि उनकी भूमिका, उनके कार्यों, उनकी संरचना और ऐसे अन्य पहलुओं (जो भी ठीक समझे जाएँ) को विनियमित (रेग्यूलेट) किया जा सके ।

ट. **सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) [पैरा 4.2 एवं 4.3]: एसएसई के प्लेटफॉर्म पर आने वाली एंटिटियों को प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि उनके कार्यों से समाज को कितना फायदा पहुँचा (एनपीओ और एफपीई दोनों के मामले में), जिसमें यह बताया जाएगा कि उन्होंने क्या लक्ष्य तय किए थे और क्या योजना बनाई थी, उन्होंने समस्या को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए, उन्होंने समाज को कितना फायदा पहुँचाया उसकी जानकारी, आदि-आदि**

i. **एसएसई के प्लेटफॉर्म पर आने वाले एनपीओ [चाहे वे रजिस्टर हुए हों या सूचीबद्ध (लिस्ट) हुए हों]** को प्रत्येक वर्ष सामान्य जानकारी देनी होगी, संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया जा रहा है उसकी जानकारी देनी होगी और वित्तीय स्थिति की जानकारी देनी होगी । इस प्रकार दी जाने वाली जानकारी में यह भी बताना होगा कि - लक्ष्य क्या था, क्या-क्या कार्य किए गए, कार्यों का दायरा क्या रहा, बोर्ड और प्रबंध-मंडल की जानकारी, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेनों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) की

जानकारी, पारिश्रमिक अदा करने के संबंध में बनाई गई नीतियों की जानकारी, हितधारकों (स्टेकहोल्डर) की शिकायतों के निवारण की जानकारी, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), आय संबंधी विवरण, वर्ष के दौरान कार्यक्रमों के अनुसार पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया उसकी जानकारी, ऑडिटर की रिपोर्ट, आदि । एनपीओ के लिए यह जरूरी होगा कि वे भारतीय लेखा मानकों का पालन करें । इसके अलावा, आईसीएआई भी पहले वर्ष 2009 में एनपीओ के लिए लेखांकन (अकाउंटिंग) के सबंध में जारी की गई अपनी *टेक्निकल गाइड* को अपडेट करेगा ।

वार्षिक आधार पर जानकारी देने के अलावा, संगठन ऐसी किसी घटना की जानकारी 7 दिनों के भीतर एक्सचेंज [जिसके यहाँ वह रजिस्टर / सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो] को देगा, जिसका उसके लक्ष्यों की पूर्ति पर खासा असर पड़ सकता हो । इस प्रकार दी जाने वाली जानकारी में शामिल है - घटना के ब्यौरे, उसका कितना असर पड़ सकता है उसकी जानकारी, और इस असर को कम करने के लिए एनपीओ क्या कर रहा है उसकी जानकारी ।

ii. इक्विटी / ऋण (डैट) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने वाला **एफपीई** समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी जानकारी देने (सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग करने) के अलावा जिस खंड (सेगमेंट) [जैसे मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड), एसएमई, आईजीपी, आदि] पर वह सूचीबद्ध (लिस्ट) है उसके अनुसार भी उसे अतिरिक्त जानकारी देनी होगी (डिस्क्लोज़र करने होंगे) ।

2 पात्रता संबंधी मानदंड एवं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आना

2.1 इस बात की पुष्टि कि कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे हैं

भारत में, समाज कल्याण के कार्य में जुटी एंटिटियों का गठन किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कंपनी के रूप में (लाभ कमाने के उद्देश्य से बनी कंपनी के रूप में या धारा 8 के तहत बनी कंपनी के रूप में), सोसाइटी के रूप में, न्यास (ट्रस्ट) के रूप में, भागीदारी (पार्टनरशिप) के रूप में, आदि । इस पर गौर करते हुए, तकनीकी समूह ने यह महसूस किया कि कुछ सीमित गतिविधियाँ (जिनका जिक्र यहाँ आगे किया गया है) करने वाले सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइस) को ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति दी जाए, और फिलहाल सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइस) का गठन किसी और रूप में करने की जरूरत नहीं है । सामाजिक उद्यम को यह जाहिर करना होगा कि उसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण के इरादे से कार्य करने का तथा समाज को फायदा पहुँचाने का है और जो उसके द्वारा सुविधाओं से वंचित लोगों या इलाकों के कल्याण के उद्देश्यों (जिन्हें पात्र माना गया है) से किए जा रहे कार्यों से साफ झलके ।

इसीलिए, कोई सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइस) समाज कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रहा है या नहीं, इस बात को आंकने के लिए तकनीकी समूह ने तीन पैमाने सुझाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(क) समाज कल्याण के उद्देश्य से सामाजिक उद्यम द्वारा की जाने वाली इन गतिविधियों को पात्र माना जाएगा: तकनीकी समूह ने मोटे तौर पर समाज कल्याण के उद्देश्य से सामाजिक उद्यम द्वारा की जा सकने वाली 15 गतिविधियों की सूची तैयार की है ।

समाज कल्याण के उद्देश्य से की जा सकने वाली गतिवधियों (जिन्हें पात्र माना गया है) की सूची

i. भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और असमानता मिटाने से जुड़ी गतिविधियाँ; स्वास्थ्य सेवाओं (मानसिक स्वास्थ्य सहित) और स्वच्छता को बढ़ावा देने

से जुड़ी गतिविधियाँ; और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने से जुड़ी गतिविधियाँ

ii. शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार दिलाने से जुड़ी गतिविधियाँ

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियाँ, महिला सशक्तिकरण और LGBTQIA+ समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण से जुड़ी गतिविधियाँ

iv. पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने (उसके असर को कम करने और उसके अनुसार ढलने) से जुड़ी गतिविधियाँ, वन संरक्षण और वन्य-जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ

v. राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ

vi. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्य खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ

vii. सामाजिक उद्यमों को प्रोत्साहन देने से जुड़ी गतिविधियाँ

viii. लाभ न कमाने के उद्देश्य से बनाए गए ऐसे अन्य प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहन देने से जुड़ी गतिविधियाँ जिनके जरिए पैसा जुटाया जाता हो और उन्हें सक्षम बनाया जाता हो

ix. ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीब लोगों के लिए रोजगार से जुड़ी गतिविधियाँ, जिसमें छोटे तथा बहुत छोटे किसानों और कृषि क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं

x. झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों के विकास से जुड़ी गतिविधियाँ, किफायती आवास से जुड़ी गतिविधियाँ, और मजबूत शहरों का निर्माण करने के लिए अन्य गतिविधियाँ

xi. आपदा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियाँ, जिनमें राहत कार्य, पुनर्वास से जुड़े कार्य और पुनर्निमाण के कार्य शामिल हैं

xii. वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूशन) को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियाँ

xiii. सुविधाओं से वंचित समुदाय के लोगों को जमीन और जगह आदि उपलब्ध कराने से जुड़ी गतिविधियाँ

xiv. इंटरनेट और मोबाइल जैसी सुविधाएँ सबके लिए उपलब्ध कराने से जुड़ी

गतिविधियाँ, गलत जानकारी और डाटा के संरक्षण जैसी समस्याओं को सुलझाने से जुड़ी गतिविधियाँ

xv. प्रवासी व्यक्तियों और विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण से जुड़ी गतिविधियाँ

ऊपर दी हुई सूची कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में दी हुई मदों को आधार बनाकर तैयार की गई थी, और फिर बाद में उसमें सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तथा नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्राथमिकता क्षेत्रों के आधार पर कुछ और बदलाव किए गए ।

इन क्षेत्रों में, सामाजिक उद्यम या तो चीजें उपलब्ध करा सकते हैं, सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं या कार्यक्रम चला सकते हैं या शोध कर सकते हैं, नीतिगत विश्लेषण कर सकते हैं और नीतियाँ बना सकते हैं, जागरूकता लाने का काम कर सकते हैं, संचालन (गवर्नेंस) संबंधी कार्य कर सकते हैं या क्षमता विकसित कर सकते हैं । तकनीकी समूह ने प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आ सकने वाले उप-क्षेत्रों का वर्गीकरण भी किया है और जो संलग्नक-1 में दिया हुआ है । हालाँकि तकनीकी समूह ने इस वर्गीकरण में सभी उप-क्षेत्रों को शामिल करने का पूरा-पूरा प्रयास किया है, फिर भी इसका यह मानना है कि हो सकता है कि अभी भी कुछ उप-क्षेत्र छूट गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कुछ नए उप-क्षेत्र भी जुडें जो ऊपर बताए गए 15 क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हों । इसलिए यह जरूरी है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज अपने अनुभव के आधार पर समय-समय पर इस वर्गीकरण में जरूरी बदलाव करता रहे ।

(ख) समाज कल्याण इन लोगों के लिए या इन इलाकों के लिए किया जाएगा: सामाजिक उद्यम की गतिविधियाँ [जिन्हें पात्र माना गया है और जो समाज कल्याण के 15 उद्देश्यों (जिनमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है) में से कम से कम किसी एक उद्देश्य से जुड़ी हों] सुविधाओं से वंचित उन लोंगो या इलाकों के कल्याण के लिए ही की जाएंगी, जिनका विकास केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों के लक्ष्य की तुलना में काफी कम हुआ हो । इनमें, अन्यों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति, अन्य पिछड़े वर्ग के

व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति, बच्चे, भटके हुए बच्चे, प्रवासी व्यक्ति और विस्थापित व्यक्ति शामिल हो सकते हैं ।

(ग) सामाजिक उद्यम का ज्यादातर कार्य उन गतिविधियों के लिए हो जिन्हें पात्र माना गया है: सामाजिक उद्यम के लिए केवल यह साबित करना ही काफी नहीं होगा कि उसकी गतिविधियों का मकसद समाज कल्याण है और यह कि वह ये गतिविधियाँ उन्हीं लोगों या उन्हीं इलाकों के कल्याण के लिए कर रहा है जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, बल्कि उसे यह भी साबित करना होगा कि उसके ज्यादातर कार्य उन्हीं गतिविधियों पर केन्द्रित हैं । इसके लिए तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि सामाजिक उद्यम द्वारा की जाने वाली गतिवधियों में से 67% गतिविधियाँ ऐसी हों जिन्हें पात्र माना गया है और जो उन्हीं लोगों के लिए की जा रही हों जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है । इसके लिए सामाजिक उद्यम को नीचे दिए गए किसी एक या एक से अधिक मानदंड पर खरा उतरना होगा :

i. आमदनी - सामाजिक उद्यम की ठीक पहले के तीन वर्षों की आमदनी के अनुसार निकाली गई औसत आमदनी में से कम से कम 67% आमदनी उन्हीं लोगों के लिए की गई पात्र गतिविधियों से आई हो ।
ii. खर्च - सामाजिक उद्यम के ठीक पहले के तीन वर्षों के खर्च के अनुसार निकाले गए औसत खर्च में से कम से कम 67% खर्च निर्धारित लोगों के लिए की जाने वाली पात्र गतिविधियों के लिए किया गया हो ।
iii. ग्राहक / लाभार्थी - जिन लोगों के लिए पात्र गतिविधियाँ की जा रही हों, उनकी संख्या ठीक पहले के तीन वर्षों के अनुसार निकाले गए सामाजिक उद्यम के औसत ग्राहकों / लाभार्थियों की संख्या की कम से कम 67% हो ।

2.1.1 इस बात की घोषणा कि कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे हैं

एक बार जब सामाजिक उद्यम यह साबित कर दे कि वह ऊपर बताए गए पैमानों के अनुसार समाज कल्याण के कार्यों में जुटा हुआ है और इस संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत कर दे, तब वह सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर आने के लिए और सोशल स्टॉक एक्सचेंज के

जरिए पैसा जुटाने के लिए पात्र हो जाएगा । इस प्रकार प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा की भाषा कुछ इस प्रकार रखी जा सकती है:

> "We will produce [a mission-related benefit] for [families of target community/ communities/ partners], in one or more [locations] in under-served regions recording lower performance in [aspects] of national/ state priorities, within [a time period], by undertaking [activities] or [setting policies], through one or more [aspects of organizational structure and operation], through executing [a theory of change/impact] and adopting [a set of values] that we find compelling."

रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया के अंतर्गत, सामाजिक उद्यम जनता को प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) भी करेंगे और पिछले 3 वर्षों के दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे । इसके बारे में अध्याय-4 में विस्तार से बताया गया है ।

2.1.2 वे संगठन और गतिविधियाँ, जिन्हें पात्र नहीं माना गया

जहाँ एक तरफ तकनीकी समूह ने यह तय करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि सामाजिक उद्यम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा जुटाने के लिए पात्र है या नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ इसने यह भी माना है कि उन उद्देश्यों तथा गतिविधियों और उन एंटिटियों का जिक्र कर दिया जाए जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से पूरी तरह से बाहर रहेंगे । तदनुसार, तकनीकी समूह ने यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा जुटाने के लिए पात्र न माना जाए:

i. कारपोरेट फाउंडेशन, जिनमें पैसा मुख्य रूप से मूल कारपोरेट एंटिटी द्वारा या कारपोरेट एंटिटियों के समूह (ग्रुप) द्वारा लगाया जाता है ।
ii. राजनैतिक या धार्मिक संगठन या गतिविधियाँ ।
iii. पेशेवर व्यक्तियों के संघ (प्रोफेशनल एसोसिएशन) या व्यापार संघ (ट्रेड एसोसिएशन)
iv. अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियाँ और आवास कंपनियाँ (किफायती आवास कंपनियों को छोड़कर)

2.2 सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पात्रता संबंधी मुख्य मानदंड

तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि किसी सामाजिक उद्यम को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सबसे पहले यह साबित करना होगा कि वह समाज को कितना फायदा पहुँचा रहा है । इस बारे में ऊपर बताया जा चुका है । एक बार जब सामाजिक उद्यम यह साबित कर देगा, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि सामाजिक उद्यम आखिर लाभ कमाने के उद्देश्य से बना उद्यम (एफपीई) है या लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन (एनपीओ) । एनपीओ के लिए किसी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होना जरूरी है, और उसके बाद, वह यह फैसला ले सकता है कि उसे सूचीबद्ध (लिस्ट) होना है या नहीं । हालाँकि, एफपीई सीधे सूचीबद्ध (लिस्ट) हो सकता है, बशर्ते कि वह कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर्ड) कंपनी हो और इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) जारी (निर्गमित / इश्यू) और सूचीबद्ध (लिस्ट) करने से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करता हो ।

2.2.1 एनपीओ के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने की प्रक्रिया

एफपीई की तरह एनपीओ को जनता से पैसा जुटाने से संबंधित अपेक्षाओं और प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं होती । तकनीकी समूह ने वे अपेक्षाएँ भी सुझाई हैं, जो एनपीओ को रजिस्टर होने के लिए पूरी करनी होंगी । इसके मद्देनज़र कि एनपीओ का गठन अलग-अलग रूप में हो सकता है और जिन्हें विनियमित (रेग्यूलेट) करने वाले सांविधिक निकाय (स्टैटयूटरी बॉडी) और कानूनी प्रावधान भी अलग-अलग हो सकते हैं, रजिस्टर होने के तीन मकसद हैं । पहला तो यह कि जो भी एनपीओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर आएंगे उन सभी के लिए कानूनी प्रावधान भी एक जैसे ही होंगे । दूसरा यह कि एनपीओ अब पैसा जुटाने के लिए प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) की व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे । तीसरा अब एनपीओ (खासकर छोटे एनपीओ) यह बता पाएंगे कि वे समाज को कितना फायदा पहुँचा रहे हैं और उनके कामकाज (गवर्नेंस) का स्तर कैसा है तथा वे कितनी पारदर्शिता अपनाते हैं, फिर भले ही वे अभी कोई प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) सूचीबद्ध (लिस्ट) न कराएं । इस तरह से यदि एनपीओ रजिस्टर हुए होंगे, तो इसका फायदा उन्हें पैसा जुटाते समय मिलेगा, फिर भले ही वे कोई प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) सूचीबद्ध

(लिस्ट) करवाएं या न करवाएं । हालाँकि, इसके लिए एनपीओ को सभी जरूरी मानदंडों (जिनमें वार्षिक आधार पर की जाने वाली रिपोर्टिंग से संबंधित अपेक्षाएँ भी शामिल हैं) पर खरा उतरना होता है, जिनके बारे में नीचे बताया गया है ।

एनपीओ के रूप में रजिस्टर होने के जो भी जरूरी मानदंड हैं, उनका जिक्र नीचे सारणी 2.1 में किया गया है । इनमें से कुछ मानदंडों का जिक्र कार्य-दल की रिपोर्ट के संलग्नक-2 में भी किया गया था ।

<u>सारणी 2.1: एनपीओ के रूप में रजिस्टर होने के लिए पात्रता संबंधी जरूरी मानदंड</u>

मद	दस्तावेज का प्रकार	ब्यौरे
कानूनी अपेक्षाएँ		
एंटिटी कानूनन एनपीओ के रूप में रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर्ड) है	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कम से कम अगले 12 महीनों की अवधि तक मान्य हो	एंटिटियाँ निम्नलिखित में से किसी भी एक के रूप में भारत में रजिस्ट्रीकृत हों: क. सार्वजनिक पूर्त न्यास (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट), जिसके लिए विलेख (डीड) पूर्त आयुक्त (चैरिटी कमीशनर) / उप-रजिस्ट्रार, जो भी लागू हो, के यहाँ रजिस्टर करवाया गया हो ख. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट) के तहत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियाँ ग. कंपनी अधिनियम के तहत लाभ न कमाने के उद्देश्य से बनाई गई कंपनियाँ

स्वामित्व और नियंत्रण	संबंधित दस्तावेज [एम.ओ.ए. एवं ए.ओ.ए./ न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) / उप-विधियाँ (बाय-लॉज़) / गठन से संबंधित दस्तावेज]	यह बताएँ कि एनपीओ का स्वामित्व और/या उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में है या निजी हाथों में ।
आय-कर अधिनियम के तहत कर से छूट	आय-कर अधिनियम की धारा 12क (12ए) / 12कक (12एए) / 12ख (12बी) के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	धारा 12क (12ए) /12कक (12एए) / 12ख (12बी) के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जो कम से कम अगले 12 महीनों तक मान्य हो । धारा 12क (12ए) / 12कक (12एए) / 12ख (12बी) के तहत कर से छूट की किसी भी शर्त के संबंध में आय-कर विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया या कोई जाँच-पड़ताल नहीं चल रही ।
आयकर विभाग के यहाँ एनपीओ के रूप में रजिस्ट्रीकरण	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन
एनपीओ को बने हुए कितना समय हो गया है	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	न्यूनतम 3 वर्ष
आय-कर संबंधी प्रावधानों के तहत कर	आय-कर अधिनियम की धारा 80छ (80जी) के तहत मान्य रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट हो कि निवेशकों को कर से छूट मिलेगी या नहीं

कटौती		
न्यूनतम रकम		
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितना खर्चा किया गया	लेखापरीक्षित (ऑडिट किए गए) लेखों (अकाउंट्स) / फंड फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तियाँ या भुगतान	न्यूनतम 50 लाख रुपये हो
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितना पैसा (फंड) आया	लेखापरीक्षित लेखों / फंड फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तियाँ	**न्यूनतम** 10 लाख रुपये हो

यह उल्लेखनीय है कि कानूनी अपेक्षाओं के अलावा, रजिस्टर होने के लिए पात्रता संबंधी जरूरी मानदंडों में वह न्यूनतम रकम भी शामिल है जो प्राप्त होनी चाहिए / जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए । यह मानदंड इसीलिए निर्धारित किया गया है कि जो एनपीओ रजिस्टर होना चाहता है उसके कामकाज का पर्याप्त पिछला रिकॉर्ड हो।

चूँकि पात्रता संबंधी कुछ मानदंडों की मान्यता एक निर्धारित अवधि तक ही रहेगी, इसीलिए एनपीओ को, एक बार रजिस्टर होने के बाद, यह सुनिश्चित करना होगा कि अपेक्षाओं की सूची में दिए हुए किसी भी प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) या रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेशन) की मान्यता की अवधि समाप्त होने पर, वह निर्धारित समयावधि के भीतर नया प्रमाणीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दे, ताकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ उसका रजिस्ट्रीकरण बना रहे ।

तकनीकी समूह की यह सिफारिश भी है कि एनपीओ के लिए रजिस्ट्रीकरण के समय ही वार्षिक आधार पर रिपोर्टिंग के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाएँ निर्धारित कर दी जाएं, और सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हो जाने पर रिपोर्टिंग के संबंध में कुछ और अपेक्षाएँ भी निर्धारित कर दी जाएं । इनका जिक्र विस्तार से अध्याय-4 में किया गया है ।

2.3 सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु मुख्य दिशानिर्देश

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद अंतिम चरण होता है - प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाना । किन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध करवाया जा सकता है और उन्हें सूचीबद्ध करवाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, इस संबंध में दिशानिर्देश तकनीकी समूह द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं और जिनका जिक्र यहाँ किया गया है ।

2.3.1 किन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाया जा सकता है

कार्य-दल ने ऐसी कई प्रतिभूतियाँ बताई हैं, जो सामाजिक उद्यमों द्वारा सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाई जा सकती हैं । हालाँकि, एनपीओ और एफपीई की ये लिखतें (इंस्ट्रूमेंट) अलग-अलग तरह की होती हैं ।

एफपीई की लिखतें (इंस्ट्रूमेंट) तो वैसी ही होंगी, जैसी आम तौर पर बाजार में प्रचलित हैं, अर्थात् ऋण लिखतें (डैट इस्ट्रूमेंट) और इक्विटी लिखतें (इक्विटी इस्ट्रूमेंट) ।

एनपीओ का एक वर्ग (अर्थात धारा 8 के तहत बनी कंपनियाँ) इक्विटी के जरिए पैसा जुटा सकता है, फिर भले ही उनकी इक्विटी का स्वरूप आम तौर पर जारी की जाने वाले इक्विटी की तुलना में अलग ही क्यों न हो [क्योंकि धारा 8 के तहत बनी कंपनी की इक्विटी पर कोई लाभांश (डिविडेंड) अदा नहीं किया जाता] । हालाँकि, दूसरे एनपीओ के लिखत (इंस्ट्रमेंट) या तो नए तरह के होंगे (जैसे कि ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड) या फिर ऐसे होंगे जो भारत के पूँजी बाजार में ज्यादा प्रचलन में न हों, और इसीलिए हो सकता है कि इनके बारे में एनपीओ को ज्यादा जानकारी न हो [जैसे सामाजिक उद्यम निधियाँ (सोशल वेंचर फंड)] । साथ ही, लिखत (इंस्ट्रूमेंट) और निर्गमकर्ता (इश्युअर) भी अलग-अलग हो सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एनपीओ पैसा किसी परियोजना (प्रोजेक्ट) के लिए जुटा रहा है या फिर संगठन (एंटरप्राइज़) के लिए जुटा रहा है ।

क. एनपीओ की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) किस-किस तरह की हो सकती हैं / वे पैसा कैसे-कैसे जुटा सकते हैं, इसे नीचे समझाया गया है:

i. इक्विटी: धारा 8 के तहत कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत एनपीओ इक्विटी जारी करके पैसा जुटा सकता है । धारा 8 के तहत बनी जो कंपनी इक्विटी को सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाना चाहती है, उसके लिए यह जरूरी होगा कि वह यह बताए कि उसकी पिछली परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) / उसके द्वारा पहले किए गए कार्यों से समाज को कितना फायदा पहुँचा और उसे उन सभी मदों (डिफ्रेंशिएटर - जिनके बारे में विस्तार से नीचे बताया गया है) के अनुसार भी जानकारी देनी होगी, ताकि निवेशक कंपनी के कार्यों के बारे में और अच्छी तरह से जान पाएँ ।

ii. ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड: ये बॉण्ड ऐसे बॉण्ड होते हैं जिन पर कोई ब्याज (कूपन) नहीं मिलता और जिनकी अवधि पूरी हो जाने के बाद मूलधन की रकम भी नहीं मिलती । ये बॉण्ड एनपीओ द्वारा समाज के विकास से जुड़ी परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) / से जुड़े कार्यों के लिए जारी (इश्यू) किए जाएंगे, और ऐसे एनपीओ के लिए यह जरूरी होगा कि वह यह बताए कि वह जिनके लिए कार्य करना चाहता है उसमें वह कितना माहिर है और इसके लिए उसे यह भी बताना होगा कि उसकी वैसी ही पिछली परियोजनाओं / उसके द्वारा पहले किए गए वैसे ही कार्यों से समाज को कितना फायदा पहुँचा और उसे उन सभी मदों (डिफ्रेंशिएटर - जिनके बारे में विस्तार से नीचे बताया गया है) के अनुसार भी जानकारी देनी होगी, ताकि निवेशक एनपीओ के कार्यों के बारे में और अच्छी तरह से जान पाएँ । ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड सूचीबद्ध (लिस्ट) तो करवाए जा सकते हैं, किंतु उनमें सादैबाजी (ट्रेडिंग) की संभावना कम ही होगी।

ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड आम तौर पर जारी किए जाने वाले बॉण्डों से अलग होते हैं । आम तौर पर जारी किए जाने वाले बॉण्डों पर कितना ब्याज मिलेगा यह पहले से तय होता है । ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड के मामले में इस तरह से ब्याज आदि (रिटर्न) नहीं मिलता, हालाँकि इस बॉण्ड को जारी करते समय पैसा लगाने वाले (फंडर) को यह वादा किया जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल समाज कल्याण के लिए किया जाएगा । ऐसा वादा पूरा न किए जाने

की कुछ गुंजाइश भी बनी रहती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एनपीओ समाज को उतना फायदा न पहुँचा पाए जितना उसने वादा किया हो ।

यह समझना बेहद जरूरी है कि ऐसे बॉण्डों में पैसा लगाने वाले की संतुष्टि या असंतुष्टि इस बात पर निर्भर करेगी कि समाज को कितना फायदा पहुँचा, और यह भी समझना बेहद जरूरी है कि यदि पैसा लगाने वाला संतुष्ट न हो तो एनपीओ से उसका भरोसा उठ जाएगा और जिसकी वजह से वह एनपीओ को बाद में दान भी नहीं देगा । इस तरह से यदि देखा जाए, यूँ तो किसी भी आस्ति (असेट) या प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की मूलभूत विशेषता उसके जरिए किया जाने वाला वादा ही तो होती है और यही वादा ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड के मामले में भी किया जाएगा, किंतु हो सकता है कि कभी यह वादा टूट जाए और यदि टूट गया तो हो सकता है कि इस तरह से वादा तोड़ने वाला आगे चलकर पैसा भी न जुटा पाए ।

चूँकि एससीआरए के तहत प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की मौजूदा परिभाषा के दायरे में समाज को मिलने वाला फायदा (सोशल रिटर्न) नहीं आता, इसीलिए तकनीकी समूह कार्य-दल द्वारा एससीआरए में ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड को प्रतिभूति के रूप में शामिल करने के संबंध में दी गई सिफारिश का समर्थन करता है ।

iii. सोशल इम्पैक्ट फंड [या एसआईएफ; असल में ये सामाजिक उद्यम निधियाँ (सोशल वेंचर फंड / एसवीएफ) ही हैं, किंतु यह प्रस्ताव है कि एसवीएफ का नाम बदल दिया जाए - कृपया खंड 2.4 देखें]: इन्हें आम तौर पर प्रवर्ग-I की आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड / एआईएफ) द्वारा 2 रूपों में जारी किया जाएगा - 100% दान लेने / दान देने हेतु या 25% दान लेने / दान देने हेतु

जो निर्गमकर्ता (इश्युअर / एआईएफ) एनपीओ के लिए पैसा जुटाना चाहता है, उसके लिए यह जरूरी होगा कि वह यह बताए कि एनपीओ जिनके लिए कार्य करना चाहता है उसमें वह कितना माहिर है और इसके लिए उसे यह भी बताना होगा कि उसकी वैसी ही पिछली परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) से समाज को कितना फायदा पहुँचा और उसे उन सभी मदों (डिफ्रेंशिएटर - जिनके बारे में विस्तार से

नीचे बताया गया है) के अनुसार भी जानकारी देनी होगी । यदि एनपीओ निर्गम (इश्यू) लाने में होने वाला खर्च कम करना चाहे, तो वह ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल बॉण्ड के बजाय एसआईएफ के जरिए पैसा जुटा सकता है ।

यह उल्लेखनीय है कि एसआईएफ की यूनिटें सूचीबद्ध (लिस्ट) तो करवाई जा सकती हैं, किंतु उनमें (100% दान लेने / दान देने के मामले में) सादैबाजी (ट्रेडिंग) की संभावना कम ही होगी ।

iv. म्यूचुअल फंड: म्यूचुअल फंड निवेशकों तथा दान देने वालों को यूनिटें जारी करके पैसा (फंड) जुटाते हैं और फिर इस पैसे का निवेश प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में बताए गए उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) [जैसे शेयर और डिबेंचर] में करते हैं । यह एक न्यास (ट्रस्ट) के रूप में होता है, जिसमें प्रायोजक (स्पॉन्सर), न्यासी (ट्रस्टी), आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी / एएमसी) और अभिरक्षक (कस्टोडियन) होते हैं । म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्ट) होते हैं और उनकी यूनिटों में सौदेबाजी (ट्रेडिंग) उन एक्सचेंजों में हो सकती है जहाँ वे सूचीबद्ध होते हैं । ऐसे दो जरिए हैं जिनके माध्यम से एनपीओ मौजूदा म्यूचुअल फंडों के जरिए दान की रकम प्राप्त कर सकते हैं ।

क) <u>एएमसी के माध्यम से:</u> स्कीम से मुनाफे की जो भी रकम मिलेगी, वह सीधे एएमसी द्वारा चुने गए एनपीओ में दान दी जा सकती है ।

उदाहरण: एचडीएफसी कैंसर फंड

कैंसर के इलाज के लिए बनाए गए एचडीएफसी चैरिटी फंड की शुरुआत कैंसर से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों का इलाज करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी । इसके तहत हर मरीज को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस प्रोजेक्ट ने देशभर में कैंसर से पीड़ित 7,400 से ज्यादा गरीब मरीजों की ज़िंदगियाँ बदलने का काम किया है, जिनमें से कई का इलाज भी पूरा हो चुका है और कई फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए हैं। यह फंड इस तरह से चलता है: एचडीएफसी की एएमसी समाज कल्याण के कार्यों में अपना योगदान देने की दिलचस्पी रखने वाले ऐसे

निवेशकों से पैसा (फंड) जुटाती है, जो अपने निवेश पर मिलने वाला कुछ या पूरा मुनाफा कैंसर से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दान देने की इच्छा रखते हों। फिर इस रकम का निवेश ज्यादातर ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) में ही किया जाता है, और इस प्रकार किए गए निवेश पर मिलने वाले ब्याज की रकम इंडियन कैंसर सोसाइटी को दे दी जाती है । चूँकि यह फंड 3 वर्षों की सीमित अवधि वाला फंड होता है, इसीलिए यह फंड हर 3 वर्ष पर मूलधन की रकम निवेशकों को वापस लौटा देता है और नए सिरे से दोबारा पूँजी जुटाता है । यूनिटधारकों को आय-कर अधिनियम की धारा 80छ (80जी) के तहत उतनी रकम पर कर से छूट हर साल (निर्धारित सीमाओं के अनुसार) मिलती है, जितनी लाभांश की रकम वह दान में दे देते हैं ।

ख) <u>मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के माध्यम से:</u>

यूनिटें किसी एक निश्चित समय पर रिडीम की जा सकती हैं, और उससे जो भी पैसा मिले वह उस एनपीओ को दान में दिया जा सकेगा जिसकी जाँच-परख मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) कर चुका हो ।

उदाहरण: क्वांटम म्यूचुअल फंड की स्माइल फैसिलिटी
स्माइल फैसिलिटी के जरिए निवेशक, अपनी सहमति से, क्वांटम म्यूचुअल फंड में उसके द्वारा किए जाने वाले निवेश का कुछ हिस्सा ऐसे किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) [अधिकतम दो] को भलाई के कार्यों हेतु दान में दे सकता है, जिन्हें "HelpYourNGO" फाउंडेशन द्वारा रजिस्टर किया जाता है और जिनकी जाँच-परख भी "HelpYourNGO" फाउंडेशन द्वारा की जाती है । निवेशक के फोलियो में जितनी भी यूनिटें हों वह उनमें से 10 प्रतिशत यूनिटें हर वर्ष 30 सितम्बर को स्माइल फैसिलिटी हेतु दान में दे सकता है और जिसके लिए यूनिटें अपने आप ही रिडीम हो जाएंगी ।

यदि छोटे निवेशक म्यूचुअल फंडों के जरिए दान देंगे, तो उनका दान उसी एनपीओ तक पहुँचेगा जिसकी कुछ हद तक जाँच-परख या तो एएमसी या फिर मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) कर चुका हो । वैसे तो दान देने का फैसला निवेशक को ही लेना होता है, फिर भी सेबी ऐसी कुछ और स्कीमों पर विचार कर सकता है जिनमें

निवेशक म्यूचुअल फंडों के जरिए दान कर सकें ।

v. डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड (डीआईबी): ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ किसी परियोजना (प्रोजेक्ट) [जिसके बारे में यह पहले से बता दिया जाता है कि समाज को कितना फायदा पहुँचाया जाएगा और उसमें कितना खर्चा आएगा] के पूरा होने पर, परियोजना के सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) [जो कोई एनपीओ या एफपीई होगा] को दान की रकम दान देने वाले [जिसे अंतिम रूप से पैसा लगाने वाला (आउटकम फंडर) कहा जाता है] से मिलती है । आउटकम फंडर कार्य पूरा होने के बाद पैसा (फंड) देता है, जबकि जोखिम उठाकर पैसा लगाने वाला (रिस्क फंडर) कार्यों के लिए पहले से सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) को पैसा देता है । यही नहीं, बल्कि सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) समाज को फायदा पहुँचा पाएगा या नहीं, इसका जोखिम भी रिस्क फंडर ही उठाता है । समाज को फायदा पहुँचाने के बाद रिस्क फंडर को उसका पैसा कुछ मुनाफे के साथ लौटा दिया जाता है ।

डीआईबी को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए जो कॉण्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनके कानूनी प्रावधान काफी सख्त होते हैं और उनकी रिपोर्टिंग से संबंधित तथा उनका कितना असर पड़ सकता है इसका जायजा लेने, आदि से संबंधित प्रावधान भी काफी सख्त होते हैं, किंतु फिलहाल कुछ खास तरह के ही संस्थागत (इंस्टिट्यूशनल) डोनर और निवेशक इनमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं । डीआईबी या तो अलग-अलग परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) के लिए सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाए जा सकते हैं या फिर किसी एक क्षेत्र विशेष की एक से अधिक परियोजनाओं के लिए, और यह सूचीबद्धता (लिस्टिंग) या तो केवल रिस्क फंडिंग [ऋण (डैट कैपिटल)] के लिए या आउटकम फंडिंग (ग्रांट फंडिंग) के लिए या फिर दोनों के पूँजी लिए कराई जा सकती है । डीआईबी को एसवीएफ / एसआईएफ के ढाँचे के तहत भी लाया जा सकता है । एसएसई डीआईबी के लिए कुछ मूल्यांककों (इवैल्यूएटर्स) की सूची (क्षेत्र के अनुसार) पहले से ही जारी कर सकता है या डीआईबी का मूल्यांकक बनने के संबंध में कुछ शर्तें तय कर सकता है । समाज को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से जारी किए गए ऋण लिखत (डैट इंस्ट्रूमेंट / इम्पैक्ट लिंक्ड डैट) को भी एसएसई में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने पर विचार किया सकता है, जो डीआईबी जैसा होता है ।

एसएसई के प्लेटफॉर्म पर डीआईबी के आ जाने से ऐसे विश्वसनीय एनपीओ को पैसा

जुटाने के नए जरिए मिल सकेंगे जो प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी मानदंडों का पालन करने के लिए तैयार हों । यही नहीं, बल्कि सीएसआर के तहत आउटकम फंडर छोटी कंपनियों को भी दान देने से नहीं कतराएगा । डीआईबी के जरिए रिस्क इन्वेस्टर्स समाज कल्याण की सही परियोजनाओं में अपना पैसा लगा पाएंगे।

दुनियाभर में डीआईबी की मांग बढ़ रही है । *"इम्पैक्ट बॉण्ड बाजार कितना बड़ा है और उसका दायरा कितना है?"* ("What is the size and scope of the impact bonds market?") - इस विषय से संबंधित ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट को देखने से यह पता चलता है कि अब तक 33 देशों में 194 इम्पैक्ट बॉण्ड जारी किए जा चुके हैं । इनमें से ज्यादातर बॉण्ड विकसित बाजारों (यूके और अमरीका में 177) में जारी किए गए हैं । इम्पैक्ट बॉण्डों के जरिए 420 मिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक की रकम जुटाई गई है । भारत में भी इम्पैक्ट बॉण्ड सफल साबित हुए हैं ।

इनमें पारदर्शिता भी ज्यादा होती है और समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी रिपोर्टिंग के मानदंड भी निर्धारित होते हैं । यदि एसएसई के प्लेटफॉर्म पर इन्हें जगह मिल जाए, तो कम दान देने वाले व्यक्ति और निवेशक वर्ग भी इनके जरिए दान कर पाएंगे । यदि सेबी द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया जाए, तो ये अपनी जगह बना पाएंगे ।

आकृति 2.1: एसएसई में डीआईबी का ढाँचा

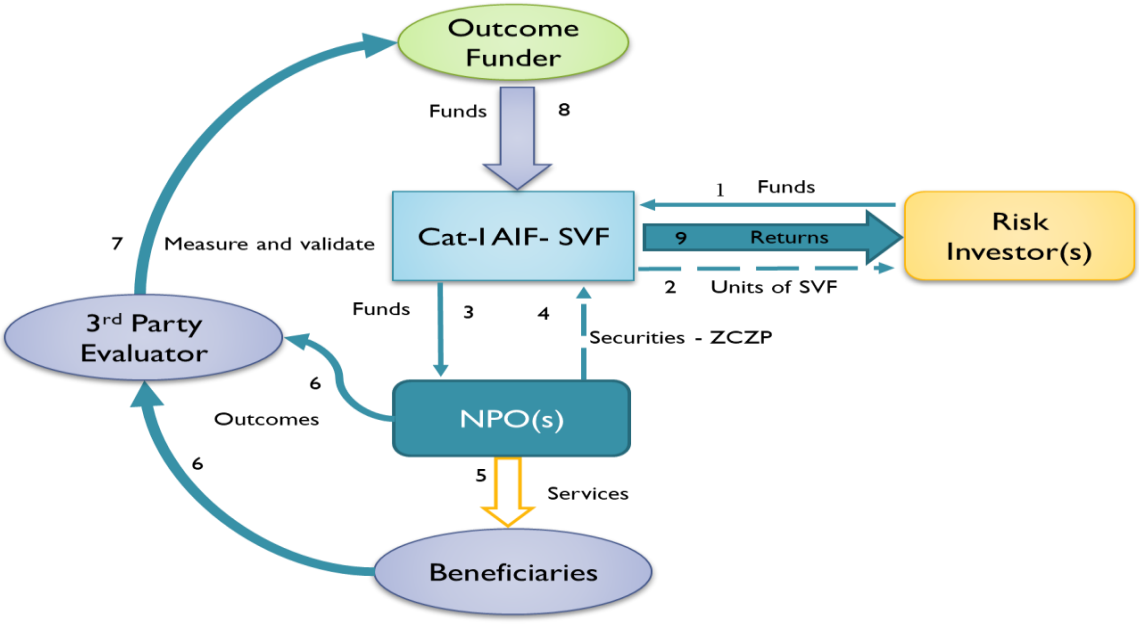

डीआईबी में इनकी भूमिका होगी:

अंतिम रूप से पैसा लगाने वाला (आउटकम फंडर): आम तौर पर आउटकम फंडर सीएसआर, फाउंडेशन, छोटे निवेशक या सरकार हो सकते हैं, जो समाज कल्याण के ऐसे कार्यों में दान देना चाहते हैं जिनका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे । यही नहीं, बल्कि आउटकम फंडर को उसका दान व्यर्थ जाने का जोखिम भी नहीं रहता । इसीलिए, आउटकम फंडर समाज कल्याण के निर्धारित उद्देश्य पूरे हो जाने के बाद ही मूलधन की रकम मुनाफे का साथ लौटाता है ।

जोखिम उठाकर पैसा लगाने वाला (रिस्क इनवेस्टर): समाज कल्याण के कार्यों के लिए सबसे पहले यही निवेशक पैसा लगाते हैं और समाज कल्याण के उद्देश्य पूरा होने या ना होने का जोखिम भी यही निवेशक उठाते हैं । इन्हीं की वज़ह से एनपीओ सतर्क होकर अपना कार्य करते हैं और प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी मानदंडों का पालन करते हैं ।

बाहरी मूल्यांकक: ये बाहरी संगठन होते हैं जिन्हें इस विषय में विशेषज्ञता हासिल होती है कि मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए; समाज को कितना फायदा पहुँचा इसे आंकने के पैमाने भी निर्धारित करते हैं; और साथ ही कितना फायदा पहुँचाने की बात कही गई थी तथा किन्हें फायदा पहुँचाने की बात कही गई थी उसके आधार पर वे यह आंकते हैं कि वास्तव में नतीजा क्या रहा ।

मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) [परियोजना का प्रबंधक (प्रोजेक्ट मैनेजर) / एसएसई में एआईएफ-एसवीएफ]: बेहद जरूरी सामाजिक समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से पैसा किसे दिया जाना चाहिए, इसे ये एंटिटियाँ भली-भांति जानती हैं । इसमें जिस-जिस की भूमिका होगी, उन्हें साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी भी इन एंटिटियों की होगी ।

एसएसई में डीआईबी को जगह देना

फिलहाल, सेबी के एआईएफ से संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार, एसवीएफ को सामाजिक उद्यमों (सोशल वेंचर) की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) में निवेश करना पड़ता है । तदनुसार, एसवीएफ फिलहाल केवल एफपीई में निवेश कर रहे हैं । चूँकि, एनपीओ (धारा 8 के तहत

बनी कंपनियों को छोड़कर) प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जारी (इश्यू) नहीं कर सकते, इसलिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ज़ेडसीज़ेडपी को प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के रूप में मंजूरी प्रदान की जाए, ताकि डीआईबी को एसएसई में लाया जा सके ।

संलग्नक-2 में डीआईबी से संबंधित और जानकारी दी हुई है ।

ख. एफपीई की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) किस-किस तरह की हो सकती हैं / वे पैसा कैसे-कैसे जुटा सकते हैं, उसे नीचे समझाया गया है :

i. इक्विटी / ऋण (डैट) : जो एफपीई इक्विटी या ऋण (डैट) को सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाना चाहता है, उसके लिए यह जरूरी होगा कि वह यह बताए कि उसके कार्यों से समाज को कितना फायदा पहुँचा, ताकि निवेशक एफपीई के कार्यों के बारे में और अच्छी तरह से जान पाएं । इक्विटी या ऋण (डैट) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने से संबंधित मौजूदा विनियमों का भी पालन करना पड़ेगा । इक्विटी के मामले में, किस खंड (सेगमेंट) [अर्थात् स्टार्ट-अप / इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म (आईजीपी), लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) या मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड)] पर सूचीबद्ध कराना है इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा ।

ii. सोशल इम्पैक्ट फंड (एसआईएफ) / डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड: ये आम तौर पर एग्रीगेटर द्वारा समाज कल्याण के किसी खास मकसद के लिए जारी किए जाएंगे। ऐसे लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने की इच्छा रखने वाले निर्गमकर्ता (इश्युअर) को यह बताना होगा कि फायदा कहाँ-कहाँ पहुँचाया जाएगा और साथ ही दूसरी जरूरी बातें भी बतानी होंगी जैसे - फायदा कितना पहुँचाया जाएगा और यह भी कि एग्रीगेटर एवं अन्य हितधारक (स्टेकहोल्डर) ऐसी परियोजनाओं को चलाने में कितने माहिर हैं ।

ऊपर जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का जिक्र किया गया है, उनमें से कुछेक को जारी करने के संबंध में तकनीकी समूह की सिफारिशें नीचे सारणी 2.2 में दी गई हैं :

<u>सारणी 2.2 : सूचीबद्ध (लिस्ट) की जा सकने वाली प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़)</u>

लिखत (इंस्ट्रूमेंट) / पैसा जुटाने का जरिया	**टिप्पणियाँ**
एनपीओ के मामले में	
1. सोशल इम्पैक्ट फंड	एसएसई को शुरू करने की पहली प्राथमिकता है - 100% दान लेना और 100% दान देना । इस लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) में पैसा लगाकर निवेशक केवल यही उम्मीद करते हैं कि समाज को फायदा पहुँचे और जिसके लिए वे किसी मुनाफे की उम्मीद नहीं रखते । तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि सेबी के एआईएफ से संबंधित विनियमों में जरूरी बदलाव करके इसे भी इन विनियमों के दायरे में लाया जाए । अधिक जानकारी के लिए भाग 2.4 देखें ।
2. डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड (डीआईबी)	दुनियाभर में डीआईबी की मांग बढ़ रही है । भारत में भी डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड सफल साबित हुए हैं । यदि सेबी द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया जाए, तो ये अपनी जगह बना पाएंगे।
3. म्यूचुअल फंड	सेबी कुछ और म्यूचुअल फंडों को एचडीएफसी कैंसर फंड जैसे फंड लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है । जिस तरह क्वांटम म्यूचुअल फंड ने HelpYourNGO के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया है, उसी तरह से और म्यूचुअल फंड भी काम कर सकते हैं ।
4. ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल (ज़ेडसीज़ेडपी) बॉण्ड	तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटी) की परिभाषा में ज़ेडसीज़ेडपी बॉण्डों को शामिल करने के लिए जरूरी संशोधन किए जाएं ।

एफपीई के मामले में	
1. इक्विटी	अपेक्षित प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं ।
2. सोशल इम्पैक्ट फंड	सेबी के एआईएफ से संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में एसवीएफ का प्रावधान होने के बावजूद, इनके प्रति दिलचस्पी कम ही रही है । इस संबंध में संबंधित विनियमों में जो बदलाव किए जाने चाहिए, उनका जिक्र भाग 2.4 में किया गया है ।

कार्य-दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, एसएसई को मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों के अंतर्गत ही एक अलग खंड (सेगमेंट) के रूप में जगह दी जाएगी । जो एनपीओ रजिस्टर हुए हों या जो एनपीओ अलग-अलग माध्यमों से पैसा जुटा रहे हों, वही इस खंड (सेगमेंट) में दिखेंगे । एफपीई को अपनी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) अपेक्षानुसार या तो मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड) पर या एसएमई पर या आईजीपी पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने की अनुमति है । यह सिफारिश की जाती है कि स्टॉक एक्सचेंज एफपीई की पहचान स्पष्ट रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम (एफपीई) के रूप में करे, जो आम वाणिज्यिक उद्यमों (कमर्शियल एंटरप्राइज़) से अलग होता है ।

एक बार जब एफपीई या एनपीओ यह तय कर ले कि वह कौन-सी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता है, तो उसे उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के लिए लागू सूचीबद्धता (लिस्टिंग) संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना होगा । सूचीबद्धता से संबंधित इन अपेक्षाओं में से कुछ अपेक्षाओं का पालन सूचीबद्ध कराने से पहले और कुछ अपेक्षाओं का पालन सूचीबद्ध हो जाने के बाद करना होगा । सूचीबद्ध हो जाने के बाद वाली अपेक्षाओं में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) और रिपोर्टिंग से संबंधित अपेक्षाएँ शामिल हैं, जिनके बारे में अध्याय-4 में विस्तार से बताया गया है ।

2.3.2 एनपीओ को सूचीबद्ध करने संबंधी दिशानिर्देश

सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत, एनपीओ पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (फाइनेंशियल स्टेटमेंट) प्रस्तुत करेंगे और इस बात

का भी ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे कि समाज को उन्होंने कितना फायदा पहुँचाया है (कृपया अध्याय-4 देखें) । इसके अलावा, तकनीकी समूह की यह भी सिफारिश है कि एसई के प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में नीचे दी हुई सारणी में दिए गए मदों "differentiators" के अनुसार भी जानकारी दी जाए ।

क्र.सं.	मद (Differentiator)	ब्यौरे
1	लक्ष्य	संगठन की गतिविधियाँ और कार्यक्रम उसके गठन संबंधी दस्तावेज में बताए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हों।
2	समाज कल्याण का कार्य किनके लिए किया जाएगा	संगठन ने यह स्पष्ट कर दिया हो कि वह किनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है और उसने जो कुछ भी करने की योजना बनाई हो वह उसे कैसे पूरा करेगा । संगठन जिनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है, उसे स्पष्ट रूप से समझ ले (समस्याओं से कौन लोग जूझ रहे हों और वे किस प्रकार प्रभावित हैं) । एसई को यह भी बताना होगा कि वह जिस तरह से समस्या को सुलझाना चाहता है उससे कैसे अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुँचेगा ।
3	योजना	लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या योजना होगी । योजना अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाए और यह ध्यान में रखकर भी बनाई जाए कि उसे पहले किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था ।
4	संचालन (गवर्नेंस)	संगठन का शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) हो और उसके सर्वोच्च शासी निकाय के ब्यौरे, उसके गठन के ब्यौरे, बोर्ड की बैठकों (जिनमें मुख्य-मुख्य निर्णय लिए गए थे) की तारीखों के ब्यौरे भी होने चाहिए ।
5	प्रबंध-मंडल	प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के ब्यौरे, जैसे ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे जिन्हें कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें पैसा जुटाने का कार्य सौंपा गया है, Marcom, जो वित्त संबंधी एवं मानव संसाधन संबंधी कार्य देख रहे हों । संगठन यह भी बताए कि क्या वह अपने स्टाफ और स्वेच्छा से कार्य करने वाले व्यक्तियों

क्र.सं.	मद (Differentiator)	ब्यौरे
		को पत्र जारी करके यह बताता है कि उनकी क्या भूमिका होगी और उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी । संगठन यह भी बताए कि क्या वह समय-समय पर कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनाता है, आदि-आदि ।
6	कार्यालय	संगठन का अपना कार्यालय हो, जहाँ से वह अपना कामकाज करता हो और उसने लोगों को अपने कार्यालय का पता बताया हुआ हो ।
7	वित्तीय विवरण	आईसीएआई द्वारा एनपीओ के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) ।
8	मौजूदा प्रावधानों का पालन	संगठन को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे (अकाउंट्स) उपलब्ध कराने होंगे, जिनके संबंध में उसके लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा कोई महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न की गई हो या कोई बड़ी गड़बड़ी न बताई गई हो । आय-कर के संबंध में यदि कोई नोटिस मिला हो, तो उसके पालन की जानकारी देनी होगी ।
9	विश्वसनीयता साबित करने के दस्तावेज	दस्तावेज, जैसे - रजिस्ट्रीकरण, न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) / एमओए और एओए, पते का सबूत, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, 12ए/12एए प्रमाणपत्र, एफसीआरए प्रमाणपत्र और विवरणियाँ (रिटर्न), शासी सदस्यों (गवर्निंग मैम्बर्स) को कितना पारिश्रमिक अदा किया जा रहा है उसके दस्तावेज ।
10	समाज को कितना फायदा होगा	संलग्नक-9 के अनुसार (लक्ष्य और योजना; समाज को कितना फायदा पहुँचा उसकी जानकारी)
11	जोखिम	(i) एनपीओ यह बताए कि उसे अपने कार्य में क्या-क्या जोखिम नज़र आ रहे हैं और वह उन्हें कैसे कम कर सकता है । (ii) एनपीओ यह भी बताए कि उसे इन जोखिमों की वज़ह से क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं और वह उन्हें कैसे

क्र.सं.	मद (Differentiator)	ब्यौरे
		कम कर सकता है ।

पैसा लगाने वाले उपरोक्त के आधार पर यह समझ पाएंगे कि एक जैसे कई एनपीओ और सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाई जा रही प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के बीच क्या फर्क है और तदनुसार निवेश के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले पाएंगे । किसी कार्यक्रम विशेष या परियोजना विशेष से संबंधित सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के मामले में, एनपीओ को सूचीबद्धता से संबंधित दस्तावेज में अपने पिछले रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी और इस बारे में भी विस्तार से जानकारी देनी होगी कि जिनके लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था उन्हें इससे कितना फायदा पहुँचा है । एनपीओ के लिए यह जरूरी होगा कि वह सूचीबद्धता से पहले और सूचीबद्धता के बाद की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी अपने वेबसाइट पर भी आम जनता के लिए डाले।

अलग-अलग जरियों से पैसा जुटाने के संबंध में एसई का प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) कैसा होगा, उसका खाका संलग्नक-3 में दिया गया है ।

इसके अलावा, एसएसई सभी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली [अर्थात् रजिस्ट्रीकरण, सूचीबद्धता (लिस्टिंग), असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग), लेखांकन (अकाउंटिंग), प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), आदि के संबंध में] के संबंध में नियम आदि बनाएगा, जिसमें सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की भूमिकाएँ और उनकी जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएंगी ।

2.3.3 एफपीई को सूचीबद्ध करने संबंधी दिशानिर्देश

तकनीकी समूह ने यह पाया है कि एफपीई द्वारा जारी (निर्गमित / इश्यू) की जाने वाली प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) [जैसे इक्विटी, ऋण (डैट)] की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के संबंध में सेबी के विभिन्न विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत पर्याप्त दिशानिर्देश दिए हुए हैं । सेबी के इन विनियमों में पात्रता मानदंड भी दिए हुए हैं । एफपीई के मामले में, इक्विटी या ऋण (डैट) के जरिए पैसा जुटाने के संबंध में सेबी के विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ ऊपर 2.3.2 में दी हुई मदों (differentiators) के

अनुसार भी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।

एफपीई अपनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने के लिए सही बोर्ड चुनेंगे, जैसे - ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड) पर सूचीबद्ध की जाएंगी, जबकि इक्विटी प्रतिभूतियाँ अपेक्षानुसार या तो मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड) पर या एसएमई पर या आईजीपी पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई जाएंगी । इस तरह से जो भी बोर्ड चुना जाए, उसके अनुसार सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से संबंधित मौजूदा विनियमों का भी पालन करना होगा । उदाहरण के लिए, यदि एफपीई अपनी प्रतिभूतियाँ आईजीपी पर जारी (निर्गमित / इश्यू) करना चाहता है, तो ऐसे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] का अध्याय-X लागू होगा।

एफपीई को सेबी के मौजूदा विनियमों के अनुसार प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) के संबंध में दी गई अपेक्षाओं का पालन करना होगा और साथ ही उन्हें अध्याय-4 के मुताबिक इस बारे में भी विस्तार से बताना होगा कि समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया ।

आकृति 2.2: एसई को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया

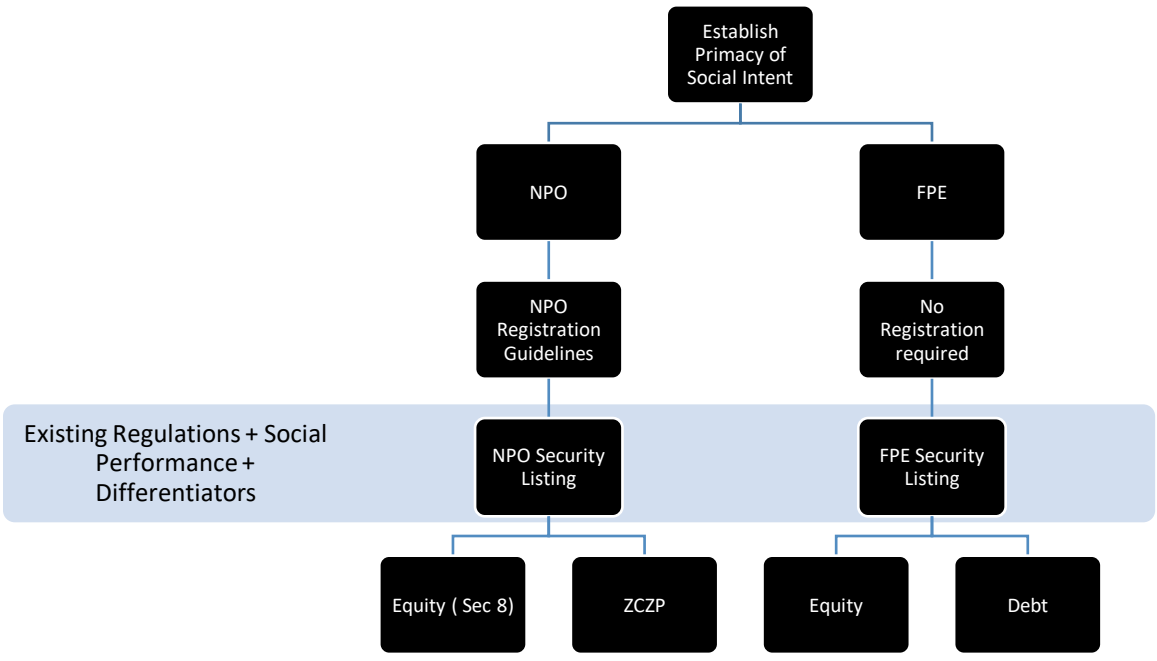

2.4 सोशल वेंचर फंड के स्वरूप में परिवर्तन

इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि निवेशकों (छोटे और संस्थागत निवेशक दोनों) और जन कल्याण करने वालों को एसवीएफ में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही यह भी जरूरी है कि इन पैसों का सही तरह से प्रबंधन और इस्तेमाल होता रहे ।

इसके लिए तकनीकी समूह का यह प्रस्ताव है कि:

i. "सोशल वेंचर फंड" का नाम बदलकर "सोशल इम्पैक्ट फंड" कर दिया जाए, ताकि समाज को फायदा पहुँचाने का इरादा और स्पष्ट हो सके ।
ii. मौजूदा एसवीएफ के अलावा, केवल एसएसई के प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक नए तरह के एसवीएफ को मंजूरी दी जा सकेगी, जो 100% दान लेने और दान देने हेतु होगा ।
iii. न्यूनतम कॉपर्स को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया जाए (जैसा एआईएफ के तहत एंजल फंड के मामले में है) ।
iv. संस्थाएँ कम से कम 1 करोड़ रुपये का निवेश करें और व्यक्ति कम से कम 2 लाख रुपये का ।
v. एसवीएफ की परिभाषा से "कम मुनाफे" वाला जो प्रावधान है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि एसई को तो यह पुष्टि करनी ही होगी कि कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे हैं ।
vi. आयकर संबंधी नियमों में बदलाव किए जाएं और एफसीआरए के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाएं, जैसा कि कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय-6 में सुझाव दिया है, ताकि संबंधित प्राधिकरण इस पर विचार कर सकें ।
vii. कंपनियों को सीएसआर के तहत खर्च किए जाने वाले पैसे का निवेश एसआईएफ में करने की अनुमति दी जाए (100% दान लेने और दान देने हेतु) ।

3 अनुकूल व्यवस्था

3.1 व्यवस्था पहले से करना जरूरी

तकनीकी समूह का यह मानना है कि चूँकि एसएसई बनाने के बारे में पहली बार सोचा जा रहा है, इसलिए बिना पूरी तैयारी किए और सावधानी बरते इसकी शुरुआत नहीं की जा सकती । यही बात सिफारिशों में भी कही गई है, और इसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का दायरा फैलाने के लिए एक फंड (कैपेसिटी बिल्डिंग फंड) बनाए जाने की आवश्यकता, सोशल ऑडिटर तथा अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) [जैसे इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरी] की भूमिका, और सोशल वेंचर फंड के स्वरूप में परिवर्तन की बात कही गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों और पैसा लगाने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके।

3.2 सोशल स्टॉक एक्सचेंज का दायरा फैलाने के लिए एक फंड (कैपेसिटी बिल्डिंग फंड / सीबीएफ)

वैसे तो एक्सचेंजों की निवेशक सेवा निधि (इनवेस्टर सर्विसेज़ फंड / आईएसएफ) का इस्तेमाल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निवेशक को जागरूक करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है, फिर भी तकनीकी समूह को यह लगता है कि एनपीओ एसएसई के जरिए पैसा कैसे जुटा पाएंगे और क्या उसकी प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे, यह जान पाएंगे कि कौन-कौन से लिखत (इंस्ट्रूमेंट) होंगे और अन्य हितधारक (स्टेकहोल्डर) कौन-कौन होंगे । अगर एसएसई को सफल बनाना है, तो इसके लिए यह जरूरी है कि सभी हितधारकों को एसएसई के लक्ष्यों व उद्देश्यों के बारे में तथा उसकी कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी हो और साथ ही इस बात की भी पूरी जानकारी हो कि उसके जरिए पैसा कैसे-कैसे जुटाया जा सकता है । इसके अलावा, प्रत्येक हितधारक (स्टेकहोल्डर) को यह भी जानना होगा कि उसकी क्या भूमिका होगी और एसएसई में आने वाले अन्य हितधारकों [जैसे पैसा जुटाने वाले एनपीओ और एफपीई, निवेशकों और पैसा लगाने वालों, क्षमता विकसित करने वालों, सोशल ऑडिटर और इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरी और संचालकों (एडमिनिस्ट्रेटर)] की क्या भूमिका होगी । एनपीओ और एफपीई के कार्यों से समाज को कितना फायदा पहुँचा, उसकी सही-सही रिपोर्टिंग हो इस बारे में उन्हें समझाना भी जरूरी है ।

इसीलिए एसएसई बनाए जाने के समय ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज का दायरा फैलाने के लिए एक फंड (कैपेसिटी बिल्डिंग फंड) बनाए जाने की जरूरत महसूस की गई, जिसकी सिफारिश कार्य-दल द्वारा भी की गई है ।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सीबीएफ नाबार्ड में बनाया जाए । स्टॉक एक्सचेंज भी इस फंड में पैसा डालेंगे । विकास कार्य से जुड़ी अन्य एजेंसियाँ [जैसे सिडबी, अन्य वित्तीय संस्थाएं और दान देने वाले (सीएसआर)] भी इस फंड में पैसा डाल सकेंगे । इस फंड का कुल कॉर्पस 100 करोड़ रुपये हो सकता है । चूँकि, इस फंड में पैसा समाज कल्याण के उद्देश्य से ही डाला जाएगा, इसलिए इसे धारा 80छ (80जी) के तहत रजिस्टर करवाना होगा । कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत दान लेने हेतु पात्र होने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है (जिसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 / अनुसूची-VII में भी बदलाव करने होंगे) ।

इस फंड का संचालन सलाहकार बोर्ड (एडवाइज़री बोर्ड) द्वारा किया जाएगा । इस बोर्ड का गठन कुछ इस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है :

i. फंड के कॉर्पस में पैसा डालने वाले विकास कार्य से जुड़े हर संगठन के 2 प्रतिनिधि (वे संगठन जिन्होंने निर्धारित कॉर्पस का कम से कम 25% फंड में डाला हो)
ii. प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का 1 प्रतिनिधि
iii. जन कल्याण से जुड़े संगठनों का 1 प्रतिनिधि
iv. एनपीओ समुदाय के 2 सदस्य

बाद वाली दो श्रेणियों के सलाहकारों के लिए, एक चयन प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी । नाबार्ड सलाहकार बोर्ड को सचिवीय सेवाएँ (सेक्रेटेरियल सर्विसेज़) प्रदान करेगा ।

सीबीएफ का इस्तेमाल तो एनपीओ को यह समझाने में किया जाएगा कि प्रक्रियाएँ क्या होंगी [जैसे रजिस्ट्रीकरण, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) और प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी अपेक्षाएँ], कौन-कौन से लिखत (इंस्ट्रूमेंट) होंगे [जैसे डीआईबी, एसआईएफ / एसवीएफ], और अन्य हितधारक (स्टेकहोल्डर) कौन होंगे (जैसे पैसा लगाने वाले / निवेशक और

सोशल ऑडिटर तथा इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरी) । यह सब जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके किया जाएगा, जिसका खाका सीबीएफ के तहत बनाया जाएगा और फिर जरूरत के हिसाब से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे । ये कार्यक्रम आउटसोर्सिंग करवाकर भी आयोजित किए जा सकेंगे । इन कार्यक्रमों में, जो एनपीओ (जिनमें छोटे-छोटे और नए-नए एनपीओ भी शामिल हैं) "रजिस्टर होने के लिए तैयार हों या लगभग तैयार हों", वे:

i. एसएसई, उसके घटकों, लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स), हितधारकों (स्टेकहोल्डर), पात्रता संबंधी मानदंडों, प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी अपेक्षाओं, आदि के बारे में जानेंगे

ii. योजना बनाने के बारे में जानेंगे

iii. पैसों (फंड) के कारगर ढंग से और कुशलतापूर्वक इस्तेमाल के बारे में जानेंगे

iv. इस बारे में जानेंगे कि समाज को कितना फायदा पहुँचाना है इसका आकलन करने के बाद ही और साथ ही यह जानकारी सभी तक उसी प्रकार पहुँचाने के बाद ही पैसा जुटाया जाए, जैसे कंपनी द्वारा दूसरे मामलों में पहुँचाई जाती है

v. सदस्यों की संख्या बढ़ाने (यदि जरूरी हो) के बारे में जानेंगे

vi. तकनीक अपनाने और उसे उन्नत बनाने के बारे में जानेंगे

vii. इस बारे में जानेंगे कि कार्यप्रणाली आदि में सुधार कैसे लाया जाए [जैसे बाहरी विशेषज्ञों (जैसे तकनीक के जानकार) तथा सलाहकारों की सहायता लेकर]

viii. इस बारे में जानेंगे कि वित्तीय विवरणों की और एमआईएस रिपोर्टिंग की व्यवस्था कैसे निर्धारित की जाए

ix. मानव संसाधन विकास के बारे में जानेंगे

x. इस बारे में भी जानेंगे कि यह योजना भी बनाई जाए कि आगे कामकाज कौन संभालेगा

सीबीएफ के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से उन एनपीओ को फायदा होगा जो एसएसई की रजिस्ट्रीकरण संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करते हों, और साथ ही उन एनपीओ को भी फायदा होगा जो "*एसएसई के यहाँ रजिस्टर होना चाहते हों*" ।

जो एनपीओ एसएसई के यहाँ रजिस्टर होना चाहते हों, वे ऐसे एनपीओ होते हैं - जो कम से कम 2 वर्ष पहले बने हों, तथा जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 25 लाख रुपये खर्च किए हों और पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान दान आदि के रूप में कम से कम 5 लाख रुपये जुटाए हों । यदि एसएसई के यहाँ रजिस्टर होने के संबंध में एनपीओ हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों में बदलाव होते हैं, तो *एसएसई के यहाँ रजिस्टर होने की इच्छा रखने वाले एनपीओ* के इन मानदंडों में भी फेरबदल किए जा सकते हैं ।

इसके अलावा, इन कार्यक्रमों के लिए तैयार की गई सामग्री अन्य सभी एनपीओ (फिर चाहे वे एसएसई के यहाँ रजिस्टर हुए हों या न हुए हों) के लिए और साथ ही एफपीई के लिए तथा सभी के लिए उपलब्ध (पब्लिक डोमेन में) रहेगी ।

वैसे तो सीबीएफ का इस्तेमाल खासकर एनपीओ के लिए ही किया जाएगा, किंतु शुरुआती दिनों में इसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की होगी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय भागीदारी रहे और इस प्रकार सोशल स्टॉक एक्सचेंज रफ्तार पकड़े । इसीलिए, सीबीएफ एनपीओ के अलावा दूसरे हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए भी जागरूकता कार्यक्रमों का खाका तैयार करेगा, और इस प्रकार वह ऐसे कार्यक्रम खासकर पैसा लगाने वालों (फंडर) और निवेशकों के लिए तैयार करेगा, जिनमें उन्हें समाज कल्याण की जरूरतों और चुनौतियों से अवगत कराया जाएगा और साथ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए समाज कल्याण के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों में कैसे योगदान दिया जा सकता है इसकी भी उन्हें जानकारी प्रदान की जाएगी, और इस तरह से एनपीओ और एफपीई दोनों के प्रति उनमें दिलचस्पी पैदा की जा सकेगी ।

सीबीएफ एनआईएसएम जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम नि:शुल्क आयोजित करेगा, किंतु जिन कार्यक्रमों में एफपीई भी हिस्सा ले रहे हों उन कार्यक्रमों के मामले में सीबीएफ एफपीई से उतनी फीस ले सकेगा जितनी सलाहकार बोर्ड द्वारा तय

की जाए । सीबीएफ की यह भी जिम्मेदारी है कि वह एक्सचेंजों और मर्चेंट बैंकरों के साथ मिलकर यह तय करे कि एसएसई के यहाँ रजिस्टर होने के लिए और सूचीबद्ध (लिस्ट) होने के लिए कितनी फीस ली जाए, और यह फीस कम ही रखी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटिटियाँ एसएसई के प्लेटफॉर्म पर आ सकें । हो सकता है कि कुछ छोट-छोटे और नए-नए एनपीओ को यह फीस अदा करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़े, जिसके लिए प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को फंड का 5% मिलेगा । इस प्रकार फीस अदा करने के लिए एनपीओ को आर्थिक सहायता के रूप में जितनी भी रकम एक्सचेंजों द्वारा अदा की गई हो, उसकी भरपाई (निर्धारित रकम की सीमा तक) एक्सचेंजों को कर दी जाएगी [बशर्ते कि वे एनपीओ सूचीबद्ध (लिस्ट) हो चुके हों], और जैसा सलाहकार बोर्ड द्वारा तय किया जाए । छोट-छोटे और नए-नए एनपीओ को प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) और सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से संबंधित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है ।

सीबीएफ का इस्तेमाल कितना कारगर रहा, इसे इन 3 पैमानों के आधार पर आंका जा सकता है:

i. एसएसई के प्लेटफॉर्म पर कितने एनपीओ या लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) सूचीबद्ध (लिस्ट) हुए
ii. जो एनपीओ सूचीबद्ध हुए, उन्होंने कितना पैसा जुटाया
iii. एसएसई के जरिए कितने निवेशकों ने पैसा लगाया (एनपीओ या एफपीई दोनों में से किसी के लिए भी)

2 वर्ष बाद सीबीएफ की समीक्षा की जा सकेगी, ताकि यदि इसके संबंध में कोई बदलाव आदि करने जरूरी लगें तो उनके संबंध में निर्णय लिया जा सके ।

3.3 सोशल ऑडिटर और इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरी

3.3.1 सोशल ऑडिटर

तकनीकी समूह के अनुसार सोशल ऑडिट करवाते समय दो तरह के ऑडिट करवाए जाएँ: पहला वित्तीय विवरणों का ऑडिट और दूसरा इसका ऑडिट कि समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया । दूसरे वाले ऑडिट में यह भी देखा जाएगा कि समाज को कितना फायदा पहुंचा (सोशल इम्पैक्ट कितना रहा) । सोशल ऑडिट की इस परिभाषा

के मद्देज़र, सोशल ऑडिट दो तरह के ऑडिटरों से करवाए जाए: पहला वित्तीय विवरणों का ऑडिटर और दूसरा_सोशल ऑडिटर । वित्तीय विवरणों का ऑडिट तो केवल वित्तीय विवरणों के ऑडिटर से ही करवाया जाए, लेकिन सोशल ऑडिट दोनों ही तरह के ऑडिटर (वित्तीय विवरणों के ऑडिटर और सोशल ऑडिटर) कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास जरूरी योग्यता और प्रमाणपत्र हों।

<u>पात्रता</u>

वित्तीय विवरणों के ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) होंगे, जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की ओर से प्रदान किया गया 'व्यवसाय का प्रमाणपत्र' (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैकटिस) हो, और वे सोशल ऑडिट (जिसमें वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी शामिल है) करने की जिम्मेदारी उठा सकते हों, बशर्ते कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) से कोर्स किया हो और उस कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाणपत्र भी हासिल कर लिया हो ।

इस कोर्स के जरिए सीएसआर से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी, और इस कोर्स में मानविकी (ह्यूमैनिटीज़) और समाज-शास्त्र (सोशल साइंस) के विभिन्न विषय होंगे । इस कोर्स का और इस कोर्स की परीक्षा का खाका इस तरह से बनाया जाएगा कि उनमें समाज कल्याण के हर पहलू का समावेश हो, ताकि कोर्स करने वालों में समाज के प्रति संवेदनशीलता की भावना पैदा की जा सके । इस कोर्स और परीक्षा का खाका तैयार करते समय, एनआईएसएम इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों, आदि का सहयोग ले सकता है ।

ऐसे व्यक्ति, फर्में या संस्थाएँ, जो वित्तीय विवरणों के ऑडिटर न हों और जो सोशल ऑडिट करना चाहते हों, उन्हें एनआईएसएम का कोर्स भी उत्तीर्ण करना होगा । इसके अलावा, यह जरूरी होगा कि यदि ऑडिटर व्यक्ति हो तो उसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ एवं अनुभव हो या फिर यदि ऑडिटर फर्में या संस्थाएँ हों तो वे ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करें जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ एवं अनुभव हो:

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर की डिग्री और विकास कार्य के क्षेत्र (डेवलपमेंट सेक्टर) में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव, या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की डिग्री और विकास कार्य के क्षेत्र (डेवलपमेंट सेक्टर) में कम से कम 6 वर्षों का अनुभव, या

iii. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके पास उपयुक्त प्रमाणपत्र आदि हों और विकास कार्य के क्षेत्र (डेवलपमेंट सेक्टर) में कम से कम 6 वर्षों का अनुभव ।

शुरुआती दौर में, केवल सोशल ऑडिट के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली प्रतिष्ठित फर्मों / संस्थाओं को ही सोशल ऑडिट करने की अनुमति दी जाए । एसआरओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बनने के बाद जल्द ही सबसे पहले फर्मों / संस्थाओं के संबंध में मानदंड निर्धारित करेगा और उनकी सूची भी तैयार करेगा, और उन फर्मों / संस्थाओं को एसआरओ के यहाँ रजिस्टर होना होगा ।

<u>सोशल ऑडिटरों के लिए एसआरओ</u>

आईसीएआई ने पिछले कुछ वर्षों में सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में काफी काम किया है । आईसीएआई ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का भी गठन किया है, जिसका कार्य है - दुनियाभर में इस क्षेत्र में क्या चल रहा है उसकी समीक्षा करना और सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना । इसके अलावा, इस तथ्य पर गौर करते हुए कि आईसीएआई सबसे अच्छी तरह से ऑडिटरों को विनियमित (रेग्यूलेट) कर सकता है और इसके पास पर्याप्त सुविधाएँ हैं तथा इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई है, इसीलिए सोशल ऑडिटरों के एसआरओ की जिम्मेदारी आईसीएआई को सौंपी जा सकती है, और इसके लिए एक अलग सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टरेट बनाया जा सकता है ।

यह प्रस्ताव है कि एसआरओ के शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) में निम्नानुसार बारह सदस्य हों:

i. समाज कल्याण के अलग-अलग क्षेत्रों के सदस्य ।

ii. ऐसे सदस्य जो विशेषज्ञ हों और जिन्हें समाज कल्याण के एक से अधिक क्षेत्रों का अनुभव हो ।

iii. आईसीएआई / सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की सेन्ट्रल काउंसिल के सदस्य, जिन्हें अपेक्षित अनुभव हो ।

इसके अलावा, जो भी विनियामक (रेग्यूलेटरी) ढाँचा बने उसके तहत अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलग से विभाग आदि (डिसिपलिनरी बेंच) भी बनाए जाएँ, ताकि जो भी सोशल ऑडिटर रजिस्टर हुए हों वे पूरी-पूरी नैतिकता बरतते हुए पेशेवर ढंग से अपने कार्य करें ।

<u>एसआरओ के कार्य</u>

एसआरओ सोशल ऑडिटरों की सूची बनाएगा और उसके प्रमुख कार्य इस प्रकार होंगे:

i. जो सोशल ऑडिटर निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करें, उन्हें रजिस्टर करना ।
ii. सोशल ऑडिटरों को सूची में शामिल किए जाने हेतु मानदंड निर्धारित करना, और जो सोशल ऑडिटर अपेक्षित मानदंड (जिनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं - फर्म में योग्यता रखने वाले सोशल ऑडिटर की संख्या, संबंधित क्षेत्र का अनुभव, आदि) पूरे करें उनकी अलग-अलग श्रेणी बनाना ।
iii. जो सोशल ऑडिटर रजिस्टर हुए हों वे पेशेवर ढंग से अपने कार्य करें, इसके लिए मानदंड निर्धारित करना; और साथ ही इस पर नज़र रखना वे अपना कामकाज कैसा कर रहे हैं ।
iv. जो सोशल ऑडिटर इसके सदस्य हों, उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना ।
v. एसआरओ द्वारा उसकी उप-विधियों (बाय-लाज़) में निर्धारित तय किए गए किसी आधार पर सोशल ऑडिटर की सदस्यता को निलंबित या रद्द करना ।
vi. अपने कार्यों की जानकारी, अपने सदस्यों की सूची, उसके सदस्यों ने कामकाज कैसा किया उसकी जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी प्रकाशित करना, जैसा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में बताया जाए ।

तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 में आवश्यक संशोधन (यदि करने जरूरी हों) किए जा सकते हैं, ताकि सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टरेट उपरोक्तानुसार अपने कार्य कर सके ।

एसआरओ द्वारा सोशल ऑडिटरों की सूची बनाना

सभी सोशल ऑडिटरों को स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की सूची में शामिल होना होगा । सोशल ऑडिटरों को इस सूची में इन मानदंडों के आधार पर शामिल किया जाएगा:

i. सोशल ऑडिट करने में व्यक्ति / फर्म / संस्था को कितना अनुभव है [यदि ऐसे व्यक्ति / फर्म / संस्था को समाज कल्याण (सोशल सेक्टर) के क्षेत्र का भी अनुभव होगा, तो उसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी]

ii. (फर्म / संस्था के मामले में) उन भागीदारों / कर्मचारियों की संख्या, जो सोशल ऑडिटर के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करते हों

iii. (फर्म / संस्था के मामले में) भागीदारों / कर्मचारियों की संख्या

iv. यदि ऐसे व्यक्ति / फर्म / संस्था के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई आदि की गई हो, तो उसे कम तरजीह दी जाएगी ।

इसके अलावा, एसआरओ और मानदंड भी निर्धारित कर सकता है - जैसे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भांति अंक दिए जाने की व्यवस्था के बारे में (सीएजी की इस व्यवस्था के बारे में और जानने के लिए कृपया संलग्नक-6 देखें); जिस एंटिटी / परियोजना (प्रोजेक्ट) में पैसा लगाया जा रहा हो, उसके कार्यों के आकार, स्वरूप और कार्यों के दायरे के बारे में; समाज कल्याण के किसी क्षेत्र विशेष (जैसे पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन) में अनुभव आदि के बारे में ।

इस प्रकार सूची में शामिल किए जाने के संबंध में निर्धारित किए गए समस्त मानदंडों में समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं । हालाँकि, सोशल ऑडिटर (व्यक्ति / फर्म / संस्था, जिसका उल्लेख यहाँ आगे "फर्म" के रूप में किया गया है) के रूप में सूची में शामिल होने के लिए कुछ मानदंड तो रहेंगे:

i. फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चले, इसके लिए फर्म इस बात की पूरी पुष्टि कर ले कि वह और उसके कर्मचारी पेशेवर ढंग से कार्य किए जाने के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों और साथ ही विनियामक (रेग्यूलेटरी) अपेक्षाओं और कानूनी प्रावधानों आदि का पालन करते हैं । यही नहीं, बल्कि फर्म या उससे जुड़े भागीदार (भागीदारों) द्वारा सही रिपोर्टें जारी की जाती हैं । फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए फर्म कई बातों (जैसे उसका आकार, उसका ढाँचा और उसका कामकाज कैसे चलता है) को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकती है ।

ii. फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चले, इसके लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए:

क. फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चले, इसे सुनिश्चित करने का जिम्मा कौन लेगा - फर्म जो भी कार्य अपने हाथ में ले, उन्हें सही ढंग से पूरे करने की अहमियत को समझते हुए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करे। इसके लिए यह जरूरी है कि फर्म के मैनेजिंग पार्टनर (या ऐसे ही किसी दूसरे ओहदे पर बैठे व्यक्ति) इसका पूरा जिम्मा अपने हाथों में लें ।

ख. नैतिकता से कार्य करना - फर्म अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते समय इस बात की पूरी पुष्टि कर ले कि वह और उसके कर्मचारी नैतिकता से कार्य किए जाने के संबंध में निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन करते हैं ।

ग. नए ग्राहक बनाना तथा आगे भी उन्हें सेवाएँ प्रदान करना और नए कार्य हाथ में लेना तथा आगे भी लेते रहना - नए ग्राहक बनाने तथा आगे भी उन्हें सेवाएँ प्रदान करने और नए कार्य हाथ में लेने तथा आगे भी लेते रहने के संबंध में फर्म अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते समय इस बात की पूरी पुष्टि कर ले कि वह नए ग्राहक तभी बनाएगी या आगे भी तभी उन्हें सेवाएँ प्रदान करेगी और नए कार्य तभी हाथ में लेगी या आगे भी तभी लेती रहेगी, जब वह इस बात से आश्वस्त हो जाए कि - ग्राहक ईमानदार है और उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे

ग्राहक की ईमानदारी को लेकर कोई सवाल खड़ा हो सकता हो; वह जो कार्य हाथ में ले रही है उसे पूरा करने में सक्षम है और उसके पास इस कार्य को पूरा करने की क्षमता भी है, समय भी है तथा साधन भी हैं; और वह नैतिकता से कार्य किए जाने के संबंध में निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन कर सकती है ।

घ. मानव संसाधन - फर्म अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते समय इस बात की पूरी पुष्टि कर ले कि उसके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, जो फर्म द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों को सक्षमता से पूरा कर सकते हैं और साथ ही पेशेवर ढंग से कार्य किए जाने के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों और विनियामक (रेग्यूलेटरी) अपेक्षाओं और कानूनी प्रावधानों आदि के अनुरूप अपने कार्य नैतिकता से पूरे कर सकते हैं । यही नहीं, बल्कि उनकी सहायता से फर्म या उससे जुड़े भागीदार (भागीदारों) द्वारा सही रिपोर्टें जारी की जा सकती हैं ।

ङ. हाथ में लिए गए कार्य पूरे करना - फर्म अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते समय इस बात की पूरी पुष्टि कर ले कि हाथ में लिए गए सभी कार्य पेशेवर ढंग से कार्य किए जाने के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों और विनियामक (रेग्यूलेटरी) अपेक्षाओं और कानूनी प्रावधानों आदि के अनुरूप पूरे किए जाएँ, और साथ ही इस बात की भी पूरी पुष्टि कर ले कि फर्म या उससे जुड़े भागीदार द्वारा सही रिपोर्टें जारी की जाती हैं ।

च. निगरानी - फर्म अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते समय इस बात की पूरी पुष्टि कर ले कि फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चलने के संबंध में जो नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं वे सही हैं तथा पर्याप्त हैं और साथ ही उन्हें सही ढंग से अमल में लाया जा रहा है । ये नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते समय यह प्रावधान भी रखा जाए कि फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चल रहा है या नहीं इसका भी लगातार आकलन किया जाए और इस पर लगातार नज़र भी रखी जाए, जिसके लिए पूरे किए गए कार्यों में से कुछ कार्यों के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण किए जाएँ ।

iii. फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चले, इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और इनकी जानकारी फर्म के कर्मचारियों को दी जाएगी । इस प्रकार दी जाने वाली जानकारी में लक्ष्यों की जानकारी भी दी जाएगी, और जिसमें यह भी बताया जाएगा कि फर्म का कामकाज पूरी तरह से सही ढंग से चले इसके लिए हर कोई निजी तौर पर जिम्मेदार होगा और उससे यह भी उम्मीद रहेगी कि वह इन नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करे ।

सोशल ऑडिटरों के संबंध में एश्योरेन्स फ्रेमवर्क, ऑडिट करने से संबंधित मानदंड और आचार-संहिता

सोशल ऑडिटर वित्तीय विवरणों का ऑडिट और सोशल ऑडिट एश्योरेन्स फ्रेमवर्क के अनुसार करेंगे । वे वित्तीय विवरणों का ऑडिट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए मानदंडों (Engagement and Quality Control Standards) के अनुसार करेंगे । चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भी इन्हीं मानदंडों के अनुसार ऑडिट करते हैं, समीक्षा करते हैं, एश्योरेन्स आदि देते हैं ।

समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी रिपोर्टिंग (इम्पैक्ट की रिपोर्टिंग) के संबंध में, आईसीएआई के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा सोशल ऑडिट के संबंध में जारी किए जाने वाले मानदंड अपनाए जाएँगे । समाज को कितना फायदा पहुंचा इसकी रिपोर्टिंग के एश्योरेन्स के सभी पहलुओं को इस प्रकार निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों में शामिल किया जाएगा, जिसमें शामिल है - उसका दायरा क्या रहेगा, कोई कार्य हाथ में लेते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मूलभूत सिद्धाँत क्या होंगे, ऑडिट के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, एश्योरेन्स रिपोर्ट कैसी होगी, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी, आदि-आदि (अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्नक-4 देखें) ।

दुनियाभर में अपनाई जा रही पद्धतियों के आधार पर और हमारे देश में जो आचार-संहिताएँ निर्धारित हैं उनके आधार पर, सोशल ऑडिटरों के लिए अलग से एक आचार संहिता बनाई जा रही है । प्रस्ताव है कि इस आचार-संहिता में इन बातों का जिक्र

अवश्य हो कि सोशल ऑडिटर अपना कार्य करते समय पूरी ईमानदारी बरतेंगे, पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे, पेशेवर की हैसियत से पूरी सक्षमता से कार्य करेंगे, पूरी-पूरी सावधानी बरतेंगे, पूरी तत्परता बरतेंगे और साथ ही गोपनीयता भी बनाए रखेंगे (अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्नक-5 देखें) ।

3.3.2 इन्फॉर्मेशन रिपॉज़िटरी (आईआर)

यदि आईआर की बात करें, तो ये भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं । वर्तमान में, आईआर एनजीओ के संबंध में सूचना के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करते हैं, और एक ऐसा डाटाबेस बनाते हैं जिसमें जानकारी ढूंढी जा सकती है और उसकी तुलना भी की जा सकती है । तकनीकी समूह ने इस संबंध में विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि चूँकि अभी ये अपने शुरुआती दौर में हैं इसलिए , फिलहाल इनके लिए कोई कानूनी प्रावधान न बनाया जाए । बाद में उनकी भूमिका कैसी रहेगी उसके आधार पर ही, उनके संबंध में विनियम (रेग्यूलेशन) बनाए जा सकते हैं, ताकि उनकी भूमिका, उनके कार्यों, उनकी संरचना और ऐसे अन्य पहलुओं (जो भी ठीक समझे जाएँ) को विनियमित (रेग्यूलेट) किया जा सके ।

4 प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) और रिपोर्टिंग

4.1 मानकीकरण

यह जरूरी है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आने वाले सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइज़) को कानूनी प्रावधानों के दायरे में लाकर उनके लिए प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) और रिपोर्टिंग के संबंध में एक जैसी अपेक्षाएँ निर्धारित की जाएँ । ऐसा करने के पीछे मकसद यही है कि जितने भी सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइज़) सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर / सूचीबद्ध हुए हों, वे अपना कार्य कैसा कर रहे हैं और कितनी प्रगति कर रहे हैं उसके बारे में सही-सही और जरूरी जानकारी मिल पाए।

एक बार जब एफपीई या एनपीओ अपनी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) करवा लें और एक्सचेंज द्वारा स्पष्ट रूप से उसे एसई का दर्जा दे दिया जाए (या फिर

एक बार जब एनपीओ किसी भी एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर हो जाए किंतु वह अपनी कोई भी प्रतिभूति सूचीबद्ध न करवाए), तो उसके लिए यह जरूरी है कि वह उपरोक्तानुसार प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) और रिपोर्टिंग के संबंध में निर्धारित की जाने वाली अपेक्षाओं का पालन अवश्य करे, ताकि उसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेशन) / उसकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) कायम रहे । इन अपेक्षाओं को मौटे तौर पर दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है, अर्थात् (क) सामान्य जानकारी, संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया जा रहा है उसकी जानकारी और वित्तीय स्थिति की जानकारी देने के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) और (ख) समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी रिपोर्टिंग (सोशल इम्पैक्ट की रिपोर्टिंग) । समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी रिपोर्टिंग केवल उन्हीं एफपीई और एनपीओ को करनी होगी, जिन्होंने अपनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) [अर्थात् ज़ेडसीज़ेडपी बॉण्ड, और धारा 8 के तहत बनी कंपनियों के मामले में इक्विटी] को सूचीबद्ध करवाया हो ।

4.2 सामान्य जानकारी, संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया जा रहा है उसकी जानकारी और वित्तीय स्थिति की जानकारी देने के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि एफपीई और एनपीओ के लिए अलग-अलग अपेक्षाएँ निर्धारित की जाएँ, क्योंकि न तो कानूनी तौर पर उनका स्वरूप एक जैसा है और न ही उनकी लेखा (अकाउंटिंग) पद्धतियाँ एक जैसी हैं । यही वजह है कि एनपीओ और एफपीई दोनों के द्वारा सामान्य जानकारी, संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया जा रहा है उसकी जानकारी और वित्तीय स्थिति की जानकारी देने के संबंध में किए जाने वाले प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) के बारे में आगे अलग-अलग से चर्चा की गई है ।

जहाँ तक वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किए जाने का सवाल है, तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि जिन एफपीई और एनपीओ की निर्गम (इश्यू) के बाद की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) 25 करोड़ रुपये से अधिक हो, उनके लिए यह जरूरी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स / Ind AS) का पालन करें । बाकी के एफपीई और एनपीओ [अर्थात्, उन्हें छोड़कर जिनकी निर्गम (इश्यू) के बाद की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) 25 करोड़ रुपये से अधिक हो, और जिनकी निर्गम (इश्यू) के बाद की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) 25 करोड़ रुपये से तो कम हो किंतु जो

भारतीय लेखा मानकों का पालन कर रहे हों] के लिए यह जरूरी है कि वे आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों का पालन करें । आईसीएआई ने लेखांकन पद्धतियों (अकाउंटिंग प्रैक्टिस) [जिनका पालन विभिन्न एनपीओ द्वारा किया जाता है] को सभी के लिए एक जैसा करने के लिए वर्ष 2009 में एक मार्गदर्शिका ("Technical Guide on Accounting for Not-for-Profit Organisations") भी जारी की थी । इसलिए, तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि आईसीएआई द्वारा इसमें जरूरी बदलाव आदि कर लिए जाएँ । इसके अलावा, आईसीएआई यह अनिवार्य कर दे कि उसके सभी सदस्य, सभी एनपीओ के वित्तीय विवरणों के संबंध में एश्योरेन्स देते समय, लेखा मानकों के पालन की पुष्टि कर लिया करें ।

4.2.1 एनपीओ के लिए

तकनीकी समूह की यह सिफारिश है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर हुए सभी एनपीओ [फिर चाहे उन्होंने प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध करवाया हो या न करवाया हो] के लिए उपरोक्तानुसार सामान्य जानकारी, संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया जा रहा है उसकी जानकारी और वित्तीय स्थिति की जानकारी देने के संबंध में किए जाने वाले प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) के संबंध में न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए जाएँ, जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जा सके और उन्हें समय के साथ-साथ और बेहतर बनाया जा सके । ये मानदंड सभी प्रकार के एनपीओ [फिर चाहे वह धारा 8 के तहत बनी कंपनी हो, न्यास (ट्रस्ट) हो या सोसाइटी हो] पर लागू हों और ये प्रकटीकरण नीचे सारणी 4.1 के अनुसार प्रत्येक वर्ष किए जाएँ ।

<u>सारणी 4.1 एनपीओ (फिर चाहे वह रजिस्टर हुआ हो या सूचीबद्ध हो) द्वारा प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले प्रकटीकरण</u>

सामान्य जानकारी	लक्ष्य क्या था, क्या-क्या कार्य किए गए और कार्यों का दायरा क्या रहा
संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया	किस रूप में एनपीओ बना हुआ है, बोर्ड और प्रबंध-मंडल की जानकारी, संगठन स्तर के जोखिमों की जानकारी (और यह भी बताया जाए कि उन्हें कैसे कम किया गया), संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेनों

जा रहा है उसकी जानकारी	(रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) की जानकारी और अन्य संबंधित जानकारी, पारिश्रमिक अदा करने के संबंध में बनाई गई नीतियों की जानकारी, हितधारकों (स्टेकहोल्डर) की शिकायतों के निवारण की जानकारी, प्रावधानों आदि के पालन की जानकारी, और प्रमाणपत्रों आदि की जानकारी ।
वित्तीय स्थिति की जानकारी	तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), आय संबंधी विवरण, वर्ष के दौरान कार्यक्रमों के अनुसार पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया उसकी जानकारी, ऑडिटर की रिपोर्ट और ऑडिटर के ब्यौरे

इनकी अधिक जानकारी संलग्नक-7 में दी गई है, तो वहीं संलग्नक-8 में विस्तार से यह बताया गया है कि इन अपेक्षाओं का पालन किस प्रकार किया जाए । यदि एनपीओ धारा 8 के तहत बनी कंपनी हो, तो संबंधित नियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (वित्तीय विवरणों से संबंधित) और अन्य संबंधित प्रावधान लागू होंगे ।

वार्षिक आधार पर जानकारी देने के अलावा, संगठन ऐसी किसी घटना की जानकारी 7 दिनों के भीतर एक्सचेंज [जिसके यहाँ वह रजिस्टर / सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो] को देगा, जिसका उसके लक्ष्यों की पूर्ति पर खासा असर पड़ सकता हो । इस प्रकार दी जाने वाली जानकारी में शामिल है - घटना के ब्यौरे, उसका कितना असर पड़ सकता है उसकी जानकारी, और इस असर को कम करने के लिए एनपीओ क्या कर रहा है उसकी जानकारी । इस तरह की घटनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं - प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति छोड़कर चले गए हों; जिन इलाकों के लिए कार्य किया जा रहा था वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हों; कानूनन कोई प्रतिबंध लग गया हो; बड़े दान देने वालों ने दान देना बंद कर दिया हो; आदि-आदि ।

4.2.2 एफपीई के लिए

इक्विटी / ऋण (डैट) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने वाला एफपीई समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी जानकारी देने (सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग करने) के अलावा जिस खंड (सेगमेंट) [जैसे मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड), एसएमई, आईजीपी, आदि] पर वह सूचीबद्ध

(लिस्ट) है उसके अनुसार भी उसे अतिरिक्त जानकारी देनी होगी (डिस्क्लोज़र करने होंगे)।

4.3 समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी रिपोर्टिंग

सामान्य जानकारी, संचालन (गवर्नेंस) कैसे किया जा रहा है उसकी जानकारी और वित्तीय स्थिति की जानकारी (जो एनपीओ और एफपीई की अलग-अलग हो सकती है) देने के संबंध में किए जाने वाले प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) के अलावा, एफपीई और एनपीओ दोनों को अपनी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने के बाद (या फिर उस एनपीओ को जो एक्सचेंज में रजिस्टर तो हुआ हो किंतु उसने अपनी प्रतिभूति को सूचीबद्ध न करवाया हो), प्रत्येक वर्ष "एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट / एआईआर" (इस बात की कि समाज को कितना फायदा पहुँचा) प्रस्तुत करनी होगी) । एंटिटी द्वारा समाज को क्या-क्या फायदा पहुँचाया गया और किन-किन लोगों को फायदा पहुँचाया गया, और जहाँ लागू हो, वहाँ प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के जरिए जुटाया गया पैसा जिस परियोजना (प्रोजेक्ट या सॉल्यूशन) में लगाया गया उससे समाज को क्या-क्या फायदा पहुँचा और किन-किन लोगों को फायदा पहुँचा, इनकी जानकारी इस रिपोर्ट में दी जाएगी । यदि एनपीओ रजिस्टर हुआ हो किंतु उसने किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को सूचीबद्ध (लिस्ट) न कराया हो, तो ऐसे में एआईआर में एनपीओ द्वारा वर्ष के दौरान चलाए गए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों या चलाई गई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी, और साथ ही एआईआर में यह भी बताया जाएगा कि उन्हें किस आधार पर ये कार्यक्रम या परियोजनाएँ महत्त्वपूर्ण लगती हैं । इसके अलावा, यदि कोई कार्यक्रम सूचीबद्ध करवाई हुई प्रतिभूति (लिस्टिड सिक्यूरिटी) के जरिए जुटाए गए पैसे से चलाया जाता है, तो उसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाएगा ।

जहाँ एसवीएफ / एसआईएफ की सूचीबद्ध हुई यूनिटों के जरिए जुटाया गया पैसा एनपीओ के पास जाता हो, वहाँ एनपीओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर होंगे और एसवीएफ / एसआईएफ को यह रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि कुल मिलाकर समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया, और इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किन संस्थाओं में निवेश किया गया / को दान दिया गया । इसी प्रकार, एसवीएफ के माध्यम से पैसा जुटाने वाले एफपीई को प्रत्येक वर्ष "*एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट / एआईआर*" (इस बात की कि कुल मिलाकर समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया) तैयार करनी होगी,

और इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किन संस्थाओं में निवेश किया गया / को दान दिया गया ।

एआईआर में नीचे सारणी 4.2 के अनुसार जानकारी अवश्य दी जाए ।

<u>सारणी 4.2: समाज को कितना फायदा पहुँचा इसके संबंध में सभी सामाजिक उद्यमों (एसई) द्वारा प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली जानकारी</u>

लक्ष्य और योजना	
1	संगठन द्वारा और/या सूचीबद्ध हुई लिखत (लिस्टिड इंस्ट्रूमेंट) के जरिए जुटाए गए पैसे से कौन-सी सामाजिक समस्या आदि को दूर करने की योजना है? क्या इसमें पिछले वर्ष कोई बदलाव आया है?
2	संगठन समस्या को कैसे दूर करेगा या उस समस्या को दूर करने की उसकी क्या योजना है? क्या इसमें पिछले वर्ष कोई बदलाव आया है?
3	फायदे किसे पहुँचाना है? क्या इसमें पिछले वर्ष कोई बदलाव आया है?
4	कार्यक्रम का क्या नतीजा होगा? साथ ही यह भी बताया जाए कि कार्यक्रम का क्या सकारात्मक प्रभाव रहेगा और क्या नकारात्मक प्रभाव रहेगा ।
समस्या को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए	
1	परियोजना (प्रोजेक्ट) / कार्यक्रम की शुरुआत में और पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हालात क्या थे / हालात का जायज़ा लेने पर क्या पाया गया?
2	पहले कैसा कार्य किया? (यदि जरूरी हो)
3	समस्या को दूर करने के लिए क्या योजना बनाई गई, और कार्यक्रम से समाज को फायदा पहुँचता रहे इसके लिए क्या उपाय किए गए? आपने समस्या को दूर करने की जो योजना बनाई थी, उसमें क्या पिछले एक वर्ष के दौरान कोई बड़ा बदलाव किया गया?
4	कृपया संक्षेप में यह बताएँ कि आपका कार्यक्रम एसडीजी / केन्द्रीय सरकार की प्राथमिकताओं / राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं / विकास कार्यों से जुड़ी प्राथमिकताओं के अनुरूप चलाया गया ।

5	इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आपने हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के फीडबैक के मद्देनज़र क्या कदम उठाए?
6	आप समाज को जो फायदा पहुँचाना चाहते थे, उसमें पिछले वर्ष सबसे बड़े जोखिम क्या रहे? आप इन जोखिमों को कैसे कम कर रहे हैं?
समाज को कितना फायदा पहुंचा उसकी जानकारी (इम्पैक्ट स्कोरकार्ड)	
1	आपने क्या आंका और रुझान क्या रहा?
2	जिन्हें फायदा पहुँचाना था उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कितना फायदा पहुँचाया गया, इसके संक्षिप्त ब्यौरे दें ।
3	सर्वेक्षण करके और फीडबैक आदि लेकर लाभार्थियों / हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से इस बात की पुष्टि करना कि फायदा पहुँचा है ।

संलग्नक-9 में एआईआर में दी जाने वाली हर जानकारी के बारे में विस्तार से बताया गया है और संलग्नक-10 में शिक्षा क्षेत्र के कुछ सूचक (इंडिकेटर) बताए गए हैं, और यह दिखाया गया है कि इम्पैक्ट स्कोर कार्ड तैयार करते समय उन सूचकों का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है । एनपीओ और एफपीई यह आंकने के लिए कि समाज को कितना फायदा पहुँचा ऐसा कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जिसका जिक्र सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में सेबी द्वारा गठित कार्य-दल द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गई रिपोर्ट में किया गया है ।

संलग्नक-1: सामाजिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों का वर्गीकरण

सामाजिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों की एक उदाहरण सूची नीचे दी गई है। उप-क्षेत्रों को परिभाषित करने का दायरा असीमित है और इसलिए यहां व्यापक शब्दों को शामिल किया गया है।

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
1	भूख, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन; स्वास्थ्य देखभाल (मानसिक स्वास्थ्य सहित) और स्वच्छता को बढ़ावा देना; और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	भूखमरी को समाप्त करना और सभी लोगों, विशेष रूप से गरीबों और शिशुओं सहित कमजोर परिस्थितियों में लोगों तक पूरे वर्ष सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
		कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना और किशोर लड़कियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना
		हर जगह सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन, जिसे वर्तमान में $ 1.25 प्रति दिन से कम पर रहने वाले लोगों के रूप में मापा जाता है
		सभी के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और उपाय लागू करना
		गरीबों और कमजोर परिस्थितियों में उनके लचीलेपन का निर्माण करना और जलवायु से संबंधित चरम घटनाओं और अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय खतरों और आपदाओं के लिए उनके जोखिम और भेद्यता को कम करना।
		आयु, लिंग, विकलांगता, नस्ल, जातीयता, मूल, धर्म या आर्थिक या अन्य स्थिति के बावजूद सभी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेश को सशक्त करना और बढ़ावा देना
		नियोजित और अच्छी तरह से प्रबंधित प्रवासन नीतियों के कार्यान्वयन सहित लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवास और गतिशीलता को सुगम बनाना
		मातृत्व के दौरान मृत्यु अनुपात में कमी
		नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को कम करना
		एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारियों को समाप्त करना और हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करना
		रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से समय से पहले मृत्यु दर में कमी और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
		मादक द्रव्यों के सेवन और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार को सुदृढ़ बनाना
		सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों में कमी
		परिवार नियोजन, सूचना और शिक्षा, और राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य के एकीकरण सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
		वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच और सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य का विस्तार करना
		तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना
		स्वास्थ्य वित्त पोषण और स्वास्थ्य कार्यबल की भर्ती, विकास, प्रशिक्षण और प्रतिधारण बढ़ाना
		सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल तक सार्वभौमिक और समान पहुंच प्रदान करना
		सभी के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता और सफाई तक पहुंच प्राप्त करना और खुले में शौच को समाप्त करना, महिलाओं और लड़कियों और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना
		प्रदूषण को कम करके पानी की गुणवत्ता में सुधार, डंपिंग को समाप्त करना और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों के निकास को कम करना, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करना और रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुन: उपयोग में काफी वृद्धि करना
		सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का कार्यान्वयन
2	शिक्षा, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना	सभी लड़कियों और लड़कों को मुफ्त, समान और गुणवत्ता वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करना सुनिशिचित करना जिससे प्रासंगिक और प्रभावी सीखने के परिणाम प्राप्त हों
		सभी लड़कियों और लड़कों के गुणवत्ताफरक प्रारंभिक बाल विकास, देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच को सुनिशिचित करना ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें
		विश्वविद्यालय सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना
		रोजगार, अच्छी नौकरियों और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सहित प्रासंगिक कौशल रखने वाले युवाओं और

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
		वयस्कों की संख्या में वृद्धि करना
		सभी युवा पुरुषों और महिलाओं के में साक्षरता अनुपात में संख्यात्मकता वृद्धि करना।
		ऐसी शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन करना जो बच्चों, विकलांगों के लिए और लिंग संवेदनशील हों और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करना।
		योग्य शिक्षकों के कार्यबल में वृद्धि
		वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करना
		विकासोन्मुखी नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, अच्छे रोजगार सृजन, उद्यमशीलता, रचनात्मकता और नवाचार का समर्थन करती हैं
		छोटे पैमाने के कारीगर मछुआरों को समुद्री संसाधनों और बाजारों तक पहुंच प्रदान करना।
		रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं रहने वाले युवाओं के अनुपात को कम करना।
		बलात् श्रम को समाप्त करने, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना और बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के निषेध और उन्मूलन करना।
		श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना और प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों, और अनिश्चित रोजगार वाले सभी श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना।
		स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को तैयार करना और लागू करना जो रोजगार पैदा करता है और स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देता है
3	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं और LGBTQIA+ समुदाय का सशक्तिकरण करना	हर जगह सभी महिलाओं, लड़कियों और LGBTQIA+ समुदायों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना
		तस्करी और यौन और अन्य प्रकार के शोषण सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं, लड़कियों और LGBTQIA+ समुदायों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना।
		सभी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना, जैसे कि बाल विवाह, जल्दी और जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति
		सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
		प्रावधान और घर और परिवार के अंदर साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के माध्यम से अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम को पहचानना और महत्व देना
		राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना
		यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
4	स्थिरता सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन (शमन और अनुकूलन), वन और वन्यजीव संरक्षण को संबोधित करना	रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।
		हर जगह लोगों के पास प्रकृति के अनुरूप सतत विकास और जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता को सुनिशिचित करना।
		जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार
		स्थलीय और आंतरिक मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना।
		सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोकाना और महत्वपूर्ण रूप से कम करना। विशेष रूप से भूमि आधारित गतिविधियों से, जिसमें समुद्री मलबे और पोषक तत्व प्रदूषण शामिल हैं।
		सभी प्रकार के वनों के सतत प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को बहाल करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना
		मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित, बंजर भूमि और मिट्टी को पुनः प्राप्त करना, और भूमि क्षरण तटष्ठता को प्राप्त करने का प्रयास करना
		सतत विकास के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी जैव विविधता सहित पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना
		प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करना, जैव विविधता के नुकसान को रोकना और संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना।
5	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का	प्रदर्शन कला और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में पहल का समर्थन करना। फाउंडेशन का उद्देश्य पारंपरिक कला और शिल्प को आगे

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
	संरक्षण	बढ़ाने में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और बढ़ावा देकर भविष्य के लिए कलात्मक संसाधनों का एक पूल बनाना है।
		इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली का समर्थन करना
		सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना
		पारंपरिक और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास
6	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	खेल, प्रशिक्षण, अकादमी संस्थानीकरण और अन्य रूपों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में योगदान देना जो ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देते हैं।
7	सामाजिक उद्यमों के इन्क्यूबेटरों का समर्थन	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान
		सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।
8	धन संग्रह और क्षमता निर्माण में गैर-लाभकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाले अन्य प्लेटफार्मों का समर्थन करना	गैर-लाभकारी संस्थाओं को संस्थागत जोखिमों को कम करना, मौजूदा कार्यक्रमों को अनुकूलित करना और विकास कार्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करने वाले प्लेटफार्मों के समर्थन का प्रावधान, उनके समर्थन में रणनीति तैयार करना, संगठन के संस्थागत लचीलेपन को मजबूत करना, क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, परामर्श, सलाहकार सहायता के माध्यम से), धन संग्रह की रणनीतियों की खोज और संबंधित गतिविधियां शामिल है।

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
9	गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों और श्रमिकों की आय बढ़ाने सहित ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना	कृषि उत्पादकता और छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, किसानों, चरवाहों और मछुआरों की आय को दोगुना करना
		सतत खाद्य उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करना और उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने वाली लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना, जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को मजबूत करते हैं और भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करते हैं।
		राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से प्रबंधित और विविध बीज और पौधों के बैंकों सहित बीजों, खेती वाले पौधों और खेती और पालतू जानवरों और उनकी संबंधित जंगली प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना, और लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न।
		बलात् श्रम को समाप्त करना, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना और बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के निषेध और उन्मूलन करना।
		श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना और प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों और अनिश्चित रोजगार वाले सभी श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना।
10	स्थायी और लचीले शहरों के निर्माण के लिए स्लम क्षेत्र का विकास, किफायती आवास और अन्य हस्तक्षेप।	सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और मलिन बस्तियों का उन्नयन करना।
		सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना, कमजोर परिस्थितियों में लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।
		समुदायों को शामिल करके ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
		राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजना को मजबूत करके शहरी,

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
		उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधों का समर्थन करना।
		सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
11	राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।	आपदा के दौरान चिकित्सा सहायता, खाद्य आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सहित राहत गतिविधियाँ, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
		पुनर्वास कार्य जिसमें शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और पूर्व सनिकों के पुनर्वास और पुन: एकीकरण में सहायता के कार्यक्रम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
		पुनर्निर्माण गतिविधियां जिनमें बुनियादी ढांचे के काम (नवीनीकरण के साथ-साथ नए निर्माण), कृषि संसाधन आधार, आपूर्ति प्रणाली, संस्थानों/एजेंसियों की क्षमता निर्माण, और संबंधित गतिविधियां।
12	वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।	वंचित समुदायों/वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष जरूरतों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और जोखिम वाले किशोरों सहित क्षेत्रों को सस्ती वित्तीय सेवाओं की समान पहुंच/जागरूकता और उपलब्धता के लिए सुधार करना।
13	वंचित समुदायों के लिए भूमि और संपत्ति तक पहुंच की सुविधा।	वंचित समुदायों / वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और जोखिम वाले किशोरों सहित) के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच और समय पर उपलब्धता, और सस्ती और पर्याप्त ऋण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सुधार करना।
14	इंटरनेट और मोबाइल फोन एक्सेस में डिजिटल डिवाइड को पाटना, गलत सूचना और डेटा सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करना।	आम तौर पर विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों के लोगों, परिवारों, व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) तक पहुंच, उपयोग या प्रभाव के संबंध में असमानताओं को कम करने के लिए सुधार करना।
		वंचित समुदायों के लिए डेटा सुरक्षा और गोपनीयता में तटस्थता और समानता के वादों की वकालत करने या बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करना (एक भुगतान/लक्जरी वस्तु के बजाय डेटा संरक्षण अधिकार के रूप में)।
15	प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा	अवसर प्रदान करके स्थानीय प्रवासियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ करना और बदले में आर्थिक असमानताओं को कम करना।

#	क्षेत्र	उपक्षेत्र
	देना	

संलग्नक-2: विकास प्रभाव बॉन्ड और सोशल स्टॉक एक्सचेंज

डीआईबी एक संरचित वित्त उत्पाद है जिसमें तीन पक्ष शामिल हैं, अर्थात् सेवा प्रदाता (जो सामाजिक उद्यम है जो लक्षित लाभार्थियों को प्रभावित करने के लिए चुने हुए विकास कार्यक्रमों को लागू करता है), परिणाम निधि प्रदाता (अनुदान प्रदाता) और जोखिम निधि प्रदाता/निवेशक (जो कार्यक्रम को धन प्रदान है) और प्रदान की गई पूंजी पर किसी भी प्रतिफल के अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त करता है, जो सेवा प्रदाता द्वारा पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर निर्भर करता है)। लक्ष्य आमतौर पर पूर्व-सहमत लागत/दरों पर पूर्व-सहमत सामाजिक मीट्रिक हो सकते हैं लेकिन यह अन्य प्रकार के लक्ष्यों को रोकता नहीं है। डीआईबी डिजाइन की कुंजी विशिष्ट परिणामों और प्राप्त किए जाने वाले मेट्रिक्स के अनुसार एलाइनमेंट है, जो माप ढांचे/पद्धतियों के माध्यम से सत्यापन योग्य हैं, जिन पर सभी पार्टियां भरोसा कर सकती हैं (एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मापा जा सकता है), और बेंचमार्किंग और कार्यक्रम की लागत के अनुसार एलाइनमेंट है। डीआईबी को एक कार्यक्रम और एक सेवा प्रदाता के आसपास डिजाइन किया जा सकता है, या कार्यक्रमों के समान सेट पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पूलिंग के रूप में संरचित किया जा सकता है। प्रत्येक पक्ष की प्रेरणाएँ और भूमिकाएँ नीचे दी गई हैं।

	अभिप्रेरणा	भूमिका	उद्यम के प्रकार
सेवा प्रदाता	जमीनी स्तर पर अबाधित समन्वित कार्रवाई को प्राप्त करने के लिए, जमा और निरंतर वित्त पोषण	लक्षित लाभार्थियों के लिए सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करना	एनपीओ और/या एफपीई
लक्ष्य वित्त प्रदाता	अप्रभावी समाधानों के समर्थन के जोखिम के बिना जमीनी स्तर पर प्रभाव पैदा करने के लिए उपयोगी परियोजनाओं को निधि देना	परियोजना के वित्तपोषण के लिए निवेशक को उनकी मूल राशि का ब्याज सहित भुगतान करना	सीएसआर प्रदाता, फाउंडेशन, खुदरा निवेशक, सरकार
जोखिम के लिए धन प्रदाता/निवेशक	लक्ष्य पूरे होने पर ब्याज सहित निवेश (लगभग 4-8%) वापस पाने के लिए, या अगर वे पूरे नहीं होते हैं तो राशि का एक हिस्सा खो देते हैं	कार्यान्वयन के लिए अग्रिम पूंजी की आपूर्ति करना और परिणाम निधि द्वारा भुगतान प्राप्त करना	पूंजी बाजार विशेषज्ञता, संबन्धित संस्थाएं, जो सामाजिक बाजारों में प्रकटीकरण मानदंडों की कठोरता ला सकती हैं
स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता	उत्पन्न सामाजिक प्रभाव का सही निष्पक्ष माप प्रदान करना	परिणाम मापदंडों को निर्धारित करने के लिए, अनुबंध में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रभाव को मापना और मूल्यांकन करना	बाहरी संगठन जिनके पास विभिन्न परिणामों का मूल्यांकन और मापन करने में विशेषज्ञता हासिल

			है।
मध्यस्थ या कार्यक्रम प्रबन्धक	सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को हल करना	इच्छुक भागीदारों के अनुरूप अनुबंध की शर्तों पर बातचीत करना।	परिणाम-आधारित वित्तपोषण वाली संस्थाएं; सरकार भी हो सकती है

डीआईबी उन कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त हैं जिनके कार्यान्वयन मॉडल में पहले से ही अवधारणा का प्रमाण है, और जहां पसंद के परिणामों में अच्छी तरह से परिभाषित और मापने योग्य गुणात्मक मीट्रिक / सरोगेट हैं (अमूर्त परिणामों के विपरीत)। डीआईबी उन परियोजनाओं के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे जिनके पास पहले से कोई प्रमाणित पायलट नहीं है, या लागू करने के लिए महत्वपूर्ण नवाचार की आवश्यकता है। इसी तरह, यह उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं होगा जिनमें कई चर हैं या जहां परिणामों को सेवा प्रदाता द्वारा इनपुट/हस्तक्षेप से नहीं जोड़ा जा सकता है या जहां समाधान को लागू करने के लिए हस्तक्षेप नहीं बल्कि उत्पाद या उपकरण की आवश्यकता है। डीआईबी मार्ग अपेक्षाकृत बड़ी परियोजनाओं के लिए किफायती हो जाता है जिनमें बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। सेवा प्रदाताओं के पास निर्धारित परिणामों को यथोचित रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमता होनी चाहिए, और डीआईबी में शामिल वित्तीय संरचना के साथ आने वाली अतिरिक्त निगरानी और निरीक्षण को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए।

भारत और अन्य क्षेत्राधिकारों में डीआईबी के प्रमुख उदाहरण

भारत उन कुछ देशों में से है जो डीआईबी को मुख्यधारा में लाने की दिशा में समेकित गतिविधियों के मामले में सबसे आगे हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में एजुकेट गर्ल्स डीआईबी और उत्कृष्ट डीआईबी के मामलों पर चर्चा की गई। 10 मिलियन अमरीकी डालर के कुल मूल्य के साथ डीआईबी राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में साक्षरता और दो लाख बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के संबंध में संख्या में सुधार पर केंद्रित है, और केईएफ, ज्ञानशाला और एसएआरडी जैसे कई सेवा प्रदाता थे। भारत को अभी तक ऐसे कोई उदाहरण देखने को नहीं मिले हैं जहां सरकार एक परिणामी निधि के रूप में कदम उठाती है, ऐसे में इन बोण्ड्स को सामाजिक प्रभाव बॉन्ड (एसआईबी) कहा जाएगा।[1]

यूनाइटेड किंगडम ने सामाजिक प्रभाव बॉन्ड मॉडल को अपनाया और सरकार की इसमें केंद्रीय भूमिका थी।[2] इसके अलावा, यूके में कई प्रभाव बांडों को अनुबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई परिणाम फंड, इनोवेशन फंड सहित, वंचित युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए 10 एसआईबी को लॉच किया गया हैं।[3] संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रभाव बॉन्ड को बेहतर भुगतान के लिए सफल (पीएफएस) परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। यहां भी संघीय समर्थन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखा गया है। उदाहरण के लिए, सोशल इंपैक्ट पार्टनरशिप टू पे फॉर रिजल्ट एक्ट (SIPPRA) 2018 में

[1] 'What is the size and scope of the Impact Bonds market?', Emily Gustafsson-Wright, Brookings 2020. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/Impact_Bonds-Brief_1-FINAL-1.pdf

[2] 'A study into the challenges and benefits of the Social Impact Bond commissioning process in the UK - Final Report', Ecorys, 2019. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957374/A_study_into_the_challenges_and_benefits_of_the_SIB_commissioning_process._Final_Report_V2.pdf

[3] UK Government outcomes funds for impact bonds, Government Outcomes Lab, Blavatnik School of Government, https://golab.bsg.ox.ac.uk/the-basics/ outcomesfunds/outcomes-funds/

पारित किया गया था, और इसका उद्देश्य परिणाम-आधारित वित्तपोषण का समर्थन करना और पीएफ़एस परियोजनाओं सहित सामाजिक प्रभाव भागीदारी के लिए ट्रेजरी से धन उपलब्ध कराना है।[4].

भारत में एसएसई से डीआईबी कैसे लाभान्वित हो सकते हैं

एसएसई मंच एसई (एनपीओ और एफपीई दोनों), सीएसआर योगदानकर्ताओं और क्ल्यणकारी दाताओं जैसे बड़े दाताओं का समर्थन कर सकता है ताकि विश्वसनीय सामाजिक प्रभाव पैदा करने के अवसरों को वित्त पोषण करने के लिए एक स्केल-अप एवेन्यू प्रदान किया जा सके। इसलिए, यह डीआईबी को सामाजिक परिणामों के लिए धन आकर्षित करने के लिए सीएसआर, दाताओं और जोखिम वाले निवेशकों के अधिक प्रसार तक पहुंचने में मदद कर सकता है। जबकि सेवा प्रदाता (एसई) विश्वसनीयता और प्रदर्शन का संकेत देने के लिए एसएसई पर रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए प्रतिबद्ध है, कंपनियां, विशेष रूप से छोटी कंपनियां जो अपनी सीएसआर परिनियोजन रणनीति को हल करने की कोशिश कर रही हैं, एसएसई पर अपने धन का 100% तक निवेश करने के लिए कम-जटिल तरीकों पर भरोसा कर सकती हैं।

एसएसई पर डीआईबी की एक सूची संभावित परिणाम फंडर्स के रूप में क्ल्याणकारी खुदरा योगदानकर्ताओं सहित प्रत्येक डीआईबी के तहत सूचीबद्ध कार्यक्रमों को अधिक विविध और बड़े फंडर्स के प्रदर्शन में सक्षम कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक खुदरा दाता को इस प्रस्ताव के साथ खड़ा किया जा सकता है कि 50,000 रुपए का दान केवल तभी भुगतान किया जाना है जब दो निम्न-आय/निम्न-कुशल युवाओं को 15,000 रुपए से अधिक की आय वाली नौकरियों में रखा गया हो।

डीआईबी संरचना में महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग और पारदर्शिता के साथ, यह खुदरा दाताओं की धोखाधड़ी या अप्रभावी सेवा प्रदाताओं को दान करने में उनकी आशंकाओं को दूर करने में मदद कर सकता है, और परिणाम प्राप्त होने पर ही दान करने में सहायता कर सकता है। यह खुदरा कल्याण बाजार के लिए बहुत अधिक विश्वास बनाने में मदद कर सकता है, जिसका अनुमान 35,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, एसएसई द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे के माध्यम से, खुदरा दाताओं को व्यक्तिगत एनपीओ के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के बजाय ऑनलाइन रसीदें जारी की जा सकती हैं। इसके अलावा, डीआईबी खुदरा निवेशकों को जोखिम वाले निवेशकों के रूप में कार्य करके और अपने पैसे को चयनित सेवा प्रदाताओं के साथ रखकर निवेशकों को प्रभावित करने में सक्षम बना सकते हैं और यदि सेवा प्रदाता परिणाम प्रदान करते हैं तो अपने निवेश पर एक छोटा रिटर्न अर्जित कर सकते हैं।

[4] 'What is the size and scope of the Impact Bonds market?', Emily Gustafsson-Wright, Brookings 2020. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/Impact_Bonds-Brief_1-FINAL-1.pdf

संलग्नक-3 पेशकश दस्तावेज़ की रूपरेखा

प्रस्ताव दस्तावेज़

I. लाभकारी उद्यमों के लिए

विनियमावली की अनुसूची (ईश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर), 2018 के अनुसार

क .इक्विटी लिस्टिंग के लिए पेशकश दस्तावेज़ आईसीडीआर के अनुसार होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में अतिरिक्त घोषणाएँ करनी होंगी।

क्र. सं	विवरण	सामाजिक प्रभाव रेपोर्टिंग के अंतर्गत अतिरिक्त विषय
I.	**सामान्य**	
	ऑफ़र दस्तावेज़ का सारांश	न्यूनतम रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप अनुमानित प्रभाव: दृष्टि, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या, कौन, कैसे, जोखिम और अनपेक्षित परिणाम और शमन सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड का सारांश
II.	जोखिम	वांछित प्रभाव प्राप्त करने से जुड़े जोखिम
III.	परिचय	
IV.	हमारी कंपनी के बारे में	
	हमारे व्यापार	प्रभाव थीसिस: दृष्टि, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या, कौन, कैसे, जोखिम और अनपेक्षित परिणाम और शमन
	हमारा प्रबंधन	सेबी की रिपोर्ट के अनुरूप: सर्वोच्च शासी निकाय
V.	वित्तीय जानकारी	
	प्रभाव चर्चा	**प्रभाव की जानकारी** प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड, रिपोर्टिंग और आवृत्ति
VI.	कानूनी और अन्य जानकारी	
	अन्य नियामक और वैधानिक प्रकटीकरण	

VII.	ऑफ़र की जानकारी	
VIII.	इक्विटी शेयरों और एसोसिएशन के लेखों का विवरण	
IX.	अन्य सूचना	
	निरीक्षण के लिए सामग्री अनुबंध और दस्तावेज	
	घोषणा:	

ख. एसवीएफ़ (एफ़पीई) के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ आवश्यकता

हमने सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष विनियम), 2012 और सेबी के साथ दायर एक निजी प्लेसमेंट ज्ञापन की विशिष्ट सामग्री को प्रस्ताव दस्तावेज़ आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है।

महत्वपूर्ण सूचना:

निवेश का मूल्यांकन करते समय दस्तावेज़ पर रखे गए जोखिम और निर्भरता पर सामान्य अस्वीकरण। हम प्रभाव को हासिल नहीं किए जाने के जोखिम को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं

विषय सूची तालिका

1. निदेशिका

- ट्रस्ट/उद्यम
- ट्रस्टी
- निवेश प्रबंधन विवरण
- निधि का नाम
- प्रायोजक
- लेखा परीक्षक
- कानूनी परामर्शदाता
- कर परामर्शदाता
- सामाजिक लेखापरीक्षक

2. परिभाषाएँ

3. पेशकश का सारांश

- •क्रमांक 4 में उल्लिखित पहलुओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है + प्रमुख शब्दों का सारांश:
- फंड प्रकार (एसवीएफ-एफपीई), फंड का उद्देश्य, लक्ष्य क्षेत्र, फंड निवेश विषय, बाजार अवसर, फंड प्रबंधन टीम, निवेश रणनीति, शासन और रिपोर्टिंग का विवरण
- प्रमुख शब्दों का सारांश:
- फंड का आकार
- फंड टर्म
- न्यूनतम प्रतिबद्धता
- औसत डील साइज
- लक्षित रिटर्न
- ड्रा डाउन अवधि
- बाधा दर

- ब्याज
- प्रबंधन शुल्क
- मोबिलाइज़ेशन शुल्क
- प्रायोजक का योगदान
- निवेश अवधि
- प्रभाव वर्गीकरण
- न्यूनतम रिपोर्टिंग मानकों का सारांश
- (दृष्टि, समस्या, क्या कौन कैसे और जोखिम)
- सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड सारांश - मेट्रिक्स जिन पर विचार किया जाएगा

4. अवसर

व्यापार के अवसर और प्रभाव अवसर का वर्णन- पहले से मौजूद बाजार के खिलाड़ियों के संदर्भ में अंतर को खत्म किया जा रहा है, इस अवसर का मूल्य प्रस्ताव / विभेदक कारक एक सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या को संबोधित करने के लिए अनुमानित प्रभाव की अभिव्यक्ति को शामिल करता है।

5. निवेश थीम

एसडीजी के अनुरूप
लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्र और खंड
(क) बाजार - क्षेत्र (ख) चरण - अवधारणा के अभिनव/प्रमाण या विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड मॉडल (ग) मॉडल तकनीक सक्षम / थीसिस / परिणाम के संदर्भ में थीम चर्चा
नकारात्मक सूची/बहिष्करण जहां निवेश नहीं किया जाएगा

6. **लक्षित क्षेत्र:** उदहरण के लिए क्या वे उद्यमशीलता या प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं - आवश्यकता के औचित्य के साथ-साथ प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों के साथ-साथ 'मिसिंग गैप' व्यवसाय + प्रभाव अवसर - स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि आदि।

7. लक्षित निवेशक:

निवेशकों के प्रकार जो योगदान कर सकते हैं

8. निवेश रणनीति

परिनियोजन के लिए साधन: ऋण, अनुदान, इक्विटी
डील/पाइपलाइन सोर्सिंग रणनीति/सेवा प्रदाता सोर्सिंग
स्थायित्व के लिए दृष्टिकोण

9. निवेश पद्धति

निवेश प्रक्रिया - सोर्सिंग के लिए उचित परिश्रम और प्रबंधन प्रक्रिया, उचित परिश्रम प्रक्रिया, निवेश / अनुदान समिति प्रोटोकॉल और अनुमोदन, निकास रणनीति (जिम्मेदार निकास तंत्र)

10. एम एंड ई फ्रेमवर्क और प्रक्रिया
    सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड
    सामाजिक प्रभाव निवेशक

11. टीम

निधियों का प्रबंधन करने वाली टीम की प्रोफ़ाइल

12. ट्रैक रेकॉर्ड

ट्रैक रेकॉर्ड (वित्तीय और प्रभाव दोनों पर विचार करना); अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रकटीकरण, प्रमाणन आदि।

13. डील प्रवाह

पाइपलाइन अवसरों का पहला सेट

14. वित्त का संगठन और संरचना

वित्तीय संरचना

15. प्रमुख शब्द जोखिम कारक

कर संबंधी निहितार्थ

16. कर के विभिन पक्ष

17. समापन

संलग्नक 1: निवेशक की घोषणा

संलग्नक 2: वितरण प्रवाह

II. गैर लाभकारी उद्यम

क. एसवीएफ़ के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ आवश्यकताएँ (ग्रांट इन, ग्रांट आउट)

हमने सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष विनियम), 2012 और सेबी के साथ दायर एक निजी प्लेसमेंट ज्ञापन की विशिष्ट सामग्री को प्रस्ताव दस्तावेज़ आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया है।

महत्वपूर्ण सूचना:

प्राप्त नहीं किए जा रहे परिकल्पित प्रभाव के संभावित जोखिम पर समावेश के साथ अवसर का मूल्यांकन करते समय दस्तावेज़ पर रखे गए जोखिम और निर्भरता पर सामान्य अस्वीकरण

विषय तालिका

1. निर्देशिका
    - ट्रस्ट/इकाई का नाम
    - न्यासी
    - फंड मैनेजर का विवरण
    - फंड का नाम
    - प्रायोजक
    - लेखापरीक्षक
    - कानूनी सलाहकार
    - कर सलाहकार
    - सोशल ऑडिटर
2. परिभाषाएं
3. सारांश प्रस्तुती

    क्रमांक 4 में उल्लिखित पहलुओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है + प्रमुख शब्दों का सारांश:

    फंड के प्रकार का विवरण (एसवीएफ- ग्रांट इन ग्रांट आउट), फंड उद्देश्य, लक्ष्य क्षेत्र, फंड निवेश विषय, बाजार अवसर, फंड प्रबंधन टीम, निवेश रणनीति, शासन और रिपोर्टिंग)

    प्रमुख शब्दों का सारांश:
    - फंड का आकार
    - फंड टर्म
    - न्यूनतम प्रतिबद्धता (अनुदानकर्ता से)
    - औसत डील आकार (अनुदान आकार)
    - ड्रा डाउन अवधि
    - लक्ष्य प्रभाव के बेहतर प्रदर्शन के लिए अनिवार्य रूप से शुल्क, किसी भी अतिरिक्त शुल्क / शुल्क की घोषणा
    - प्रबंधन शुल्क
    - प्रायोजक का योगदान

- निवेश अवधि
- प्रभाव वर्गीकरण
- न्यूनतम रिपोर्टिंग मानकों का सारांश
- (दृष्टि, समस्या, क्या कौन कैसे और जोखिम)
- सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड सारांश - मेट्रिक्स जिन पर विचार किया जाएगा

4. प्रभाव अवसर / थीसिस

प्रभाव अवसर का विवरण - समस्या का विवरण, समाधान के संदर्भ में अंतराल को समाप्त किया जा रहा है, बाजार के खिलाड़ी जो पहले से मौजूद हैं, इस अवसर का मूल्य प्रस्ताव / विभेदक कारक

5. निवेश थीम

एसडीजी के अनुरूप

लक्ष्य: भौगोलिक और खंड

(क) बाजार - क्षेत्र, (ख) चरण - नवीन अवधारणा / प्रमाण या विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड मॉडल (ग) तकनीकी सक्षम मॉडल / थीसिस / परिणाम के संदर्भ में थीम चर्चा

नकारात्मक सूची/बहिष्करण जहां अनुदान नहीं दिया जाएगा

6. लक्षित क्षेत्र: उदाहरण के लिए, क्षेत्र की आवश्यकता / क्षेत्र थीसिस का औचित्य- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि।
7. लक्षित निवेशक:

निवेशकों/अनुदानकर्ताओं के प्रकार जो योगदान कर सकते हैं

8. फंडिंग रणनीति

परिनियोजन के लिए लिखत: पूर्ण अनुदान

डील/पाइपलाइन सोर्सिंग रणनीति/सेवा प्रदाता सोर्सिंग

स्थिरता के लिए दृष्टिकोण

संस्थाओं के प्रकार जिन्हें वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा: प्रारंभिक चरण के गैर-लाभकारी / सामाजिक उद्यम जिनके पास अवधारणा का प्रमाण हो सकता है या जिनके पास सबूत / ट्रैक रिकॉर्ड हो सकते हैं

9. वित्त पोषण पद्धति

फंडिंग प्रक्रिया अनुमान - सोर्सिंग से लेकर ग्रांट कमेटी प्रोटोकॉल और अप्रूवल और क्लोजर/एग्जिट तक

10. एम एंड ई फ्रेमवर्क और प्रक्रिया

सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड

निवेशकों को रिपोर्ट करना: प्रारूप और आवृत्ति

11. टीम

फंड का प्रबंधन करने वाली टीम का प्रोफाइल

12. ट्रैक रिकॉर्ड

ट्रैक रिकॉर्ड- प्रभाव पर ट्रैक रिकॉर्ड सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई, मान्यता आदि पर प्रकटीकरण।

13. डील फ्लो

    पाइपलाइन के अवसरों का पहला सेट

14. फंड संगठन और संरचना

    फंड की संरचना

15. प्रमुख शर्तें जोखिम कारक

    जोखिम और जोखिम न्यूनीकरण

16. कर पहलू

    कर निहितार्थ

17. समापन

    अनुलग्नक 1: निवेशक घोषणा

ख. डीआईबी के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ आवश्यकताएँ

महत्वपूर्ण सूचना:

निवेश का मूल्यांकन करते समय दस्तावेज़ पर रखे गए जोखिम और निर्भरता पर सामान्य अस्वीकरण के साथ-साथ प्रभाव के जोखिम के विवरण को शामिल नहीं किया जा रहा है

विषय तालिका

1. निर्देशिका
    - ट्रस्ट/इकाई
    - ट्रस्टी
    - निवेश प्रबंधक विवरण (यह मध्यस्थ होगा)
    - फंड का नाम
    - प्रायोजक
    - एंकर आउटकम फंडर/एंकर जोखिम निवेशक
    - लेखापरीक्षक
    - कानूनी सलाहकार
    - कर सलाहकार
    - सोशल ऑडिटर (परिणामों के सत्यापन के लिए एम एंड ई मूल्यांकन एजेंसी)

2. परिभाषाएं
3. सारांश प्रस्तुती

क्रमांक 4 में उल्लिखित पहलुओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है + प्रमुख शर्तों का सारांश: फंड का प्रकार, फंड का उद्देश्य, लक्ष्य क्षेत्र, फंड निवेश विषय, बाजार अवसर, फंड प्रबंधन टीम, निवेश रणनीति, प्रशासन और रिपोर्टिंग)

प्रमुख शर्तों का सारांश:

- फंड का आकार
- फंड टर्म
- न्यूनतम प्रतिबद्धता
- औसत डील साइज
- लक्षित रिटर्न
- ड्रा डाउन अवधि
- बाधा दर
- किए गए ब्याज
- प्रबंधन शुल्क
- मोबिलाइज़ेशन शुल्क
- प्रायोजक का योगदान

- निवेश अवधि
- प्रभाव वर्गीकरण
- न्यूनतम रिपोर्टिंग मानकों का सारांश
- (दृष्टि, समस्या, क्या कौन कैसे और जोखिम)
- सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड सारांश - मेट्रिक्स जिन पर विचार किया जाएगा

4. अवसर

व्यापार के अवसर और प्रभाव अवसर का वर्णन- पहले से मौजूद बाजार के खिलाड़ियों के संदर्भ में अंतर को खत्म किया जा रहा है, इस अवसर का मूल्य प्रस्ताव / विभेदक कारक एक सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या को संबोधित करने के लिए अनुमानित प्रभाव की अभिव्यक्ति को शामिल करता है।

5. निवेश थीम

एसडीजी के साथ अनुरूपता

लक्ष्य: भौगोलिक और खंड

(क) बाजार - क्षेत्र, (ख) चरण - नवीन अवधारणा / प्रमाण या विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड मॉडल (ग) तकनीकी सक्षम मॉडल / थीसिस / परिणाम के संदर्भ में थीम चर्चा

नकारात्मक सूची/बहिष्करण जहां अनुदान नहीं दिया जाएगा

लक्षित क्षेत्र: उदाहरण, क्या वे उद्यमशीलता या प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं - आवश्यकता के औचित्य के साथ-साथ प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों के साथ-साथ 'मिसिंग गैप' व्यवसाय + प्रभाव अवसर - स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि आदि।

6. लक्षित निवेशक:

निवेशकों के प्रकार जो योगदान कर सकते हैं

7. निवेश रणनीति

परिनियोजन के लिए साधन: ऋण और अनुदान

डील/पाइपलाइन सोर्सिंग रणनीति/सेवा प्रदाता सोर्सिंग -

स्थिरता के लिए दृष्टिकोण

8. निवेश पद्धति

निवेश प्रक्रिया - सोर्सिंग के लिए उचित परिश्रम और प्रबंधन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, (प्रभाव और परिणाम के कारण परिश्रम को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरआई के रिटर्न परिणाम प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता की क्षमता से जुड़े होते हैं) निवेश / अनुदान समिति प्रोटोकॉल और अनुमोदन

9. एम एंड ई फ्रेमवर्क और प्रक्रिया

लक्ष्य निर्धारण और मूल्य निर्धारण ढांचा और मार्गदर्शक सिद्धांत

सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड

निवेशकों को रिपोर्टिंग

10. टीम

फंड का प्रबंधन करने वाली टीम का प्रोफाइल

11. ट्रैक रिकॉर्ड

ट्रैक रिकॉर्ड (वित्तीय प्लस प्रभाव दोनों पर विचार); अनुशासनात्मक कार्रवाई, मान्यता आदि पर प्रकटीकरण

12. 'डील फ्लो'

पाइपलाइन अवसरों का पहला सेट - परियोजना पाइपलाइन और पिछले परिणाम मेट्रिक्स सेवा प्रदाताओं के पहले सेट का ट्रैक रिकॉर्ड

13. फंड संगठन और संरचना

फंड की संरचना

14. प्रमुख शर्तें जोखिम कारक

15. कर पहलू

    कर निहितार्थ

16. समापन

अनुलग्नक 1: निवेशक घोषणा

ग. म्यूचुअल फ़ंड के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ आवश्यकताएँ

म्यूचुअल फ़ंड के लिए स्कीम जानकारी दस्तावेज़ (एसआईडी)

क्रम संख्या	**एक सामान्य प्रस्ताव दस्तावेज़ की विषयवस्तु**	**एचडीएफ़सी कैंसर उपचार एमएफ़ में शामिल अतिरिक्त विषय**	**अन्य अतिरिक्त अनुशंषित पहलू**
	योजना की मुख्य विशेषताएं/सारांश कवर किए गए निदर्शी पहलू: योजना का नाम, योजना/योजना की अवधि, निवेश का उद्देश्य	सामाजिक प्रभाव के लिए आय को निर्देशित करने पर योजना का विवरण: संगठन (एनपीओ), उद्देश्य/विषय योगदान का% (लाभांश भुगतान विकल्प), कर कटौती के लिए पात्रता आदि।	अनुरूपण न्यूनतम रिपोर्टिंग मानक ढांचे के लिए हो सकता है - सामरिक उद्देश्य और लक्ष्य (क्या, कौन और कैसे) - सामान्य जानकारी (शासन, वित्त पोषण और कानूनी/ सांविधिक) -
I.	परिचय		
A.	जोखिम कारक - मानक जोखिम कारक, योजना विशिष्ट जोखिम कारक, देश जोखिम ……		परिकल्पित/व्यक्त सामाजिक प्रभाव, जिन्हे प्राप्त नहीं किया जा रहा है, उनके जोखिम कारकों का वर्णन जोखिम, अनपेक्षित परिणाम और शमन
B.	योजना में न्यूनतम निवेशकों की आवश्यकता		कुछ निवेशकों को उन इकाइयों की सदस्यता लेने से रोकने पर विचार करना, जो संबंधित हैं या अंतर्निहित गैर-लाभ से जुड़े हैं जो लाभांश या रिटर्न प्राप्त करेंगे।
C.	विशेष विचार, यदि कोई हो		
D.	परिभाषाएं	1. इकाई/एनपीओ जिसे लाभांश/आय दान किया जाएगा 2. दाता	

		प्रभाव वर्गीकरण	
E.	संक्षिप्त शब्द		
F.	एएमसी द्वारा सम्यक तत्परता (Due Delligence)		यह प्रकटीकरण और कानूनी आवश्यकताओं पर एएमसी द्वारा केवल एक प्रमाण पत्र है - लेकिन क्या उन्हें यह कहते हुए भी विस्तारित किया जाना चाहिए कि उन्होंने अंतर्निहित गैर-लाभों के लिए आवश्यक सम्यक तत्परता की है, जिन्हें गैर लाभ की आवश्यकताओं के अनुरूप आय को दान किया जाएगा क्योंकि वे एसएसई से धन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
G	उस संस्था/एनपीओ की प्रोफाइल जिसे राशि दान की जा रही है - दृष्टि - मिशन - प्रमुख गतिविधियां - उपलब्धियां - न्यासी बोर्ड		-- न्यूनतम रिपोर्टिंग मानकों की धारा 1 और धारा 3 के अनुरूप
H	योजना के शुभारंभ के लिए तर्क - प्रभाव थीसिस - मुनाफे का उपयोग निधि उपयोग प्रक्रिया में नियंत्रण		न्यूनतम रिपोर्टिंग मानकों की धारा 2 के अनुरूप
II.	योजना के बारे में जानकारी		
A.	योजना का प्रकार		
B.	योजना का निवेश उद्देश्य		
C.	योजना अपनी संपत्ति का आवंटन कैसे करेगी?		

D.	योजना कहां निवेश करेगी?		
E.	निवेश की रणनीतियां क्या हैं?		
F.	जोखिम नियंत्रण		
	पोर्टफोलियो टर्नओवर		
	योजना में एएमसी द्वारा निवेश		
G.	मौलिक गुण		
H.	योजना अपने प्रदर्शन को बेंचमार्क कैसे करेगी?		वर्तमान में केवल वित्तीय प्रदर्शन शामिल है; एक बार जब इन उपकरणों में तेजी आ जाती है तो हम बाद के चरण में बेंचमार्किंग प्रभाव प्रदर्शन पर विचार कर सकते हैं?
I.	योजना का प्रबंधन किसने किया?		एएमसी टीम का हिस्सा बनने के लिए सामाजिक प्रभाव की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व
J.	निवेश प्रतिबंध क्या हैं?		
K.	योजना का प्रदर्शन कैसा रहा है?		
L.	अतिरिक्त घोषणाएँ		
III.	इकाइयाँ और प्रस्ताव		
	- अर्धवार्षिक प्रकटीकरण		प्रभाव प्रदर्शन के प्रकटीकरण पर विचार: संकेतक जिन पर रिपोर्ट की जाएगी: आवृत्ति तय की जानी है (वार्षिक पर विचार कर सकते हैं); न्यूनतम रिपोर्टिंग मानक के अनुरूप प्रारूप
	- अर्धवार्षिक परिणाम		
	- वार्षिक विवरण		
	- सहयोगी लेनदेन		
	- कर लगाना		
	- निवेशक सेवाएं		
	A. एनएवी की गणना		

		A. आकार अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत छूट के दावे के लिए योग्यता	
IV.	शुल्क और व्यय		
	नया फंड ऑफर (एनएफओ) खर्च		
	वार्षिक योजना आवर्ती व्यय		
	लेनदेन शुल्क		
	लोड संरचना		
	प्रत्यक्ष आवेदनों के लिए भार की छूट		
V.	यूनिट धारकों के अधिकार		
VI.	दंड और लंबित मुकदमे		
	स्वीकृति के आधिकारिक बिंदु		

घ. शून्य कूपन शून्य बोण्ड्स के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ आवश्यकताएँ

विषय तालिका	
	एसएसई के लिए अतिरिक्त विवेचन
खंड I: सामान्य	
अस्वीकरण	
वित्तीय, उद्योग और अन्य जानकारी की प्रस्तुति	
प्रगतिशील बयान	
खंड II: जोखिम कारक	प्राप्त नहीं हो रहे प्रभाव के जोखिम का समावेशन; जोखिम, परिणाम
खंड III: परिचय	
सामान्य जानकारी	धारा 3 की जानकारी का विवेचन करें - इस खंड में 'प्रकाशित होने वाली सामान्य जानकारी'
पूंजी संरचना	
डिबेंचर धारकों को उपलब्ध कर लाभों का विवरण	बॉन्ड धारक - 12 क पाजीकरण
इशू का उदेश्य	परिकल्पित प्रभाव और आय के उपयोग पर चर्चा (इम्पैक्ट टैक्सोनॉमी सहित)
खंड IV: हमारी कंपनी/संगठन के बारे में	
उद्योग अवलोकन	क्षेत्र समीक्षा
हमारे व्यापार	हमारे हस्तक्षेप कार्यक्रम
इतिहास और कुछ अन्य कॉर्पोरेट मामले	
हमारा प्रबंधन	'उच्चतम शासी निकाय' के अनुरूप
हमारे प्रमोटर	
संबंधित पार्टी लेनदेन	
खंड V: वित्तीय जानकारी	
वित्तीय विवरण	कानूनी और सांविधिक फाइलिंग/रिपोर्ट
भारतीय जीएएपी और इंड. एएस के बीच महत्वपूर्ण अंतरों का सारांश	
सामग्री विकास	
वित्तीय ऋणग्रस्तता	
खंड VI: इश्यू से संबंधित जानकारी	
इश्यू संरचना	▪ प्रभाव थीसिस- रणनीतिक उद्देश्य और लक्ष्य

	निर्धारण के अनुसार ▪ सामाजिक प्रभाव स्कोरकार्ड Social impact scorecard ▪ पाईपलाइन कार्यक्रम जिनके लिए आय का उपयोग किया जाएगा।
इश्यू की शर्तें	
खंड VII: कानूनी और अन्य जानकारी	
विचाराधीन मुकदमे	
अन्य नियामक और वैधानिक प्रकटीकरण	
प्रमुख नियम और नीतियां	
धारा आठ: एसोसिएशन के लेखों के मुख्य प्रावधानों का सारांश	
खंड IX: अन्य जानकारी	

संलग्नक-4: एसए द्वारा प्रभाव रेपोर्टिंग का ड्राफ्ट मानक

<u>उद्देश्य</u>

1. यह मानक सामाजिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रभाव रिपोर्टिंग के आश्वासन के लिए ढांचा प्रदान करता है, और यह कहते हुए उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है कि व्यवसायी के ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिससे व्यवसायी को यह विश्वास हो कि किसी संगठन द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि को भौतिक रूप से गलत बताया गया है।

   सामाजिक लेखापरीक्षक विशेषज्ञ/परामर्शदाता होते हैं जिनमें मान्यता प्राप्त व्यक्ति/एजेंसियां शामिल होती हैं जो सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं।

2. एक सामाजिक लेखा परीक्षक से वचंबद्धता के जोखिम को शून्य तक कम करने की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रक्रियाओं से जुड़ी अंतर्निहित सीमाएं हैं जो एक व्यवसायी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कर सकता है, जैसा भी मामला हो। अंतर्निहित सीमाएँ निम्न से उत्पन्न होती हैं:

   - प्रभाव रिपोर्टिंग की प्रकृति;
   - चयनात्मक परीक्षण का उपयोग;
   - आंतरिक नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं;
   - तथ्य यह है कि अभ्यासी के लिए उपलब्ध अधिकांश साक्ष्य निर्णायक होने के बजाय प्रेरक हैं;
   - प्रमाण इकट्ठा करने और मूल्यांकन करने और उस प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने में पेशेवर निर्णय का उपयोग;
   - कुछ मामलों में, जब अंतर्निहित विषय वस्तु की विशेषताओं का मूल्यांकन या मानदंड के विरुद्ध मापन किया जाता है; तथा
   - उचित समय के अंदर और उचित कीमत पर वचंबद्धता की आवश्यकता।

3. जिम्मेदार पार्टी, मापक या मूल्यांकनकर्ता, और वचनबद्धता पार्टी द्वारा निभाई गई भूमिकाएं अलग-अलग हो सकती हैं। विभिन्न सांस्कृतिक और कानूनी पृष्ठभूमि, और आकार और स्वामित्व विशेषताओं जैसे प्रभावों को दर्शाते हुए, प्रबंधन और शासन संरचनाएं क्षेत्राधिकार और इकाई के अनुसार भिन्न होती हैं। इस तरह की विविधता का अर्थ है कि सभी कार्यों को निर्दिष्ट करना संभव नहीं है, जिस व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ व्यवसायी को पूछताछ करनी है, प्रतिनिधित्व का अनुरोध करना है, या अन्य सभी परिस्थितियों में संवाद करना

है। कुछ मामलों में उदाहरण के लिए जब उपयुक्त पक्ष एक पूर्ण कानूनी इकाई का केवल एक हिस्सा हैं, उपयुक्त प्रबंधन कर्मियों की पहचान करते हैं या वे जिनके पास प्रशासन का प्रभार होता है जिसके साथ सम्प्रेषण किया जाता है, ऐसी स्थिति में यह निर्धारण करने के लिए व्यवसायिक निर्णय की जरूरत होती है कि किस व्यक्ति के पास संबन्धित मामलों कि ज़िम्मेदारी और ज्ञान है।

<u>प्रभाव रिपोर्ट</u>

4. किसी संगठन द्वारा अपनी गतिविधियों के प्रभाव को दो स्तरों पर देखा जाना चाहिए - लक्षित समुदाय पर प्रत्यक्ष प्रभाव और प्रणालीगत प्रभाव या क्षेत्र व्यापक प्रभाव (विभिन्न सनरंचनाओं द्वारा अलग-अलग नाम से जाना जाता है) और दूसरा, पहुंच, गहराई और समावेश के संदर्भ में प्रभाव। स्वीकार्य मेट्रिक्स के आसपास संगठन के काम की प्रभाव रिपोर्ट सुनिश्चित करते समय रणनीतिक इरादे और लक्ष्यों (क्यों और क्या), और संगठन के परिचालन या व्यावसायिक मॉडल (कैसे) पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

5. लेखापरीक्षित संगठन के प्रबंधन द्वारा तैयार की गई प्रभाव रिपोर्ट में गुणात्मक प्रदर्शन संकेतक और, जहां संभव हो, मात्रात्मक निर्धारण में प्रयुक्त प्रमुख अंतर्निहित कार्यप्रणाली और/या मान्यताओं के प्रकटीकरण के साथ मात्रात्मक प्रदर्शन उपाय शामिल होंगे। उदाहरण के लिए, प्रभाव रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है:

    - संगठन या सूचीबद्ध साधन पर्यावरण या सामाजिक चुनौती को संबोधित कर रहा है?
    - कौन प्रभावित होगा? कवरेज में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव शामिल होना चाहिए?
    - परियोजना के प्रारंभ में आधारभूत स्थिति क्या है?
    - संगठन चुनौती में भाग लेने या चुनौती में भाग लेने की योजना कैसे बना रहा है?
    - संभावित जोखिम क्या हैं और इसे कैसे कम किया जाएगा?
    - चल रही परियोजनाओं के लिए पिछले प्रदर्शन की प्रवृत्ति क्या रही है?
    - परियोजना को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट मेट्रिक्स क्या हैं और इसका चलन क्या रहा है?
    - आधारभूत स्थिति से क्या परिवर्तन हुआ है?
    - यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि सही मेट्रिक्स की निगरानी की गई है?
    - परिणाम/प्रभाव मीट्रिक क्या हैं और उनका रुझान क्या है?

- हितधारकों की प्रतिक्रिया क्या है?
- यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि परिणाम टिकाऊ हों?

6. प्रभाव रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 के तहत उल्लिखित गतिविधियों पर आधारित हो सकती है। इसके अलावा, प्रभाव रिपोर्ट में प्रभाव संकेतक शामिल होते हैं जो उन मूल्यों के मूर्त परिणामों को दर्शाते हैं जिन्हें मापा जा सकता है, और कार्यक्रम/विभाग/इकाई के सामाजिक मूल्यों से प्राप्त किया जाता है, जो उनके मिशन वक्तव्य या कार्यक्रम के उद्देश्यों में परिलक्षित होते हैं। सामुदायिक प्रतिक्रिया, लाभार्थी अपेक्षाएं और संतुष्टि और अन्य संकेतक कई बार हितधारक परामर्श के माध्यम से पहचाने जाते हैं।

अनुबंध के नियम और शर्तों पर सहमति

7. सामाजिक लेखा परीक्षक को सम्बद्ध पक्ष के साथ जुड़ाव की शर्तों से सहमत होना चाहिए। अनुबंध की सहमत शर्तों को एक अनुबंध पत्र या लिखित समझौते के अन्य उपयुक्त रूप, लिखित पुष्टि, या कानून या विनियमन में पर्याप्त विवरण में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह अनुबंध करने वाली पार्टी और सोशल ऑडिटर दोनों के हित में है कि वह गलतफहमियों से बचने के लिए अनुबंध की शुरुआत से पहले शर्तों को लिखित रूप में संप्रेषित करे।

अनुबंध की शर्तों में कम से कम निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

क. अनुबंध का उद्देश्य और दायरा;

ख. सामाजिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां;

ग. पार्टी को शामिल करने की जिम्मेदारियां;

घ. जिम्मेदार पार्टी की जिम्मेदारियां (यदि अनुबंध करने वाली पार्टी से अलग है);

ङ. उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त मानदंडों की पहचान;

च. कानून या विनियम या अनुबंधों के संदर्भ सहित विषय वस्तु की पहचान;

छ. अनुबंध के संबंध में अनुरोध किए गए किसी भी रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य जानकारी तक अप्रतिबंधित पहुंच;

ज. तथ्य यह है कि अनुबंध की त्रुटियों, अवैध कृत्यों या अन्य अनियमितताओं का खुलासा करने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी या जालसाजी हो सकती है;

झ. व्यवसायी द्वारा जारी किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र और रिपोर्ट की सामग्री का संदर्भ; तथा

ञ. एक बयान कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें एक रिपोर्ट अपने अपेक्षित रूप और सामग्री से भिन्न हो सकती है।

ट. अनुबंध की सहमत शर्तों में अनुबंध की अन्य सामान्य शर्तें भी शामिल हो सकती हैं, जब तक कि वे शर्तें लागू कानूनों और विनियमों के साथ असंगत न हों। लिखित समझौते या अनुबंध का रूप और विषयवस्तु परिस्थितियों के साथ अलग-अलग होगी।

अनुबंध की स्वीकार्यता और निरंतरता

8. सामाजिक लेखापरीक्षक को इससे संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि ग्राहक संबंधों की स्वीकृति और निरंतरता और आश्वासन अनुबंधों के संबंध में उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, और आश्वासन अनुबंध को तभी स्वीकार या जारी रखना चाहिए जब:

ठ. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि स्वतंत्रता सहित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी;

ड. व्यवसायी संतुष्ट है कि वे व्यक्ति जिन्हें सामूहिक रूप से (अनुबंध टीम) अनुबंध करना है, उनके पास उपयुक्त क्षमता और क्षमताएं हैं; तथा

ढ. जिस आधार पर अनुबंध किया जाना है, उसके माध्यम से सहमति व्यक्त की गई है:

i. यह स्थापित करना कि एक आश्वासन अनुबंध के लिए पूर्व शर्त मौजूद हैं; तथा

ii. यह पुष्टि करना कि अनुबंध की शर्तों पर अभ्यासकर्ता और अनुबंध करने वाली पार्टी के बीच एक सामान्य समझ है, जिसमें अभ्यासकर्ता की ज़िम्मेदारी भी शामिल है।

iii. यदि सामाजिक लेखापरीक्षक को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिसके कारण सामाजिक लेखा परीक्षक को अनुबंध से इनकार करना पड़ता, यदि वह जानकारी पहले उपलब्ध थी, तो सामाजिक लेखापरीक्षक को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एक फर्म के मामले में, सोशल ऑडिटर (अर्थात, एंगेजमेंट पार्टनर को उस जानकारी को तुरंत फर्म को संप्रेषित करना चाहिए, ताकि फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।)

आश्वाशन अनुबंध के लिए पूर्व शर्तें

9. यह स्थापित करने के लिए कि क्या एक आश्वासन अनुबंध के लिए पूर्व शर्त मौजूद है, सामाजिक लेखा परीक्षक को, अनुबंध की परिस्थितियों के प्रारंभिक ज्ञान और उपयुक्त पार्टी(यों) के साथ चर्चा के आधार पर

निर्धारित करना चाहिए कि क्या:

क. उपयुक्त पार्टियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिस्थितियों में उपयुक्त हैं; तथा

ख. अनुबंध निम्नलिखित सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है:

i. अंतर्निहित विषय वस्तु उपयुक्त है;

ii. विषय वस्तु की जानकारी की तैयारी में सामाजिक लेखा परीक्षक द्वारा लागू किए जाने की अपेक्षा की जाने वाली मानदंड अनुबंध की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं, जिसमें ये निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं:

क. प्रासंगिकता

ख. संपूर्णता

ग. विश्वसनीयता

घ. तटस्थता

ड. समझ

iii. विषय वस्तु की जानकारी तैयार करने में सामाजिक लेखापरीक्षक द्वारा लागू किए जाने वाले मानदंड इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे;

iv. सामाजिक लेखापरीक्षक की राय/निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने और आश्वासन का एक सार्थक स्तर प्राप्त करने में सक्षम होने की अपेक्षा है।

10. यदि किसी आश्वासन के लिए पूर्व शर्त मौजूद नहीं है, तो सामाजिक लेखापरीक्षक को इस मामले में संलग्न पक्ष के साथ चर्चा करनी चाहिए। यदि पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, तो सामाजिक लेखा परीक्षक को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वे अनुबंध को आश्वासन अनुबंध के रूप में स्वीकार न करें, जब तक कि ऐसा करने के लिए कानून या विनियमन के अनुसार आवश्यकता न हो।

पेशेवर संदेह, पेशेवर निर्णय, और आश्वासन कौशल और तकनीक

11. सामाजिक लेकहपरीक्षक को पेशेवर संदेह के साथ योजना बनाने और प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं जो विषय वस्तु की जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं। सामाजिक लेखापरीक्षक को प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने सहित एक आश्वासन अनुबंध की योजना बनाने और प्रदर्शन करने में पेशेवर निर्णय लेने की आवश्यकता

है। सामाजिक लेखापरीक्षक को पुनरावृत्त, व्यवस्थित जुड़ाव प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आश्वासन कौशल और तकनीकों को भी लागू करना चाहिए।

योजना

12. सोशल ऑडिटर को अनुबंध की योजना बनानी चाहिए ताकि इसे प्रभावी तरीके से निष्पादित किया जा सके, जिसमें अनुबंध का दायरा, समय और दिशा निर्धारित करना और नियोजित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करना शामिल है, जिन्हें अनुबंध के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करने की आवश्यकता है।

13. सोशल ऑडिटर को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या मानदंड अनुबंध की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं, जिसमें वे पैराग्राफ 11 में पहचानी गई विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। यदि अनुबंध को स्वीकार करने के बाद यह पता चलता है कि एक आश्वासन अनुबंध के लिए एक या अधिक पूर्व शर्त मौजूद नहीं है, तो सामाजिक लेखा परीक्षक को उपयुक्त पक्ष(यों) के साथ मामले पर चर्चा करनी चाहिए और निम्नलिखित को निर्धारित करना चाहिए:

    क्या मामला सामाजिक लेखापरीक्षक की संतुष्टि के अनुरूप सुलझाया जा सकता है;

    क्या अनुबंध को जारी रखना उचित है; तथा

    यदि हां, तो आश्वासन रिपोर्ट में मामले को कैसे संप्रेषित किया जाए।

14. यदि अनुबंध के बाद यह पता चलता है कि कुछ या सभी लागू मानदंड अनुपयुक्त हैं या कुछ या सभी अंतर्निहित विषय वस्तु आश्वासन अनुबंध के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो सामाजिक लेखा परीक्षक को अनुबंध से हटने पर विचार करने की आवश्यकता होगी , यदि लागू कानून या विनियम के तहत निकासी संभव है। यदि सामाजिक लेखापरीक्षक अनुबंध जारी रखता है, तो सामाजिक लेखा परीक्षक को परिस्थितियों में उपयुक्त या प्रतिकूल राय/निष्कर्ष, या राय/निष्कर्ष का अस्वीकरण व्यक्त करना चाहिए

<u>महत्व</u>

15. सामाजिक लेखा परीक्षक महत्व पर विचार करेगा जब:

    प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय आश्वासन अनुबंध की योजना बनाना हो और प्रदर्शन करना हो; तथा

    मूल्यांकन करना कि विषय वस्तु की जानकारी भौतिक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं।

16. महत्व के बारे में व्यावसायिक निर्णय आसपास की परिस्थितियों के आलोक में किए जाते हैं, और यह इच्छित उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं पर भी आधारित होते हैं। लागू मानदंड विषय वस्तु की जानकारी की

तैयारी और प्रस्तुति के संदर्भ में महत्व की अवधारणा पर चर्चा कर सकते हैं और इस तरह अनुबंध के लिए महत्वपर विचार करने में सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए संदर्भ का एक फ्रेम प्रदान करते हैं।

महत्व पर सामाजिक लेखापरीक्षक के विचार पेशेवर निर्णय का मामला है, और एक समूह के रूप में इच्छित उपयोगकर्ताओं की सामान्य सूचना आवश्यकताओं के व्यवसायी की धारणा से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में, सामाजिक लेखापरीक्षक के लिए यह मानना उचित है कि इच्छित उपयोगकर्ता के पास:
अंतर्निहित विषय वस्तु का उचित ज्ञान हो, और उचित परिश्रम के साथ विषय वस्तु की जानकारी का अध्ययन करने की इच्छा हो;

समझें कि विषय वस्तु की जानकारी तैयार की गई है और महत्व के उचित स्तरों के लिए आश्वस्त है, और लागू मानदंडों में शामिल महत्व अवधारणाओं की समझ के अनुसार है;

अंतर्निहित विषय वस्तु को मापने या मूल्यांकन करने में शामिल किसी भी अंतर्निहित अनिश्चितताओं को समझें; तथा

समग्र रूप से ली गई विषय वस्तु की जानकारी के आधार पर उचित निर्णय लें।

17. महत्व को गुणात्मक कारकों और, जब लागू हो, मात्रात्मक कारकों के संदर्भ में माना जाता है। किसी विशेष संबंध में महत्व पर विचार करते समय गुणात्मक कारकों और मात्रात्मक कारकों के सापेक्ष महत्व का मामला सामाजिक लेखा परीक्षक के पेशेवर निर्णय का मामला है। गुणात्मक कारकों में ऐसी निम्न चीजें शामिल हो सकती हैं:

    i. विषय वस्तु से प्रभावित व्यक्तियों या संस्थाओं की संख्या।
    ii. विषय वस्तु की जानकारी के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर क्रिया और सापेक्ष महत्व, जब यह कई घटकों से बना होता है, जैसे कि एक रिपोर्ट जिसमें कई प्रदर्शन संकेतक शामिल होते हैं।
    iii. विषय वस्तु की जानकारी के संबंध में चुना गया शब्द जो वर्णन के रूप में व्यक्त किया गया है।
    iv. विषय वस्तु की जानकारी के लिए अपनाई गई प्रस्तुति की विशेषताएं जब लागू मानदंड उस प्रस्तुति में बदलाव की अनुमति देते हैं।
    v. एक गलत कथन की प्रकृति, उदाहरण के लिए, नियंत्रण से देखे गए विचलन की प्रकृति जब विषय वस्तु की जानकारी एक बयान है कि नियंत्रण प्रभावी है।
    vi. क्या कोई गलत कथन कानून या विनियम के अनुपालन को प्रभावित करता है।
    vii. किसी अंतर्निहित विषय वस्तु पर आवधिक रिपोर्टिंग के मामले में, समायोजन का प्रभाव जो अतीत या वर्तमान विषय वस्तु की जानकारी को प्रभावित करता है या भविष्य की विषय वस्तु की जानकारी को प्रभावित करने की संभावना है।
    viii. क्या गलत कथन जानबूझकर किए गए कार्य का परिणाम है या अनजाने में है।
    ix. उपयोगकर्ताओं के लिए ज्ञात पिछले संचार की सामाजिक लेखा परीक्षक की समझ के संबंध में एक गलत

बयान महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए, अंतर्निहित विषय वस्तु के माप या मूल्यांकन के अपेक्षित परिणाम के संबंध में।

x. क्या गलत बयान जिम्मेदार पार्टी, मापक या मूल्यांकनकर्ता, अनुबंध करने वाले पक्ष या अन्य पार्टियों के साथ उनके संबंधों से संबंधित है।

xi. जब एक थ्रेशोल्ड या बेंचमार्क मान की पहचान की गई है, तो क्या प्रक्रिया का परिणाम उस मान से विचलित होता है।

xii. जब अंतर्निहित विषय वस्तु एक सरकारी कार्यक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था हो, चाहे कार्यक्रम या संस्था का कोई विशेष पहलू कार्यक्रम या संस्था की प्रकृति, दृश्यता और संवेदनशीलता के संबंध में महत्वपूर्ण हो।

xiii. जब विषय वस्तु की जानकारी कानून या विनियम के अनुपालन पर निष्कर्ष से संबंधित हो, तो गैर-अनुपालन के परिणामों की गंभीरता।

18. मात्रात्मक कारक विषय वस्तु की जानकारी के उन पहलुओं के लिए रिपोर्ट की गई मात्रा के सापेक्ष गलत बयानों के परिमाण से संबंधित हैं, यदि कोई हो, जो निम्न हैं:

    संख्यात्मक रूप से व्यक्त; या

    अन्य संख्यात्मक मूल्यों से संबंधित (उदाहरण के लिए, नियंत्रण विचलन की संख्या एक प्रासंगिक मात्रात्मक कारक हो सकती है जब विषय वस्तु की जानकारी बताती है कि नियंत्रण प्रभावी है)।

19. जब मात्रात्मक कारक लागू होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भौतिक गलत बयानों का पता लगाने के लिए अनुबंध की योजना बनाना इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि असंशोधित और अनिर्धारित व्यक्तिगत रूप से सारहीन गलत बयानों के कारण विषय वस्तु की जानकारी को गलत किया जा सकता है। इसलिए यह उपयुक्त हो सकता है अभ्यासकर्ता के लिए प्रकृति, समय और प्रक्रियाओं की सीमा निर्धारित करते समय प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा को निर्धारित करने के लिए एक आधार के रूप में महत्व से कम मात्रा को निर्धारित किया जाए।

<u>अन्तर्निहित विषय वस्तु और अनुबंध की अन्य परिस्थितियों को समझना</u>

20. सोशल ऑडिटर को निम्नलिखित के संबंध में उपयुक्त पार्टी(यों) से पूछताछ करनी चाहिए:

    क्या उन्हें विषय वस्तु की जानकारी को प्रभावित करने वाले किसी वास्तविक, संदिग्ध या कथित जानबूझकर गलत बयानी या कानूनों और विनियमों के गैर-अनुपालन का ज्ञान है; तथा

    क्या जिम्मेदार पार्टी ने विषय की जानकारी तैयार करने में किसी विशेषज्ञ का प्रयोग किया है।

    यह पहचाने गए क्षेत्रों को संबोधित करने और निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए आश्वासन प्राप्त करने के लिए

प्रक्रियाओं को डिजाइन करने और निष्पादित करने के लिए एक आधार प्रदान करेगा।

<u>प्रमाण प्राप्त करना</u>

<u>जोखिम पर विचार और जोखिम के प्रति अनुक्रिया</u>

21. प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते समय, व्यवसायी को साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाने वाली जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर भी विचार करना होगा। अगर:

    एक स्रोत से प्राप्त साक्ष्य दूसरे स्रोत से प्राप्त साक्ष्य से असंगत है; या

    सामाजिक लेखापरीक्षक को साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाने वाली जानकारी की विश्वसनीयता के बारे में संदेह है, सामाजिक लेखा परीक्षक को यह निर्धारित करना चाहिए कि मामले को हल करने के लिए प्रक्रियाओं में कौन से परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक हैं, और मामले के प्रभाव पर विचार करना चाहिए, यदि कोई हो, अन्य पर अनुबंध के पहलू।

    सोशल ऑडिटर को अनुबंध के दौरान पहचाने गए गलत बयानों को संग्रहित करना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से छोटे हैं और आश्वासन रिपोर्ट पर गलत बयान के प्रभाव को निर्धारित करते हैं।

एक सामाजिक लेखा परीक्षक के विशेषज्ञ द्वारा किया गया कार्य

22. जब किसी सामाजिक लेखापरीक्षक के विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग किया जाना हो तो सामाजिक लेखापरीक्षक को निम्न भी करना चाहिए:

    मूल्यांकन करें कि क्या सामाजिक लेखा परीक्षक के विशेषज्ञ के पास सामाजिक लेखा परीक्षकों के उद्देश्यों के लिए आवश्यक क्षमता, कौशल और निष्पक्षता है। एक सामाजिक लेखा परीक्षक के बाहरी विशेषज्ञ के मामले में, निष्पक्षता के मूल्यांकन में हितों और संबंधों के बारे में पूछताछ शामिल होनी चाहिए जो उस विशेषज्ञ की निष्पक्षता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं;

    सामाजिक लेखा परीक्षक के विशेषज्ञ की विशेषज्ञता के क्षेत्र की पर्याप्त समझ प्राप्त करना;

    उस विशेषज्ञ के कार्य की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों पर सामाजिक लेखा परीक्षक के विशेषज्ञ से सहमत हों; तथा

    सामाजिक लेखा परीक्षक के उद्देश्यों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षक के विशेषज्ञ के काम का पर्याप्तता का मूल्यांकन करें।

<u>लिखित प्रतिवेदन</u>

23. सामाजिक लेखापरीक्षक को उपयुक्त पक्ष(यों) से लिखित अभ्यावेदन का अनुरोध करना चाहिए:

कि इसने सोशल ऑडिटर को सभी जानकारी प्रदान की है जिसके बारे में उपयुक्त पार्टी(यों) को पता है कि अनुबंध के लिए प्रासंगिक है।

लागू मानदंडों के विरुद्ध अंतर्निहित विषय वस्तु के माप या मूल्यांकन की पुष्टि करना, जिसमें सभी प्रासंगिक मामले विषय वस्तु की जानकारी में परिलक्षित होते हैं।

यदि, आवश्यक अभ्यावेदन के अलावा, सामाजिक लेखा परीक्षक यह निर्धारित करता है कि विषय वस्तु की जानकारी से संबंधित अन्य साक्ष्य का समर्थन करने के लिए एक या अधिक लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करना आवश्यक है, तो सामाजिक लेखा परीक्षक को ऐसे अन्य लिखित अभ्यावेदन का अनुरोध करना चाहिए।

24. जब लिखित अभ्यावेदन उन मामलों से संबंधित हो जो विषय वस्तु की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो सामाजिक लेखा परीक्षक को निम्न करना चाहिए:

    अन्य अभ्यावेदन (मौखिक या लिखित) सहित प्राप्त अन्य साक्ष्यों के साथ उनकी तर्कसंगतता और संगति का मूल्यांकन करें; तथा

    विचार करें कि क्या अभ्यावेदन करने वालों से विशेष मामलों पर अच्छी तरह से वाकिफ होने की उम्मीद की जा सकती है।

    लिखित अभ्यावेदन की तिथि यथासंभव निकट होनी चाहिए, लेकिन आश्वासन रिपोर्ट की तिथि के बाद की नहीं होनी चाहिए।

<u>लागू मानदंड का विवरण</u>

25. सामाजिक लेखापरीक्षक को यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि विषय वस्तु की जानकारी पर्याप्त रूप से लागू मानदंडों को संदर्भित करती है या उनका वर्णन करती है। लागू मानदंडों का विवरण उस ढांचे के इच्छित उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है जिस पर विषय वस्तु की जानकारी आधारित होती है, और विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है जब विभिन्न मानदंडों के बीच महत्वपूर्ण अंतर होते हैं कि विषय वस्तु की जानकारी में विशेष मामलों का निपटारा कैसे किया जा सकता है।

26. एक विवरण कि विषय वस्तु की जानकारी विशेष लागू मानदंडों के अनुसार तैयार की जाती है, केवल तभी उपयुक्त है जब विषय वस्तु की जानकारी उन लागू मानदंडों की सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है जो प्रभावी हैं। लागू मानदंड का विवरण जिसमें सटीक योग्यता या सीमित भाषा शामिल है (उदाहरण के लिए, "विषय वस्तु की जानकारी XYZ की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन में है") पर्याप्त विवरण नहीं है क्योंकि यह विषय वस्तु की जानकारी के उपयोगकर्ताओं को गुमराह कर सकती है।

<u>आश्वासन/निष्कर्ष का निर्माण</u>

27. सामाजिक लेखापरीक्षक को अनुबंध के संदर्भ में प्राप्त साक्ष्य की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अधिक साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक लेखापरीक्षक को सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए, भले ही यह लागू मानदंडों के विरुद्ध अंतर्निहित विषय वस्तु के माप या मूल्यांकन की पुष्टि करता हो या उसका खंडन करता हो। यदि व्यवसायी आवश्यक अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है, तो सामाजिक लेखापरीक्षक को सामाजिक लेखापरीक्षक की राय/निष्कर्ष के प्रभावों पर विचार करना चाहिए।

28. सामाजिक लेखापरीक्षक को इस बारे में एक राय/निष्कर्ष बनाना चाहिए कि क्या विषय वस्तु की जानकारी भौतिक गलत विवरण से मुक्त है। उस राय/निष्कर्ष को बनाने में, सामाजिक लेखापरीक्षक को प्राप्त साक्ष्य की पर्याप्तता और उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष पर विचार करना चाहिए और यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या गलत गलत विवरण व्यक्तिगत या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं।

29. सोशल ऑडिटर की राय/निष्कर्ष और आश्वासन रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए साक्ष्य आवश्यक है। यह प्रकृति में संचयी है और मुख्य रूप से अनुबंध के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। हालाँकि, इसमें अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी भी शामिल हो सकती है, जैसे कि पिछले अनुबंध (बशर्ते व्यवसायी ने यह निर्धारित किया हो कि क्या पिछले अनुबंध के बाद से परिवर्तन हुए हैं जो वर्तमान जुड़ाव के लिए इसकी प्रासंगिकता को प्रभावित कर सकते हैं) या ग्राहक स्वीकृति के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं और निरंतरता

    साक्ष्य उपयुक्त पक्ष (पार्टियों) के अंदर और बाहर के स्रोतों से आ सकता है। साथ ही, साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकने वाली जानकारी उपयुक्त पक्ष (पार्टियों) द्वारा नियोजित या नियुक्त किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई हो सकती है। साक्ष्य में दोनों जानकारी शामिल होती है जो विषय वस्तु की जानकारी के पहलुओं का समर्थन और पुष्टि करती है, और कोई भी जानकारी जो विषय वस्तु की जानकारी के पहलुओं का खंडन करती है। इसके अलावा, कुछ मामलों में, सूचना की अनुपस्थिति (उदाहरण के लिए, उपयुक्त पक्ष(क्षों) द्वारा अनुरोधित प्रतिनिधित्व प्रदान करने से इनकार) का उपयोग सामाजिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, और इसलिए, यह भी प्रमाण का गठन करता है। आश्वासन राय/निष्कर्ष बनाने में अधिकांश सामाजिक लेखा परीक्षकों के कार्य में साक्ष्य प्राप्त करना और उनका मूल्यांकन करना शामिल है।

30. यदि सामाजिक लेखापरीक्षक पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है, तो एक समायोजन सीमा मौजूद है और सामाजिक लेखा परीक्षक को एक योग्य राय/निष्कर्ष व्यक्त करना चाहिए या एक राय/निष्कर्ष को अस्वीकार करना चाहिए, या अनुबंध से वापस लेना चाहिए, जहां लागू कानून के तहत वापसी संभव है।

<u>आश्वासन रिपोर्ट तैयार करना</u>

31. आश्वासन रिपोर्ट लिखित रूप में होनी चाहिए और इसमें विषय वस्तु की जानकारी के बारे में सामाजिक लेखा परीक्षक की राय/निष्कर्ष की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जहां विषय वस्तु की जानकारी में कई पहलू शामिल हैं, वहां प्रत्येक पहलू पर अलग-अलग राय/निष्कर्ष प्रदान किए जा सकते हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षक की राय/निष्कर्ष को उन सूचनाओं या स्पष्टीकरणों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए जो सामाजिक लेखापरीक्षक की राय/निष्कर्ष को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, जिसमें प्रमुख मामले, अन्य मामले, अनुबंध के विशेष पहलुओं से संबंधित निष्कर्ष, सिफारिशें या अतिरिक्त जानकारी शामिल हैं। आश्वासन रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रमुख मामले, अन्य मामले, निष्कर्ष, सिफारिशें या अतिरिक्त जानकारी का उद्देश्य सामाजिक लेखा परीक्षक की राय/निष्कर्ष से अलग होना नहीं है।

कुछ मामलों में, सोशल ऑडिटर को गैर-अनुपालन के उदाहरणों को उपयुक्त निरीक्षण निकायों और फंडिंग एजेंसियों को संप्रेषित करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

32. लिखित रिपोर्ट के समर्थन के बिना मौखिक और निष्कर्ष व्यक्त करने के अन्य रूपों को गलत समझा जा सकता है। इस कारण से, व्यवसायी लिखित आश्वासन रिपोर्ट प्रदान किए बिना मौखिक रूप से रिपोर्ट नहीं करेगा।

33. इस मानक को सभी आश्वासन कार्यों पर रिपोर्टिंग के लिए एक मानकीकृत प्रारूप की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, यह उन बुनियादी तत्वों की पहचान करता है जिन्हें आश्वासन रिपोर्ट में शामिल करना है। आश्वासन रिपोर्ट विशिष्ट अनुबंध परिस्थितियों के अनुरूप हैं। आश्वासन रिपोर्ट की स्पष्टता और पठनीयता को बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिटर शीर्षकों, पैराग्राफ नंबरों, टाइपोग्राफिक उपकरणों का उपयोग कर सकता है, उदाहरण के लिए टेक्स्ट की बोल्डिंग, और अन्य तंत्र।

34. सोशल ऑडिटर इच्छित उपयोगकर्ताओं को प्रभावी संचार की सुविधा के लिए रिपोर्टिंग की "लघु रूप" या "दीर्घ रूप" शैली चुन सकता है। "लघु-रूप" रिपोर्ट में आमतौर पर केवल मूल तत्व शामिल होते हैं। "दीर्घ रूप" रिपोर्ट में अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण शामिल हैं जिनका उद्देश्य सोशल ऑडिटर के निष्कर्ष को प्रभावित करना नहीं है। बुनियादी तत्वों के अलावा, दीर्घ रूप रिपोर्ट में अनुबंध की शर्तें, लागू होने वाले मानदंडों, अनुबंध के विशेष पहलुओं से संबंधित निष्कर्ष, सामाजिक लेखा परीक्षक की योग्यता और अनुभव का विवरण, महत्व के स्तर का प्रकटीकरण, और, कुछ मामलों में, अनुशंसाओं का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। सामाजिक लेखापरीक्षक को इच्छित उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं के लिए ऐसी जानकारी प्रदान करने के महत्व पर विचार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, अतिरिक्त जानकारी को सामाजिक लेखा परीक्षक के निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए और इस तरह से वाक्यांशित किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो कि इसका उद्देश्य उस निष्कर्ष से अलग होना नहीं है।

<u>आश्वासन रिपोर्ट की विषयवस्तु</u>

35. इस मानक के अनुपालन के लिए, अन्य बातों के अलावा, आश्वासन रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित बुनियादी तत्व शामिल होने चाहिए:

एक शीर्षक जो स्पष्ट रूप से रिपोर्ट को इंगित करता है की वह एक स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट है। एक उपयुक्त शीर्षक आश्वासन रिपोर्ट की प्रकृति की पहचान करने में मदद करता है, और इसे दूसरों द्वारा जारी की गई

रिपोर्टों से अलग करने में मदद करता है, जैसे कि वे जिन्हें व्यवसायी के समान नैतिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है। यदि लागू कानून या विनियमन या इकाई द्वारा दर्ज की गई संविदात्मक व्यवस्था आश्वासन रिपोर्ट की पहचान करने के लिए एक शीर्षक या वाक्यांश निर्दिष्ट करती है, तो सामाजिक लेखा परीक्षक इस प्रकार निर्धारित शीर्षक या वाक्यांशों का उपयोग कर सकता है।

एक प्राप्तकर्ता। एक प्राप्तकर्ता उस पार्टी या पार्टियों की पहचान करता है जिन्हें आश्वासन रिपोर्ट निर्देशित की जाती है। आश्वासन रिपोर्ट आम तौर पर आकर्षक पक्ष को संबोधित की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में अन्य इच्छित उपयोगकर्ता भी हो सकते हैं।

व्यवसायी द्वारा प्राप्त आश्वासन के स्तर की पहचान या विवरण, विषय वस्तु की जानकारी और, जब उपयुक्त हो, अंतर्निहित विषय वस्तु। जब सामाजिक लेखापरीक्षक के निष्कर्ष को उपयुक्त पक्ष द्वारा दिए गए कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वह कथन आश्वासन रिपोर्ट के साथ होना चाहिए, आश्वासन रिपोर्ट में पुन: प्रस्तुत किया जाना चाहिए या उस स्रोत को संदर्भित किया जाना चाहिए जो इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। विषय वस्तु की जानकारी की पहचान और विवरण और, जब उपयुक्त हो, अंतर्निहित विषय वस्तु में शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए:

समय या अवधि का वह बिंदु जिससे अंतर्निहित विषय वस्तु का माप या मूल्यांकन संबंधित है।

जहां लागू हो, जिम्मेदार पार्टी या जिम्मेदार पार्टी के घटक का नाम जिससे अंतर्निहित विषय वस्तु संबंधित है।

अंतर्निहित विषय वस्तु की उन विशेषताओं की व्याख्या या विषय वस्तु की जानकारी जिसके बारे में इच्छित उपयोगकर्ताओं को पता होना चाहिए, और ऐसी विशेषताएं कैसे लागू मानदंडों के विरुद्ध अंतर्निहित विषय वस्तु के मापन या मूल्यांकन की सटीकता, या उपलब्ध साक्ष्यों की प्रेरणा को प्रभावित कर सकती हैं । उदाहरण के लिए:

- जिस हद तक विषय वस्तु की जानकारी गुणात्मक बनाम मात्रात्मक, उद्देश्य बनाम व्यक्तिपरक, या ऐतिहासिक बनाम संभावित है।

- अंतर्निहित विषय वस्तु या अन्य अनुबंध परिस्थितियों में परिवर्तन जो विषय वस्तु की जानकारी की एक अवधि से अगली अवधि में तुलना को प्रभावित करते हैं

लागू मानदंडों की पहचान। एश्योरेंस रिपोर्ट उन लागू मानदंडों की पहचान करती है जिनके अनुसार अंतर्निहित विषय वस्तु को मापा या मूल्यांकन किया गया था ताकि इच्छित उपयोगकर्ता सोशल ऑडिटर की राय/निष्कर्ष के आधार को समझ सकें। आश्वासन रिपोर्ट में लागू मानदंड शामिल हो सकते हैं, या उन्हें संदर्भित कर सकते हैं यदि वे विषय वस्तु की जानकारी में शामिल हैं या यदि वे आसानी से सुलभ स्रोत से उपलब्ध हैं। इन परिस्थितियों में निम्न प्रकटीकरण करना प्रासंगिक हो सकता है:

लागू मानदंडों का स्रोत, और क्या लागू मानदंड कानून या विनियम में सन्निहित हैं या नहीं, या विशेषज्ञों के अधिकृत या मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा जारी किए गए हैं जो एक पारदर्शी नियत प्रक्रिया का पालन करते

हैं, अर्थात, क्या वे अंतर्निहित विषय वस्तु के संदर्भ में स्थापित मानदंड हैं (और यदि वे नहीं हैं, तो इस बात का विवरण कि उन्हें उपयुक्त क्यों माना जाता है)।

मापन या मूल्यांकन विधियों का उपयोग तब किया जाता है जब लागू मानदंड कई तरीकों के बीच चुनाव की अनुमति देता है।

अनुबंध की परिस्थितियों में लागू मानदंडों को लागू करने में की गई कोई भी महत्वपूर्ण व्याख्या।

क्या उपयोग किए गए मापन या मूल्यांकन विधियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

जहां उपयुक्त हो, लागू मानदंडों के विरुद्ध अंतर्निहित विषय वस्तु के मापन या मूल्यांकन से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण अंतर्निहित सीमाओं का विवरण। हालांकि कुछ मामलों में, आश्वासन रिपोर्ट के इच्छित उपयोगकर्ताओं द्वारा अंतर्निहित सीमाओं को अच्छी तरह से समझने की उम्मीद की जा सकती है, अन्य मामलों में आश्वासन रिपोर्ट में उनका स्पष्ट संदर्भ देना उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता से संबंधित एक आश्वासन रिपोर्ट में, यह नोट करना उचित हो सकता है कि प्रभावशीलता का ऐतिहासिक मूल्यांकन भविष्य की अवधि के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि जोखिम के कारण आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

जब लागू मानदंड किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं, तो एक बयान पाठकों को इस तथ्य के प्रति सचेत करता है और परिणामस्वरूप, विषय वस्तु की जानकारी किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। कुछ मामलों में अंतर्निहित विषय वस्तु को मापने या मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लागू मानदंड एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नियामक को कुछ संस्थाओं को नियामक उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष लागू मानदंडों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। गलतफहमी से बचने के लिए, सोशल ऑडिटर पाठकों को आश्वासन रिपोर्ट के बारे में इस तथ्य के प्रति सचेत करता है और इसलिए, विषय वस्तु की जानकारी किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में आवश्यक अलर्ट के अलावा, सोशल ऑडिटर यह इंगित करना उचित समझ सकता है कि आश्वासन रिपोर्ट केवल विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए है। उदाहरण के लिए अनुबंध की परिस्थितियों के आधार पर विशेष क्षेत्राधिकार का कानून या विनियमन, यह आश्वासन रिपोर्ट के वितरण या उपयोग को प्रतिबंधित करके प्राप्त किया जा सकता है। जबकि एक आश्वासन रिपोर्ट को इस तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है, किसी विशेष उपयोगकर्ता या उद्देश्य के संबंध में प्रतिबंध की अनुपस्थिति स्वयं यह इंगित नहीं करती है कि उस उपयोगकर्ता के संबंध में या उस उद्देश्य के लिए सामाजिक लेखा परीक्षक द्वारा कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई है। कानूनी जिम्मेदारी पूरी की गई है या नहीं, यह प्रत्येक मामले की कानूनी परिस्थितियों और संबंधित क्षेत्राधिकार पर निर्भर करेगा।

जिम्मेदार पार्टी और मापक या मूल्यांकनकर्ता की पहचान करने के लिए एक बयान, यदि अलग हो, और उनकी जिम्मेदारियों और सामाजिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों का वर्णन करना हो। सापेक्ष जिम्मेदारियों की पहचान करना इच्छित उपयोगकर्ताओं को सूचित करता है कि जिम्मेदार पक्ष अंतर्निहित विषय वस्तु के लिए ज़िम्मेदार है, कि मापक या मूल्यांकनकर्ता लागू मानदंडों के विरुद्ध अंतर्निहित विषय वस्तु के मापन या मूल्यांकन के लिए ज़िम्मेदार है, और सामाजिक लेखा परीक्षक की भूमिका विषय वस्तु की जानकारी के बारे

में एक राय/निष्कर्ष व्यक्त करने में स्वतंत्र है ।

एक बयान कि अनुबंध इस मानक के अनुसार किया गया था।

एक बयान कि फर्म, जिसका व्यवसायी भागीदार है, ने एसक्यूसी, सामाजिक लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण लागू किया है।

एक बयान कि व्यवसायी सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए सोशल ऑडिटर पर लागू आचार संहिता की स्वतंत्रता और अन्य नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। निम्नलिखित नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में आश्वासन रिपोर्ट में एक बयान का एक उदाहरण है: "हमने सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए सोशल ऑडिटर द्वारा प्रभाव रिपोर्टिंग पर आश्वासन मानक के अनुसार अपने अनुबंध का संचालन किया।" इस मानक के लिए आवश्यक है कि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

सामाजिक लेखा परीक्षक की राय/निष्कर्ष के आधार के रूप में किए गए कार्य का एक सूचनात्मक सारांश। एश्योरेंस एंगेजमेंट में, सोशल ऑडिटर की राय/निष्कर्ष को समझने के लिए प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा को समझना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि सारांश को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से लिखा जाए जिससे कि इच्छित उपयोगकर्ता सामाजिक लेखापरीक्षक की राय/निष्कर्ष के आधार के रूप में किए गए कार्य को समझ सकें। ज्यादातर मामलों में इसमें पूरी कार्य योजना का विवरण शामिल नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर यह महत्वपूर्ण है कि इसे इतना संक्षिप्त न किया जाए कि अस्पष्ट हो, और न ही इस तरह से लिखा गया हो जो आवश्यकता से अधिक विस्तृत या अलंकृत हो।

व्यवसायी की राय/निष्कर्ष -

जब उपयुक्त हो, राय/निष्कर्ष को इच्छित उपयोगकर्ताओं को उस संदर्भ के बारे में सूचित करना चाहिए जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षक की राय/निष्कर्ष को पढ़ा जाना है। लक्षित उपयोगकर्ताओं को उस संदर्भ के बारे में सूचित करना उचित हो सकता है जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षक की राय/निष्कर्ष को पढ़ा जाना है जब आश्वासन रिपोर्ट में अंतर्निहित विषय वस्तु की विशेष विशेषताओं का स्पष्टीकरण शामिल होता है जिसके बारे में इच्छित उपयोगकर्ताओं को अवगत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, सोशल ऑडिटर की राय/निष्कर्ष में इस तरह के शब्द शामिल हो सकते हैं: "यह राय/निष्कर्ष इस स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट में कहीं और उल्लिखित मामलों के आधार पर बनाया गया है।"

निष्कर्ष को एक ऐसे रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए जो बताता है कि, प्रदर्शित की गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, सामाजिक लेखा परीक्षक के ध्यान में कोई मामला आया है जिससे सामाजिक लेखा परीक्षक को विश्वास हो कि विषय वस्तु की जानकारी भौतिक रूप से गलत है। इस तरह के आश्वासन अनुबंध के लिए उपयुक्त रूप में व्यक्त किए गए निष्कर्षों के उदाहरणों में निम्न शामिल हैं:

- जब अंतर्निहित विषय वस्तु और लागू मानदंडों के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, "अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें

विश्वास हो कि [इकाई] ने सभी भौतिक मामलों में XYZ कानून का अनुपालन नहीं किया है।"

- जब विषय वस्तु की जानकारी और लागू मानदंडों के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, "अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, हम किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि उनके लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के मूल्यांकन के लिए XYZ मानदंड के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।"; या

- जब उपयुक्त पक्ष द्वारा दिए गए एक बयान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, "अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि [उपयुक्त पक्ष के] कथन [संस्था] ने XYZ कानून की अनुपलना में सभी भौतिक मामलों में निष्पक्ष रूप से बयान नहीं किया है।"

राय/निष्कर्ष को अंतर्निहित विषय वस्तु के लिए उपयुक्त शब्दों का उपयोग करके और अनुबंध की परिस्थितियों को देखते हुए लागू मानदंडों का उपयोग करके लिखा जाना चाहिए और इसके संदर्भ में लिखे जाने की आवश्यकता है:

अंतर्निहित विषय वस्तु और लागू मानदंड;
विषय वस्तु की जानकारी और लागू मानदंड; या
उपयुक्त पार्टी द्वारा किया गया एक कथन।

अभिव्यक्ति के रूप जो अंतर्निहित विषय के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनमें एक या निम्नलिखित का संयोजन शामिल हैं:

- अनुपालन संलग्नताओं के लिए- "अनुपालन में" या "अनुसार।"
- जब अनुबंध लागू मानदंड विषय वस्तु की जानकारी की तैयारी या प्रस्तुति के लिए एक प्रक्रिया या कार्यप्रणाली का वर्णन करते हैं- "ठीक से तैयार।"
- जब अनुबंध के लिए निष्पक्ष प्रस्तुति के सिद्धांतों को लागू मानदंडों में शामिल किया जाता है- "काफी कहा गया।"

जब व्यवसायी एक संशोधित राय/निष्कर्ष व्यक्त करता है, तो आश्वासन रिपोर्ट में निम्न शामिल होना चाहिए:

एक खंड जो संशोधन का कारण बनने वाले विवरण को प्रदान करता है;
और
एक खंड जिसमें व्यवसायी का संशोधित राय/निष्कर्ष शामिल है।

सोशल ऑडिटर के हस्ताक्षर - आश्वासन रिपोर्ट पर सोशल ऑडिटर द्वारा अपने व्यक्तिगत नाम पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। जहां एक फर्म को अनुबंध करने के लिए नियुक्त किया जाता है, रिपोर्ट पर सोशल ऑडिटर के व्यक्तिगत नाम और ऑडिट फर्म के नाम पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। आश्वासन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले भागीदार/मालिक को व्यावसायिक संस्थान, जिसका वह सदस्य है या एसआरओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्दिष्ट सदस्यता संख्या का उल्लेख करना होगा। उनके द्वारा हस्ताक्षरित आश्वासन रिपोर्ट में वे फर्म की पंजीकरण संख्या भी शामिल करते हैं, जहां भी लागू हो, जिसे

पेशेवर संस्थान द्वारा आवंटित किया जाता है, जिसका वह सदस्य या एसआरओ होता है, जैसा भी मामला हो।

आश्वासन रिपोर्ट की तिथि। आश्वासन रिपोर्ट उस तिथि से पहले की नहीं होनी चाहिए जिस दिन सोशल ऑडिटर ने सबूत प्राप्त किया है जिस पर सोशल ऑडिटर की राय/निष्कर्ष आधारित है, जिसमें सबूत शामिल हैं कि मान्यता प्राप्त प्राधिकारी के पास दावा है कि उन्होंने विषय वस्तु के लिए जिम्मेदारी ली है।
हस्ताक्षर का स्थान।

<u>सम्प्रेषण की अन्य जिम्मेदारियाँ</u>

36. सोशल ऑडिटर को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अनुबंध की शर्तों और अन्य अनुबंध की परिस्थितियों के अनुसार, सोशल ऑडिटर के ध्यान में कोई मामला आया है जिसे जिम्मेदार पार्टी, मापक या मूल्यांकनकर्ता, संलग्न पार्टी के साथ सूचित किया जाना है जिनके पास प्रशासन या अन्य का प्रभार है।

<u>दस्तावेजीकरण</u>

37. सामाजिक लेखापरीक्षक को समयबद्ध आधार पर अनुबंध दस्तावेज तैयार करना चाहिए जो आश्वासन रिपोर्ट के आधार का रिकॉर्ड प्रदान करता है जो एक अनुभवी सामाजिक लेखा परीक्षक को सक्षम करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है, जिसका अनुबंध से कोई पूर्व संबंध नहीं है, ताकि यह समाझा जा सके:

    मानक और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा;

    अपनाई गई प्रक्रियाओं के परिणाम, और प्राप्त साक्ष्य; तथा

    अनुबंध के दौरान उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मामले, उस पर निष्कर्ष, और उन निष्कर्षों तक पहुंचने में किए गए महत्वपूर्ण पेशेवर निर्णय।

38. यदि सामाजिक लेखापरीक्षक ऐसी जानकारी की पहचान करता है जो किसी महत्वपूर्ण मामले के संबंध में सामाजिक लेखापरीक्षक की अंतिम राय/निष्कर्ष के साथ असंगत है, तो सामाजिक लेखापरीक्षक को यह दस्तावेज तैयार करना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षक ने विसंगति को कैसे संबोधित किया।

39. सोशल ऑडिटर को एंगेजमेंट फाइल में एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल करना चाहिए और एश्योरेंस रिपोर्ट की तारीख के बाद समय पर फाइनल एंगेजमेंट फाइल को असेंबल करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। ऐसे मानक निर्धारित किए जाने चाहिए जिनके लिए एंगेजमेंट फाइलों की असेंबली को समय पर पूरा करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना की आवश्यकता हो। एक उपयुक्त समय सीमा जिसके भीतर अंतिम एंगेजमेंट फ़ाइल की असेंबली को पूरा करने के लिए आम तौर पर आश्वासन रिपोर्ट की तारीख के 60

दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

40. आश्वासन रिपोर्ट की तारीख के बाद अंतिम अनुबंध फ़ाइल की असेंबली का पूरा होना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें नई प्रक्रियाओं का अपनाना या नई राय / निष्कर्ष निकालना शामिल नहीं है। हालाँकि, अंतिम असेंबली प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज़ीकरण में परिवर्तन किए जा सकते हैं यदि वे प्रकृति में प्रशासनिक हैं। ऐसे परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्न शामिल हैं:

    - दोहरे दस्तावेज़ों को हटाना।
    - कार्यात्मक दस्तावेजों को छांटना, मिलान करना और क्रॉस-रेफरेंसिंग करना।
    - फाइल असेंबली प्रक्रिया से संबंधित चेकलिस्ट को पूरा करने पर हस्ताक्षर करना।
    - इस बात का दस्तावेजीकरण करना कि सोशल ऑडिटर ने आश्वासन रिपोर्ट की तारीख से पहले अनुबंध टीम के साथ प्राप्त, चर्चा और सहमति व्यक्त की है।

41. अंतिम अनुबंध फ़ाइल की असेंबली पूरी होने के बाद, सोशल ऑडिटर को अपनी अवधारण अवधि के अंत से पहले किसी भी प्रकृति के अनुबंध दस्तावेज को हटाना या निकालना नहीं चाहिए। आश्वासन अनुबंध के लिए प्रतिधारण अवधि आमतौर पर आश्वासन रिपोर्ट की तारीख से सात साल तक है।

42. यदि सामाजिक लेखापरीक्षक को मौजूदा अनुबंध दस्तावेज में संशोधन करना या अंतिम अनुबंध फ़ाइल की असेंबली पूरी होने के बाद नए अनुबंध दस्तावेज जोड़ना आवश्यक लगता है, तो सामाजिक लेखा परीक्षक को, संशोधनों या परिवर्धन की प्रकृति की परवाह किए बिना, निम्न दस्तावेज़ तैयार करने चाहिए:

    - संशोधन या परिवर्धन करने के विशिष्ट कारण; तथा
    - उन्हें कब, किसके द्वारा बनाया गया और समीक्षा की गई

<u>मानक में प्रयुक्त शब्दावली</u>

इस मानक के उद्देश्य के लिए कुछ शब्दों के अर्थों का वर्णन यहाँ किया गया है:

1. **एश्योरेंस एंगेजमेंट**: एक अनुबंध जिसमें एक सोशल ऑडिटर का उद्देश्य एक राय/निष्कर्ष व्यक्त करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त प्रमाण प्राप्त करना है, जिसे विषय की जानकारी के बारे में जिम्मेदार पार्टी के अलावा, इच्छित उपयोगकर्ताओं के विश्वास की डिग्री बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है (अर्थात्, मानदंड के विरुद्ध किसी अंतर्निहित विषय वस्तु के मापन या मूल्यांकन का परिणाम)।
2. **आश्वासन कौशल और तकनीकें:** वे नियोजन, साक्ष्य एकत्र करना, साक्ष्य मूल्यांकन, संचार और रिपोर्टिंग

कौशल और तकनीक जो एक सामाजिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं जो किसी विशेष आश्वासन अनुबंध या इसके माप या मूल्यांकन के अंतर्निहित विषय में विशेषज्ञता से अलग हैं। आश्वासन कौशल और तकनीकों में शामिल हैं:

- पेशेवर संदेह और पेशेवर निर्णय का आवेदन;
- एक आश्वासन अनुबंध की योजना बनाना और प्रदर्शन करना,
- • साक्ष्य प्राप्त करना और मूल्यांकन करना;
- सूचना प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण की भूमिका और सीमाओं को समझना;
- प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा के लिए महत्व और अनुबंध के जोखिमों पर विचार करना;
- अनुबंध के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को लागू करना (जिसमें पूछताछ, निरीक्षण, पुन: गणना, पुन: प्रदर्शन, अवलोकन, पुष्टि और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं); तथा
- व्यवस्थित प्रलेखन अभ्यास और आश्वासन रिपोर्ट लेखन कौशल।

3. **मानदंड:** अंतर्निहित विषय वस्तु को मापने या मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क। "लागू मानदंड" विशेष अनुबंध के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड हैं। पेशेवर निर्णय के संदर्भ में एक अंतर्निहित विषय वस्तु के उचित रूप से सुसंगत माप या मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मानदंड की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानदंड द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ के फ्रेम के बिना, कोई भी निष्कर्ष व्यक्तिगत व्याख्या और गलतफहमी के लिए खुला होता है। मानदंड की उपयुक्तता संदर्भ-संवेदी होती है, अर्थात यह कार्य परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित होता है। यहां तक कि एक ही अंतर्निहित विषय वस्तु के लिए अलग-अलग मानदंड हो सकते हैं, जिनका माप और मूल्यांकन भिन्न प्रकार से किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक मापक या मूल्यांकनकर्ता ग्राहक संतुष्टि के अंतर्निहित विषय वस्तु के मानदंड के रूप में, ग्राहक की स्वीकृत संतुष्टि के लिए हल की गई ग्राहक शिकायतों की संख्या का चयन कर सकता है; एक अन्य मापक या मूल्यांकनकर्ता प्रारंभिक खरीद के बाद तीन महीनों में बार-बार खरीदारी की संख्या का चयन कर सकता है।

4. **एंगेजमेंट रिस्क-** विषय की जानकारी को गलत तरीके से बताए जाने पर सोशल ऑडिटर द्वारा अनुचित निष्कर्ष निकालने का जोखिम।

5. **एंगेजमेंट टीम** - अनुबंध करने वाले सभी कर्मचारी, जिसमें उस एंगेजमेंट के संबंध में फर्म द्वारा अनुबंधित कोई भी विशेषज्ञ शामिल है।

6. **साक्ष्य** - सामाजिक लेखापरीक्षक के निष्कर्ष पर पहुंचने में सामाजिक लेखापरीक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली सूचना। साक्ष्य में प्रासंगिक सूचना प्रणाली में निहित जानकारी, यदि कोई हो, और अन्य जानकारी दोनों शामिल हैं।

7. **लक्षित उपयोगकर्ता -** वह व्यक्ति या संगठन, या उसका समूह, जिसकी सामाजिक लेखापरीक्षक अपेक्षा करता

है कि वह आश्वासन रिपोर्ट का उपयोग करेगा। कुछ मामलों में उन लोगों के अलावा अन्य इच्छित उपयोगकर्ता हो सकते हैं जिन्हें आश्वासन रिपोर्ट को संबोधित किया गया है। व्यवसायी उन सभी की पहचान करने में सक्षम नहीं हो सकता है जो आश्वासन रिपोर्ट पढ़ेंगे, विशेष रूप से, जहां बड़ी संख्या में लोगों की पहुंच है। ऐसे मामलों में, विशेष रूप से जहां संभव हो, उपयोगकर्ताओं के पास अंतर्निहित विषय वस्तु में व्यापक हित होने की संभावना होती है, लक्षित उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण और सामान्य हितों वाले प्रमुख हितधारकों तक सीमित हो सकते हैं। लक्षित उपयोगकर्ताओं की पहचान अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है, उदाहरण के लिए, सामाजिक लेखा परीक्षक और जिम्मेदार पक्ष या नियुक्त पक्ष के बीच समझौते द्वारा, या कानून या विनियम द्वारा।

कुछ मामलों में, इच्छित उपयोगकर्ता (उदाहरण के लिए, फंडिंग एजेंसी और नियामक) एक आवश्यकता को पैदा करते हैं, या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए जाने वाले आश्वासन अनुबंध की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त पार्टी (यों) से अनुरोध करते हैं। जब अनुबंध एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किए गए मानदंडों का उपयोग करते हैं, तो इस तथ्य के लिए पाठकों को सचेत करने वाला एक बयान शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, व्यवसायी यह इंगित करना उचित समझ सकता है कि आश्वासन रिपोर्ट केवल विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए है। अनुबंध की परिस्थितियों के आधार पर, इसे आश्वासन रिपोर्ट के वितरण या उपयोग को प्रतिबंधित करके प्राप्त किया जा सकता है।

8. व्यावसायिक निर्णय - आश्वासन और नैतिक मानकों द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ के अंदर प्रासंगिक प्रशिक्षण, ज्ञान और अनुभव का उपयोग, जो कार्य प्रक्रिया के बारे में सूचित निर्णय लेने में जो अनुबंध की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।

9. **पेशेवर संशयवाद** - एक दृष्टिकोण जिसमें एक दिमाग में एक प्रश्नचिह्न शामिल है, उन स्थितियों के प्रति सतर्क रहना जो संभावित गलत बयानी का संकेत दे सकती हैं, और साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन।

10. **महत्वपूर्ण गलत विवरण का जोखिम** - जानकारी का यह जोखिम कि अनुबंध से पहले विषय वस्तु के सबंध में महत्वपूर्ण गलत जानकारी दी गई है।

11. **विषय वस्तु की जानकारी** - मानदंड कि तुलना में अंतर्निहित विषय वस्तु के मापन या मूल्यांकन का परिणाम, अर्थात, वह जानकारी जो मानदंड को अंतर्निहित विषय वस्तु पर लागू करने के परिणामस्वरू प्राप्त होती है। कुछ मामलों में, विषय वस्तु की जानकारी एक बयान हो सकती है जो मानदंड के संबंध में प्रक्रिया, या प्रदर्शन या अनुपालन के पहलू का मूल्यांकन करती है। उदाहरण के लिए, "एबीसी की प्रशासन संरचना अवधि के दौरान एक्सवाईजेड मानदंडों के अनुरूप है ---"

संलग्नक-5: एसए के लिए ड्राफ्ट आचार संहिता

परिचय

भारत का संविधान घोसणा करता है की भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

राष्ट्र के समाजवादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से, सरकार ने अन्य उपायों के साथ-साथ सामाजिक उद्यम स्थापित करने का प्रयास किया है। ये सामाजिक उद्यम वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरण कल्याण में वृद्धि में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक उद्यमों का प्राथमिक उद्देश्य समाज में सामाजिक परिवर्तन करना, प्रोत्साहित करना और विकास करना है। इन्हें कई अलग-अलग रूपों में संरचित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ), जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत शामिल कंपनियां, ट्रस्ट और सोसायटी शामिल हैं; और लाभकारी सामाजिक उद्यम (एफपीई), जो अपने व्यवसायों के हिस्से के रूप में सामाजिक प्रभाव पैदा करते हैं और कॉर्पोरेट, साझेदारी या एकल-स्वामित्व फर्म के रूप में हो सकते हैं।

अधिकांश सामाजिक उद्यम विविध स्रोतों के माध्यम से पूंजीगत धन प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए परोपकार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, निवेशकों या व्यक्तिगत दाताओं को प्रभावित करते हैं।

पूरे भारत में गैर-लाभकारी क्षेत्र के उद्यमों (एनपीओ) में तेजी आई है, लेकिन इस क्षेत्र के कामकाज में एकरूपता का अभाव है, जो इस क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के विश्वास को प्रभावित करता है। इस पृष्ठभूमि में, सूचना भंडार (आईआर) की अवधारणा सहायक होगी, जिसे एनपीओ के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के उद्देश्य से एनपीओ की सूचना जारी करने और रखरखाव में दक्षता, पारदर्शिता और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। .

उद्देश्य :-

सामाजिक लेखा परीक्षा

सामाजिक उद्यमों के लिए उपलब्ध वित्त पोषण विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला के बीच, सामाजिक कल्याण उद्देश्य से सरकार द्वारा सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) में सूचीबद्ध करके वैकल्पिक धन उगाहने वाले ढांचे की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया गया है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियामक ढांचे के अंतर्गत आते हैं।

इसके अलावा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) का उद्देश्य कोविड -19 महामारी से होने वाली आर्थिक क्षति को कम करना होगा और इसके लिए महामारी से प्रभावित लोगों की आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक पूंजी की आवश्यकता होगी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का लक्ष्य दबाव की समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि यह सामाजिक पूंजी के बड़े पूल को अनलॉक करेगा और वाणिज्यिक पूंजी को सामाजिक पूंजी के साथ साझेदारी करने में सक्षम करेगा।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) लाभकारी सामाजिक उद्यम (एफपीई) और गैर-लाभकारी सामाजिक उद्यमों (एनपीओ) को अलग-अलग मान्यता देगा, क्योंकि वे अलग-अलग वित्तीय जरूरतों के साथ अलग-अलग तरीकों से

काम करते हैं। फिर भी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत सभी उद्यमों के लिए रिपोर्टिंग के लिए सामान्य न्यूनतम मानक प्रस्तावित किए गए हैं। इन मानकों के लिए उद्यमों को सामाजिक प्रभाव, शासन और वित्तीय मामलों पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।

सामाजिक उद्यम, चाहे एफपीई हो या एनपीओ, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) के माध्यम से धन जुटाना चाहते हैं, उन्हें न्यूनतम रिपोर्टिंग मानक के तहत रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। यह रिपोर्टिंग आवश्यकता रिपोर्ट के हितधारकों को इन संगठनों के प्रदर्शन को समझने और यह जांचने में मदद करेगी कि क्या वे वास्तव में सामाजिक प्रभाव पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

सामाजिक उद्यमों द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकता के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होगी, जो रिपोर्टिंग का स्वतंत्र सत्यापन अर्थात सोशल ऑडिट करेगा। सोशल ऑडिट के दो भाग होंगे - वित्तीय ऑडिट, वित्तीय ऑडिट करने से संबंधित भाग, और गैर-वित्तीय ऑडिट, जिसमें प्रीलिस्टिंग और पोस्ट लिस्टिंग गवर्नेंस और अनुपालन संबंधी कार्य और सोशल पर पंजीकृत संस्थाओं द्वारा किए गए प्रभाव रिपोर्टिंग पर पोस्ट लिस्टिंग आश्वासन शामिल होंगे। प्रभाव रिपोर्टिंग में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण भी शामिल होगा।

सोशल ऑडिट एक स्वतंत्र परीक्षा को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन में सुधार करना है। एक सामाजिक लेखा परीक्षा दृष्टि और वास्तविकता के साथ-साथ दक्षता और प्रभावशीलता के बीच विसंगतियों को कम करने में मदद करता है।

सामाजिक प्रभाव पर रिपोर्टिंग करने से दाताओं को निर्णय लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे प्रभाव रिपोर्टिंग में एकरूपता पैदा होगी। सामाजिक लेखा परीक्षक के पास प्रभाव मूल्यांकन क्षमताएं भी होनी चाहिए।

सामाजिक लेखा परीक्षकों से उच्च नैतिक और पेशेवर मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि वे जनता के विश्वास के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के विश्वास को सुनिश्चित करने में सक्षम हों। सामाजिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग पर विश्वास, भरोसा और विश्वसनीयता अपरिहार्य है।

सूचना भंडार

सूचना भंडार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में विश्वसनीय, सटीक और समय पर जानकारी का डेटाबेस बनाना और रखरखाव शामिल है, ताकि यह निवेशकों को पारदर्शी और तुलनीय जानकारी प्रदान कर सके।

इस संदर्भ में, इस आचार संहिता का उद्देश्य सामाजिक लेखा परीक्षकों को उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता और मार्गदर्शन करना है। यह सामाजिक लेखा परीक्षकों के लिए उनकी सेवाओं में आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए पालन करने की न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित करता है।

सामाजिक लेखापरीक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी और परिश्रम करेंगे।

यह आचार संहिता सोशल स्टॉक एक्सचेंजों, या किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त है, जिसका उन पर अधिकार क्षेत्र होता है।

1. <u>प्रासंगिकता</u>

सामाजिक लेखा परीक्षकों के लिए यह आचार संहिता ("आचार संहिता") सामाजिक लेखा परीक्षकों पर लागू होती है, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नियामक ढांचे के तहत काम कर रहे हैं।

2. परिभाषाएँ

a) 'आचार संहिता' का अर्थ है सामाजिक लेखा परीक्षकों के लिए आचार संहिता;

b) सोशल ऑडिटर के संदर्भ में 'संबंधी' एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो पति या पत्नी, माता-पिता, बच्चे या भाई-बहन है;

c) 'सोशल ऑडिट' वित्तीय ऑडिट से संबंधित भाग को संदर्भित करता है, और गैर गैर-वित्तीय ओडिट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा शासित सामाजिक उद्यमों से संबंधित रिपोर्ट के ऑडिट से संबंधित भाग है;

d) 'सोशल ऑडिटर' या 'एसए' उस व्यक्ति या फर्म या संस्थान को संदर्भित करता है जिसे सेबी द्वारा शासित सामाजिक उद्यम के सोशल ऑडिट के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है। इसमें वित्तीय लेखा परीक्षा से संबंधित भाग के लिए, एक व्यक्ति जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) का सदस्य है, अभ्यास का प्रमाण पत्र (सीओपी) धारण करता है; और गैर-वित्तीय लेखा परीक्षा से संबंधित भाग के लिए, एक व्यक्ति जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर है और विकास क्षेत्र में 3 साल का अनुभव रखता है या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है और विकास क्षेत्र में 6 साल का अनुभव रखता है, या एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार या कोई अन्य मान्यता प्राप्त व्यक्ति / एजेंसी निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करती है, को नियुक्त किया जाता है।

e) 'सूचना भंडार' या 'आईआर' एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटाबेस एकत्र करता है, रखता है और प्रदान करता है।

3. सामाजिक लेखा परीक्षकों के लिए मूलभूत सिधान्त

3.1 सत्यनिष्ठा

सत्यनिष्ठा आचार संहिता का मूलभूत मूल्य है। सामाजिक अंकेक्षक की सत्यनिष्ठा विश्वास स्थापित करती है, और इस प्रकार उनके निर्णय या उनके कार्य पर निर्भरता का आधार प्रदान करती है। एक एसए को सत्यनिष्ठा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसके लिए उसे सभी पेशेवर और व्यावसायिक संबंधों में सीधा और ईमानदार होना आवश्यक है। जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए, एसए का आचरण संदेह और तिरस्कार से ऊपर होना चाहिए।

सत्यनिष्ठा को सही और न्यायसंगतता के संदर्भ में मापा जाता है। सत्यनिष्ठा के लिए नैतिक मानकों के

स्वरूप और भावना दोनों का पालन करने और अपने काम को करने और संसाधनों को संभालने में पूर्ण ईमानदारी आवश्यकता होती है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है निष्पक्ष व्यवहार और सच्चाई।

एक एसए को जानबूझकर रिपोर्ट, रिटर्न, संचार या अन्य जानकारी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए: -

जहां वह मानता है कि जानकारी में भौतिक रूप से गलत या भ्रामक बयान है; या

लापरवाही से प्रदान किए गए बयान या जानकारी शामिल हैं; या

जहां ऐसी चूक या अस्पष्टता भ्रामक होगी, वहां आवश्यक जानकारी को छोड़ देता है या अस्पष्ट करता है।

3.2 वस्तुपरकता

एक एसए को निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसके लिए उसे पूर्वाग्रह, हितों के टकराव या दूसरों के अनुचित प्रभाव के कारण पेशेवर या व्यावसायिक निर्णय से समझौता नहीं करना चाहिए।

3.3 गोपनियता

a) एक एसए को निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसके लिए उसे पूर्वाग्रह, हितों के टकराव या दूसरों के अनुचित प्रभाव के कारण पेशेवर या व्यावसायिक निर्णय से समझौता नहीं करना चाहिए।

b) अनजाने में प्रकटीकरण की संभावना के प्रति सतर्क रहें, जिसमें सामाजिक वातावरण भी शामिल है, और विशेष रूप से किसी करीबी व्यावसायिक सहयोगी या किसी रिश्तेदार के लिए;

c) संभावित ग्राहक द्वारा प्रकट की गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना;

d) उचित और विशिष्ट अधिकार के बिना व्यावसायिक संबंधों के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई कानूनी या पेशेवर कर्तव्य या प्रकटीकरण करने का अधिकार न हो;

e) व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए व्यावसायिक संबंधों के परिणामस्वरूप प्राप्त गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं करना चाहिए;

f) उस संबंध के समाप्त होने के बाद, किसी पेशेवर संबंध के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी का उपयोग या प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए; तथा

g) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं कि उसके नियंत्रण में आने वाले कर्मियों और जिन व्यक्तियों से सलाह और सहायता प्राप्त की जाती है, वे गोपनीयता के अपने कर्तव्य का सम्मान करते हैं।

गोपनीयता सार्वजनिक हित को पूरा करती है क्योंकि यह क्लाइंट से सोशल ऑडिटर तक सूचना के मुक्त प्रवाह की सुविधा प्रदान करती है, इस ज्ञान के साथ कि जानकारी का प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष को नहीं किया जाएगा।

फिर भी, निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं जहाँ सामाजिक लेखापरीक्षक को गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है, या जब ऐसा प्रकटीकरण उपयुक्त हो सकता है:

कानून द्वारा प्रकटीकरण आवश्यक है, उदाहरण के लिए:

i. कानूनी कार्यवाही के दौरान दस्तावेजों या साक्ष्य के अन्य प्रावधान का निर्माण; या

ii. द्वितीय कानून के उल्लंघन के प्रकाश में आने वाले उपयुक्त सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रकटीकरण;

कानून द्वारा प्रकटीकरण की अनुमति है और ग्राहक द्वारा अधिकृत है; तथा

कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर एक पेशेवर कर्तव्य या खुलासा करने का अधिकार है:

i. किसी पेशेवर या नियामक संस्था द्वारा पूछताछ या जांच का जवाब देने के लिए;

ii. कानूनी कार्यवाही में लेखा परीक्षक के व्यावसायिक हितों की रक्षा करना; या

iii. नैतिक आवश्यकताओं सहित तकनीकी और व्यावसायिक मानकों या दिशानिर्देशों का पालन करना

3.4 पेशेवर व्यवहार

एक एसए को पेशेवर व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसके लिए उसे प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है और किसी भी ऐसे आचरण से बचना चाहिए जिसे वह जानता है या जानना चाहिए जो उसे या उसके पेशे को बदनाम कर सकता है।
आचरण जो पेशे को बदनाम कर सकता है, उसमें वह आचरण शामिल है जो एक उचित और सूचित तीसरे पक्ष द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, पेशे की अच्छी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
एक एसए को खुले विचारों वाला और परिपक्व होना चाहिए। उसके पास ध्वनि निर्णय, विश्लेषणात्मक कौशल और तप होना चाहिए, और व्यावहारिक तरीके से स्थितियों को संभालने, व्यापक दृष्टिकोण से जटिल संचालन को समझने और समग्र संगठन के भीतर व्यक्तिगत इकाइयों की भूमिका को समझने की क्षमता होनी चाहिए।

3.5 पेशेवर दक्षता और उचित देखभाल

एक एसए को पेशेवर क्षमता और उचित देखभाल के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसके लिए उसे निम्न की आवश्यकता होती है:

(क) वर्तमान तकनीकी और पेशेवर मानकों और प्रासंगिक कानून के आधार पर एक ग्राहक को सक्षम पेशेवर सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तर पर पेशेवर ज्ञान और कौशल प्राप्त करना और बनाए रखना; तथा
(ख) तत्परता और लागू तकनीकी और पेशेवर मानकों के अनुसार कार्य करें।

पेशेवर क्षमता के साथ ग्राहकों की सेवा करने के लिए पेशेवर ज्ञान और कौशल को लागू करने में ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

पेशेवर क्षमता बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता और प्रासंगिक तकनीकी, पेशेवर और व्यावसायिक विकास की समझ की आवश्यकता होती है। सतत व्यावसायिक विकास एक एसए को पेशेवर वातावरण में सक्षम रूप से प्रदर्शन करने की क्षमताओं को विकसित करने और बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
तत्परता में एक असाइनमेंट की आवश्यकताओं के अनुसार सावधानीपूर्वक, पूरी तरह से और समय पर कार्य करने की जिम्मेदारी शामिल है।
पेशेवर क्षमता और उचित देखभाल के सिद्धांत के अनुपालन में, एक एसए को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि उसके अधिकार के तहत पेशेवर क्षमता में काम करने वालों के पास उचित प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण हो।

जहां उपयुक्त हो, एक एसए को ग्राहकों या अन्य उपयोगकर्ताओं को अपनी पेशेवर सेवाओं या गतिविधियों के बारे में जागरूक करना चाहिए, सेवाओं या गतिविधियों में निहित सीमाओं से अवगत कराना चाहिए।

एक सामाजिक अंकेक्षक के पास निम्न न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए:-

क) वस्तुनिष्ठ जानकारी को निष्पक्ष रूप से प्राप्त करना और उसका मूल्यांकन करना;

ख) पूरी ऑडिट प्रक्रिया के दौरान भौतिक परिवेश और गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना;

ग) रचनात्मक प्रतिक्रिया और सुधार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है;

घ) लेखापरीक्षा के निष्कर्ष के प्रति ईमानदार रहें;

ड़) चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से ऑडिट का नेतृत्व और प्रबंधन करने की क्षमता रखता है;

च) लागू पेशेवर आवश्यकताओं और मानकों का जानकार होता है;

छ) हितधारकों को उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और कर्तव्यों पर ध्यान देने के साथ पहचानने की क्षमता रखता है;

4. <u>दस्तावेजीकरण</u>

एक एसए को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हितधारकों को सभी संचार, चाहे नोटिस, रिपोर्ट, अपडेट, निर्देश, या स्पष्टीकरण के रूप में हों, पहले से ही सरल, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से किया जाता है।

एक एसए को कार्यान्वयन एजेंसी या किसी अन्य सरकारी विभागों द्वारा की गई सभी गतिविधियों से

संबंधित विकास और अनुपालन के संबंध में सभी निष्कर्ष, और उन निष्कर्षों का समर्थन करने वाले किसी भी प्रासंगिक चर्चा के सार को दस्तावेज करना चाहिए।

5. <u>उचित तत्परता</u>

एसए को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम सावधानी से और पूरी तरह से कार्य करने की जिम्मेदारी को शामिल करता है। अपने कार्य के निर्वहन में, एसए या आईआर से अपेक्षा की जाती है कि वह ईमानदारी से, उचित रूप से और सतर्कता के साथ कर्तव्य का पालन करेगा जैसा कि अपेक्षित है।

6. <u>नियमों और विनियमों की अनुपलना</u>

एसए को अपने कर्तव्य के निर्वहन में लागू प्रचलित कानूनों, नियमों, विनियमों और पेशेवर मानकों का पालन करना चाहिए।

सामाजिक लेखा परीक्षा के मामले में

सामाजिक लेखापरीक्षा के वित्तीय लेखापरीक्षा भाग के लिए, लेखापरीक्षा "परिस्थितियों पर लागू लेखापरीक्षा की सामान्य रूप से स्वीकृत प्रक्रिया" के अनुसार की जानी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी 'एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स' ऑडिट अनुबंध करते समय प्रदर्शन बेंचमार्क प्रदान करता है। ये मानक लेखापरीक्षक द्वारा उनके कार्यों के उचित निर्वहन के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से जारी किए गए हैं। तदनुसार, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते समय, यह सुनिश्चित करना लेखापरीक्षकों का कर्तव्य होगा कि इन 'मानकों' का पालन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन बेंचमार्क हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए।
सोशल ऑडिट के गैर-वित्तीय ऑडिट भाग के लिए, ऑडिट को 'सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड' के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए, जिसे आईसीएआई के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा जारी किया जाना बाकी है। यह प्रस्तावित मानक प्रभाव रिपोर्टिंग के आश्वासन के सभी पहलुओं को कवर करेगा जैसे, कार्यक्षेत्र, अनुबंध की स्वीकृति, बुनियादी सिद्धांत, लेखा परीक्षा प्रक्रिया, आश्वासन रिपोर्ट, प्रलेखन, आदि। कर्तव्यों के उचित निर्वहन में इन मानकों का पालन करने की आवश्यकता है।

7. <u>आधारभूत सिद्धांत का उलंघन करने का दबाव</u>

एड एसए को निम्न नहीं करना चाहिए:

a) मौलिक सिद्धांतों के अनुपालन के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दूसरों के दबाव की अनुमति देना; या

b) दूसरों पर दबाव डालना कि एसए या आईआर जानता है, या उसके पास विश्वास करने का कारण है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य व्यक्ति मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगे।

a) जहां लागू हो, प्रासंगिक रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार जानकारी तैयार या प्रस्तुत करें;

b) जानकारी को ऐसे तरीके से तैयार या प्रस्तुत करना जिसका उद्देश्य न तो गुमराह करना है और न ही संविदात्मक या नियामक परिणामों को अनुचित रूप से प्रभावित करना है;

c) पेशेवर निर्णय का प्रयोग करें:

d) सभी भौतिक मामलों में तथ्यों को सही और पूरी तरह से प्रस्तुत करना;

e) व्यापार लेनदेन या गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन करें; तथा

f) समय पर और उचित तरीके से जानकारी को वर्गीकृत और रिकॉर्ड करें; तथा

g) भ्रामक जानकारी देने या संविदात्मक या नियामक परिणामों को अनुपयुक्त रूप से प्रभावित करने के इरादे से कुछ भी न छोड़ें।

सामाजिक लेखापरीक्षक के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएँ

<u>स्वतंत्रता</u>

लेखापरीक्षा करते समय एसए स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता में शामिल हैं:

मन की स्वतंत्रता - मन की वह स्थिति जो पेशेवर निर्णय से समझौता करने वाले प्रभावों से प्रभावित हुए बिना किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति की अनुमति देती है, जिससे व्यक्ति को सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने और निष्पक्षता और पेशेवर संदेह का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है।

दिखने में स्वतंत्रता - ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों से बचना जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक उचित और सूचित तीसरे पक्ष के निष्कर्ष निकालने की संभावना होगी कि लेखा परीक्षक की अखंडता, निष्पक्षता या पेशेवर संदेह से समझौता किया गया है।

8. <u>उपहार और आतिथ्य</u>

एक एसए या उसके रिश्तेदार को उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लेखा परीक्षकों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है या एक लेखा परीक्षक के रूप में उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

एक एसए या उसके रिश्तेदार को किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को उपहार या आतिथ्य या कोई अन्य लाभ नहीं देना चाहिए, जो काम प्राप्त करने या बनाए रखने का इरादा रखता हो।

9. <u>क्लाइंट सम्पत्तियों की निगरानी</u>

एक एसए को ग्राहक के पैसे या अन्य संपत्तियों की अभिरक्षा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक कि कानून द्वारा और ऐसी किसी भी शर्त के अनुसार जिसके तहत ऐसी अभिरक्षा ली जा सकती है, ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

10. <u>हितों का टकराव</u>

हितों का टकराव वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत के अनुपालन के लिए खतरा पैदा करता है। ऐसे खतरे तब पैदा हो सकते हैं जब:

एक एसए दो या दो से अधिक पार्टियों के लिए एक विशेष मामले से संबंधित एक पेशेवर गतिविधि करता है, जिनके हित उस मामले के संबंध में टकराते हैं; या

किसी विशेष मामले के संबंध में एक एसए के हित और उस पक्ष के हित जिनके लिए एसए उस मामले से संबंधित एक पेशेवर गतिविधि करता है, परस्पर विरोधी हैं।

एक एसए को पेशेवर या व्यावसायिक निर्णय से समझौता करने के लिए हितों के टकराव की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

11. <u>जिज्ञासु मन</u>

लेखापरीक्षा करने के लिए ज्ञात तथ्यों और परिस्थितियों की बेहतर समझ के लिए एक जिज्ञासु मन की अपेक्षा की जाती है। पेशेवर संशयवाद का अभ्यास करने के लिए एक एसए की आवश्यकता होती है, जो उसके लिए उपलब्ध साक्ष्य के महत्वपूर्ण मूल्यांकन, निष्पक्षता और अच्छे निर्णय को संदर्भित करता है-सामाजिक लेखा परीक्षा करते समय विशेषताएं होनी चाहिए।

पूछताछ करने वाले दिमाग में शामिल है:
(क) सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रकृति, दायरे और आउटपुट को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध स्रोत की प्रासंगिकता और प्राप्त जानकारी की पर्याप्तता को ध्यान में रखना; तथा
(ख) आगे की जांच की आवश्यकता के लिए और अन्य कार्रवाई करने के लिए या जहां आवश्यक हो उत्सुक और सतर्क रहना ।
प्राप्त जानकारी के स्रोत, प्रासंगिकता और पर्याप्तता पर विचार करते समय, एसए अन्य मामलों पर विचार कर सकता है, की क्या:

- कोई नई जानकारी उपलब्ध है या मौजूदा जानकारी के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है;
- लेखापरीक्षक को ज्ञात तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किसी भी संभावित प्रासंगिक जानकारी पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- जानकारी या उसका स्रोत पूर्वाग्रह या स्वार्थ से प्रभावित होता है।
- ज्ञात तथ्यों और परिस्थितियों और लेखाकार की अपेक्षाओं के बीच कोई संबंध नहीं है।

- एसए को उपलब्ध जानकारी उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित आधार देती है।
- प्राप्त जानकारी से किसी भी अन्य उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

12. <u>पेशेवर निर्णय का अभ्यास</u>

सेवा प्रदान करते समय एक एसए को पेशेवर निर्णय लेना चाहिए। व्यावसायिक निर्णय में प्रासंगिक प्रशिक्षण, पेशेवर ज्ञान, कौशल और अनुभव का उपयोग तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप होता है, जिसमें विशेष व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति और दायरे और इसमें शामिल रुचियां और संबंध शामिल हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में, उपलब्ध कार्यों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए, और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऐसे निर्णय परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, पेशेवर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

13. <u>पेशेवर संशयवाद</u>

लेखा परीक्षा की योजना बनाते और निष्पादित करते समय एक एसए को पेशेवर संदेह का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा करते समय, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मौलिक सिद्धांतों का अनुपालन, पेशेवर संदेह के अभ्यास का समर्थन करता है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों में दिखाया गया है: -

- निष्ठा के लिए सीधा स्वभाव और ईमानदार होना आवश्यक है। लेखा परीक्षक निम्न के द्वारा सत्यनिष्ठा के सिद्धांत का अनुपालन करता है:

  क) एक ग्राहक बनने की स्थिति के बारे में चिंताओं को उठाते समय सीधा और ईमानदार होना; तथा

  ख) असंगत जानकारी के बारे में पूछताछ करना और परिस्थितियों में कार्रवाई के उचित पाठ्यक्रम के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए बयानों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए आगे के ऑडिट साक्ष्य की मांग करना जो भौतिक रूप से गलत या भ्रामक हो सकते हैं।

  ग) अन्यथा करने के लिए दबाव का सामना करने पर भी या ऐसा करते समय उचित रूप से कार्य करने के लिए चरित्र की ताकत होने से संभावित प्रतिकूल व्यक्तिगत या संगठनात्मक परिणाम हो सकते हैं।

  ऐसा करने में, एसए ऑडिट साक्ष्य के महत्वपूर्ण मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है जो पेशेवर संदेह के अभ्यास में योगदान देता है।
- निष्पक्षता के लिए ऑडिटर को पूर्वाग्रह, हितों के टकराव या दूसरों के अनुचित प्रभाव के कारण पेशेवर या व्यावसायिक निर्णय से समझौता नहीं करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, लेखा परीक्षक निष्पक्षता के सिद्धांत का अनुपालन करता है:

घ) परिस्थितियों या संबंधों को पहचानना जैसे कि ग्राहक के साथ परिचित होना, जो पेशेवर या व्यावसायिक निर्णय से समझौता कर सकता है; तथा

ख) क्लाइंट के डेटा से संबंधित ऑडिट साक्ष्य की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करते समय निर्णय पर ऐसी परिस्थितियों और संबंधों के प्रभाव को ध्यान में रखना।

ऐसा करने में, लेखा परीक्षक इस तरह से व्यवहार करता है जो पेशेवर संदेह के अभ्यास में योगदान देता है।

- पेशेवर क्षमता और उचित देखभाल के लिए लेखापरीक्षक को सक्षम पेशेवर सेवा के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्तर पर पेशेवर ज्ञान और कौशल रखने की आवश्यकता होती है, और लागू मानकों, कानूनों और विनियमों के अनुसार लगन से कार्य करना होता है। उदाहरण के लिए, लेखा परीक्षक पेशेवर क्षमता और उचित देखभाल के सिद्धांत का अनुपालन करता है: -

  सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की ठीक से पहचान करने के लिए किसी विशेष ग्राहक के उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रासंगिक ज्ञान को लागू करना;

  उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना; तथा

  प्रासंगिक ज्ञान को लागू करते समय गंभीर रूप से आकलन करना कि क्या ऑडिट साक्ष्य पर्याप्त और परिस्थितियों में उपयुक्त है।
  ऐसा करने में, लेखा परीक्षक इस तरह से व्यवहार करता है जो पेशेवर संदेह के अभ्यास में योगदान देता है।

14. <u>परिवार और व्यक्तिगत संबंध</u>

एक व्यक्ति को सामाजिक अंकेक्षण की भागीदारी को स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि वह संबंधित संगठन के साथ रोजगार में है। उसे भी सगाई स्वीकार नहीं करनी चाहिए यदि उसके तत्काल परिवार का कोई सदस्य: -

क) ऑडिट क्लाइंट का निदेशक या अधिकारी है;

ख) क्या एक कर्मचारी ग्राहक के रिकॉर्ड या वित्तीय विवरण तैयार करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की स्थिति में है, जिस पर लेखा परीक्षक एक राय व्यक्त करेगा; या

ग) अनुबंध या वित्तीय विवरणों द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि के दौरान ऐसी स्थिति में था।

15. <u>व्यापारिक संबंध</u>

एक एसए का ग्राहक या उसके प्रबंधन के साथ घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए, जब तक कि कोई वित्तीय हित सारहीन न हो और ग्राहक या उसके प्रबंधन और लेखा परीक्षक, जैसा लागू हो, के लिए व्यावसायिक संबंध महत्वहीन न हो।

16. <u>क्लाइंट का ज्ञान और समझ</u>

एसए को क्लाइंट, उसके मालिकों, प्रबंधन और उन लोगों के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करनी चाहिए जो अवैध गतिविधियों, बेईमानी, संदिग्ध वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं या अन्य अनैतिक व्यवहार में क्लाइंट की भागीदारी जैसे मुद्दों की पहचान करने के लिए शासन और व्यावसायिक गतिविधियों का

आरोप लगाते हैं। उसे संदिग्ध मुद्दों को हल करने के लिए ग्राहक की प्रतिबद्धता की समझ प्राप्त करनी चाहिए, उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं या आंतरिक नियंत्रण में सुधार के माध्यम से।

17. <u>पर्यपात दक्षता के साथ कारी करना</u>

पेशेवर क्षमता और उचित देखभाल के सिद्धांत की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति को केवल महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए जिसके लिए एकाउंटेंट के पास पर्याप्त प्रशिक्षण या अनुभव है, या प्राप्त कर सकता है। SA आवश्यक विशेषज्ञता वाले किसी व्यक्ति से सहायता या प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

18. <u>एक सूचना को प्रबंधन के संज्ञान में लाना</u>

सामाजिक अंकेक्षण करते समय यदि एसए कुछ तथ्यों या सूचनाओं को देखता है, जिन्हें गैर-अनुपालन में सुधार या संशोधन लाने के लिए प्रबंधन की जानकारी में लाया जाना चाहिए, तो उसे ऐसे तथ्यों या सूचनाओं को प्रबंधन के ज्ञान में जल्द से जल्द लाना चाहिए।

संलग्नक-6: सीए फर्म/एलएलपी के पेनल और लेखा परीक्षकों के चयन के लिए सीएंडएजी पॉलिसी

भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म और लिमिटेड लाइएबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) कम से कम एक पूर्णकालिक [1] एफसीए (पार्टनर/एकल प्रोपराइटर) के साथ कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) के अनुसार और सांविधिक निगम/स्वायत निकाय के अनुसार संबन्धित प्रावधान के अनुसार इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ परामर्श के बाद सांविधिक लेखा परीक्षकों के पैनल और चयन के मानदंड तय किए गए हैं।

पैनल में शामिल सभी फर्मों/एलएलपी को अंक दिए जाते हैं। पॉइंट स्कोर फर्म/एलएलपी के अनुभव, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भागीदारों की संख्या और फर्म/एलएलपी के साथ उनके जुड़ाव, सीए कर्मचारियों की संख्या पर आधारित है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

<table>
<tr><th>क्र. सं</th><th>मापदंड</th><th colspan="2">बिन्दु</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>फर्म/एलएलपी का अनुभव</td><td colspan="2">प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 1 अंक - अधिकतम 15.
एक पूर्णकालिक एफसीए के साथ फर्म/एलएलपी के गठन की तारीख से या फर्म/एलएलपी के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़े मौजूदा पार्टनर द्वारा फर्म/एलएलपी में शामिल होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से गिना जाता है। (ऐसी तिथि को फर्म के गठन की तिथि के रूप में माना जाएगा)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पूर्णकालिक सीए भागीदारों के लिए अंक (फर्म/एलएलपी के साथ उनके जुड़ाव के अनुसार उनकी वरिष्ठता के संदर्भ में केवल 20 पूर्णकालिक सीए भागीदारों तक)</td></tr>
<tr><td>2(a)</td><td>पूर्णकालिक एफसीए भागीदार</td><td>प्रत्येक के लिए 5 अंक</td><td rowspan="2">पहले 5 पूर्णकालिक सीए भागीदारों को आसन्न कॉलम में उल्लिखित अंक मिलेंगे और शेष 15 पूर्णकालिक सीए भागीदारों को इनमें से आधे अंक मिलेंगे।</td></tr>
<tr><td>2(b)</td><td>पूर्णकालिक एसीए पार्टनर्स</td><td>प्रत्येक के लिए 3 अंक</td></tr>
</table>

Confidential

2(c)	एक ही फर्म/एलएलपी के साथ पूर्णकालिक सीए भागीदारों की एसोसिएशन के लिए अंक (गठन तिथि के संदर्भ में माना जाता है	15 वर्ष से अधिक के प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए 3 अंक।	
		10 साल से ऊपर के हर पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए 2 अंक।	
	या सीए पार्टनर की वास्तविक ज्वाइनिंग तिथि जो भी बाद में हो)	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए 1 अंक	
3.	पूर्णकालिक सीए भागीदारों की योग्यता के लिए अंक (अधिकतम दस अंक)		
3 (a)	1. आईसीएआई से डीआईएसए प्रमाणन		
	2. आईएसएसीए, यूएसए से सीआईएसए प्रमाणन	प्रत्येक के लिए 2 अंक	एक पूर्णकालिक सीए पार्टनर को केवल एक योग्यता के लिए अंक दिए जाएंगे। पूर्णकालिक सीए भागीदारों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे
3 (b)	1. आईसीएआई से इंडिया एएस में प्रमाणन 2. आईसीएआई से फॉरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी रोकथाम में प्रमाणन	प्रत्येक के लिए 1 अंक	
4.	पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों के लिए अंक	5 पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों के लिए एक-एक अंक और शेष 15 पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों के लिए आधा-आधा अंक	
	(केवल **20** पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों को अंक दिए जाएंगे)		
5.	पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों की योग्यता के लिए अंक (अधिकतम पांच अंक)		
5(a)	1. आईसीएआई से डीआईएसए प्रमाणन		
	2. आईएसएसीए, यूएसए से सीआईएसए प्रमाणन	प्रत्येक के लिए 1 अंक	एक पूर्णकालिक सीए कर्मचारी को केवल एक

5(b)	1. आईसीएआई से इंडियन एएस में प्रमाणन 2. आईसीएआई से फॉरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी रोकथाम में प्रमाणन	प्रत्येक के लिए 0.5 अंक	योग्यता के लिए अंक दिए जाएंगे। पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे
6.	केवल लेखापरीक्षा सेवाओं से फर्म/एलएलपी का कारोबार (अन्य गतिविधियों जैसे परामर्श से अलग)	अधिकतम 5 अंक	

संलग्नक-7: सूचीबद्ध/पंजीकृत एनपीओ के लिए वार्षिक घोषणाएँ

सामान्य पक्षों पर घोषणाएँ

1	संगठन का नाम (कानूनी और लोकप्रिय नाम)
2	मुख्यालय का स्थान और संचालन का स्थान
3	विजन / मिशन / उद्देश्य
4	संगठनात्मक लक्ष्य, गतिविधियाँ, उत्पाद और सेवाएँ
5	संगठन की पहुंच (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संस्थागत लाभार्थियों/पहुंच वाले हितधारकों की संख्या और प्रकार)
6	संचालन का पैमाना (कर्मचारी और स्वयंसेवी संख्या सहित)
7	शीर्ष दाताओं या संगठन के निवेशकों का विवरण - शीर्ष 5 दाताओं या निवेशकों की सूची (बजट वार)
8	प्रकटीकरण अवधि में शीर्ष 5 कार्यक्रमों का विवरण - शीर्ष 5 हस्तक्षेपों/कार्यक्रमों की सूची (बजट वार)

शासन के पहलुओं पर प्रकटीकरण:

1	स्वामित्व और कानूनी रूप
2	शासन संरचना (बोर्ड और प्रबंधन समिति की संरचना, जनादेश, सदस्यता, चार्टर, नीतियां और आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा)
3	निकाय के सदस्यों के नाम सहित सर्वोच्च शासी निकाय का विवरण
4	प्रमुख जिम्मेदारियों वाले अधिकारी
5	उच्चतम शासी निकाय और उनके द्वारा गठित अन्य समितियों की उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या, और प्रदर्शन समीक्षा की प्रक्रिया
6	संगठन स्तर पर संभावित जोखिम और शमन योजना।
7	संबंधित पार्टी लेनदेन की रिपोर्टिंग।
8	नैतिकता के बारे में सलाह और चिंताओं के साथ-साथ हितों के टकराव और अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं को संप्रेषित करने के लिए तंत्र
9	पारिश्रमिक नीतियां
10	हितधारक की चिंताएं, शिकायत निवारण की प्रक्रिया और उठाई गई और हल की गई चिंताओं की संख्या
11	अनुपालन प्रबंधन प्रक्रिया और वरिष्ठ निर्णय निर्माता से अनुपालन का विवरण
12	संगठन पंजीकरण प्रमाणपत्र, और अन्य लाइसेंस और प्रमाणपत्र (12ए, 80जी, एफ़सीआरए, जीएसटी, आदि)

वित्तीय पहलुओं पर प्रकटीकरण:

1	वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट, आय विवरण और नकद विवरण)। साथ ही वर्ष के लिए कार्यक्रमवार निधि उपयोग
2	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक विवरण

संलग्नक-8: सूचीबद्ध/पंजीकृत एनपीओ के लिए सामान्य, शासन और वित्तीय घोषनाओं पर नोट

समान्य प्रकटीकरण

1. संगठन का नाम (कानूनी और लोकप्रिय नाम):

   रिपोर्टिंग करने वाला संगठन कानूनी रूप से पंजीकृत नाम और हितधारकों के बीच संगठन के ज्ञात किसी भी लोकप्रिय नाम से रिपोर्ट करेगा।

2. मुख्यालय का स्थान और संचालन का स्थान:

   मुख्यालय उस पते को संदर्भित करता है जिसका उपयोग संगठन ने संबंधित नियामक निकाय और संगठन प्रशासनिक केंद्र के साथ पंजीकरण में किया है, जहां से इसे नियंत्रित या निर्देशित किया जाता है। यदि स्थान भिन्न हैं, तो इसे निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। संचालन के स्थान में उन स्थानों के नाम शामिल होंगे जहां संगठन का महत्वपूर्ण संचालन होता है। महत्वपूर्ण को इस दस्तावेज़ के दायरे में परिभाषित किया जाएगा।

3. विजन/मिशन/उद्देश्य:

   प्रकटीकरण के पीछे के उद्देश्य को समझना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उद्देश्य यह है कि संगठन का अस्तित्व क्यों है और यह समझाना कि संगठन द्वारा किया जा रहा कार्य क्यों मायने रखता है। मिशन यह बताएगा कि आप उद्देश्य के संदर्भ में कैसे काम कर रहे हैं और इस प्रकटीकरण के संदर्भ में विजन इस बारे में होगा कि संगठन कहां जा रहा है और संगठन क्या हासिल करेगा। यह संभव है कि सभी संगठनों के पास कथित दस्तावेज़ के रूप में दृष्टि, मिशन और उद्देश्य न हों।

4. संगठनात्मक लक्ष्य, गतिविधियाँ, उत्पाद और सेवाएँ:

5. रिपोर्टिंग संगठन सूचीबद्ध समग्र संगठन या कार्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करेगा। यह संगठन की गतिविधियों का भी वर्णन करेगा, जिसमें कोई भी उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं जो संगठन प्रदान करता है।

6. संगठनात्मक लक्ष्य, गतिविधियाँ, उत्पाद और सेवाएँ:

   रिपोर्टिंग संगठन सूचीबद्ध समग्र संगठन या कार्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करेगा। यह संगठन की गतिविधियों का भी वर्णन करेगा, जिसमें कोई भी उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं जिन्हे संगठन प्रदान करता है।

7. संगठनात्मक लक्ष्य, गतिविधियाँ, उत्पाद और सेवाएँ:

8. रिपोर्टिंग संगठन सूचीबद्ध समग्र संगठन या कार्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करेगा। यह संगठन की गतिविधियों का भी वर्णन करेगा, जिसमें कोई भी ऐसा उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं जो संगठन प्रदान करता है।

9. संगठनात्मक लक्ष्य, गतिविधियाँ, उत्पाद और सेवाएँ:

   रिपोर्टिंग संगठन सूचीबद्ध समग्र संगठन या कार्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करेगा। यह संगठन की गतिविधियों का भी वर्णन करेगा, जिसमें कोई भी उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं जिन्हे संगठन प्रदान करता है।

10. संगठन की पहूंच

    विभिन्न कार्यक्रमों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संस्थागत लाभार्थियों / हितधारकों के प्रकार और संख्या का संगठन को उल्लेख करना है।

11. संचालनों आकार (कर्मचारी और स्वयंसेवी संख्या सहित):

    संचालन के आकार को पिछले 3 वर्षों में शुद्ध टर्न-ओवर/वार्षिक बजट/वार्षिक खर्च, लाभार्थियों की संख्या, संचालन के स्थानों की संख्या और कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की संख्या द्वारा दर्शाया जाएगा। कर्मचारियों की कुल संख्या को स्थायी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों और अनुबंध पर कर्मचारियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाएगा। स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति और आकार का प्रकटीकरण किया जाएगा। संगठन राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य या जिला स्तर पर संचालन के आकार का प्रकटीकरण करेगा जो हितधारकों के लिए उपयोगी हो सकता है।

12. संगठन के शीर्ष दानकर्ता या निवेशक- शीर्ष 5 दांकर्ताओं या निवेशकों कि सूची (बजटवार)

क्रमांक	दाता या निवेशक	भूगोल	कुल कार्यक्रम लागत (रुपए)	चालू वर्ष में व्यय (रुपए)	संचयी व्यय (रुपए)	कुल आउटरीच (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संस्थागत)	एसडीजी लक्ष्य या टारगेट	राष्ट्रीय/राज्य योजनाओं के साथ तालमेल या प्राथमिकता
1								
2								
..								

13. प्रकटीकरण अवधि में शीर्ष 5 कार्यक्रमों का विवरण - शीर्ष 5 हस्तक्षेपों/कार्यक्रमों की सूची (बजट वार)

क्र मां क.	एस डीजी ल क्ष्य या टार गेट	भूगोल	कुल कार्यक्रम लागत (रुपए)	चालू वर्ष में व्यय (रुपए	कुल आउटरी च (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संस्थागत)	कुल आउटरीच (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संस्थागत)	दाताओं या निवेशकों के नाम	राष्ट्रीय/राज्य योजनाओं के साथ तालमेल या प्राथमिकता
1								
2								
..								

प्रशासन प्रकटीकरण

1. स्वामित्व और कानूनी रूप:

   संगठन भारत में संचालन के लिए विशिष्ट इकाई पर स्वामित्व की प्रकृति और कानूनी रूप की व्याख्या करेगा।

2. शासन संरचना:

   शासन संरचना उच्चतम शासन निकाय, उच्चतम शासन निकाय के अंतर्गत समितियों/उप समितियों (स्थायी/तदर्थ) और निर्णय लेने के लिए संगठन पदानुक्रम से शुरू होगी। यह बोर्ड और प्रबंधन समिति के ढांचे, जनादेश, सदस्यता, चार्टर्स, नीतियों और आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करता है।

3. निकाय के सदस्यों के नाम सहित सर्वोच्च शासी निकाय का विवरण:

   संगठन सर्वोच्च शासन निकाय की भूमिका, उपलब्ध क्षमता और नाम सहित सदस्यों की पहचान की व्याख्या करेगा। वरिष्ठ निर्णयकर्ता का नाम और पदनाम भी प्रदान किया जा सकता है।

4. प्रमुख जिम्मेदारियों वाले कार्यकारी अधिकारी:

   प्रकटीकरण प्रमुख कार्यकारी पदों और संगठन में उनकी भूमिका का विवरण प्रदान करेगा।

5. सर्वोच्च शासी निकाय और उनके द्वारा गठित अन्य समितियों द्वारा बैठकों की उपस्थिती संख्या, और प्रदर्शन समीक्षा की प्रक्रिया:

   संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च शासन निकाय द्वारा आवश्यक जानकारी और डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। प्रकटीकरण में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सर्वोच्च शासन निकाय द्वारा आयोजित ऐसी बैठकों की संख्या भी सामने आएगी।

6. संगठन स्तर पर संभावित जोखिम और न्यूनीकरण योजना:

संगठन और प्रस्तावित कार्यक्रम/समाधान के लिए संभावित जोखिमों और शमन योजना का वर्णन करने के लिए संगठन।

7. संबंधित पार्टी लेनदेन की रिपोर्टिंग:

   यद्यपि इसे 10ए के भाग के रूप में प्रकट किया जाता है, फिर भी संगठन द्वारा वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के भाग के रूप में रिपोर्ट करने की अनुशंसा की जाती है।

8. हितों के टकराव और अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं को संप्रेषित करने के साथ-साथ नैतिकता के बारे में सलाह और चिंताओं के लिए तंत्र:

9. नैतिक और वैध व्यवहार और संगठन की अखंडता के बारे में सलाह लेने के लिए संगठनों के आंतरिक और बाहरी तंत्र का विवरण। इसमें यह भी शामिल होगा कि संगठन में किसे इस तंत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपरोक्त तंत्र द्वारा उठाए गए हितों के किसी भी टकराव और अन्य चिंताओं से संबंधित चिंताओं को संगठन द्वारा की गई कार्रवाइयों के साथ प्रकट किया जाएगा।

10. पारिश्रमिक नीतियां:

    उच्चतम शासी निकाय और संगठन के वरिष्ठ कार्यकारी के लिए पारिश्रमिक नीतियों की सूचना दी जाएगी। इसमें सभी प्रकार के निश्चित वेतन, परिवर्तनीय वेतन और प्रदर्शन से जुड़े भुगतान शामिल होंगे। इसमें कोई समापन भुगतान और क्लॉ बैक भी शामिल हो सकते हैं। यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि संगठन का प्रदर्शन पारिश्रमिक से कैसे जुड़ा है।

11. हितधारक चिंता, शिकायत निवारण की प्रक्रिया और उठाई गई और हल की गई चिंताओं की संख्या:

    चिंताओं से संबंधित नैतिकता के अलावा, संगठन इस बारे में रिपोर्ट करेगा कि किसी हितधारक की चिंताओं या शिकायतों को प्राप्त करने के लिए संगठन की प्रक्रिया क्या है। ऐसी कितनी चिंताएँ बताई गईं और संगठनों ने उन्हें कैसे दूर किया।

12. अनुपालन प्रबंधन प्रक्रिया और वरिष्ठ निर्णय निर्माता से अनुपालन का विवरण: इस प्रकटीकरण के लिए संगठनों को यह समझाने की आवश्यकता है कि संगठन सभी नियामक और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन की फिर से निगरानी कैसे करता है। वरिष्ठ निर्णयकरता जो अध्यक्ष, सीईओ या समकक्ष वरिष्ठ पद पर होगा, द्वारा अनुपालन की स्थिति पर एक बयान होगा।

13. संगठन पंजीकरण प्रमाणपत्र, और अन्य लाइसेंस और प्रमाणपत्र (12A, 80G, FCRA, GST, आदि)।

वित्तीय घषणाएँ

आईसीएआई एनजीओ के लिए एकसमान लेखांकन और रिपोर्टिंग रूपरेखा को प्रकाशित करने की प्रक्रिया में है। नीचे दिए गए प्रकटीकरण उसी का अनुपालन करेंगे।

1. वित्तीय विवरण:

- बैलेंस शीट
- आय विवरण
- नकद विवरण
- कार्यक्रमवार निधि उपयोग प्रमाण पत्र
- संगठनात्मक बजट का प्रतिशत जिसे यह 'मुद्दा' दर्शाता है
- संगठनात्मक बजट और व्यय का ब्योरा
- परियोजना/पहल के भागीदारों के बीच बजट का बंटवारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है

2. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक का विवरण

संलग्नक-9: प्रभाव रिपोर्टिंग पर सभी एसई के लिए मार्गदर्शन नोट

रणनितिक उद्देश्य और योजना

1. संगठन या सूचीबद्ध साधन किस सामाजिक या पर्यावरणीय चुनौती को संबोधित कर रहा है?

   समस्या विवरण को विस्तार से समझाया जाना चाहिए। चुनौती, इसकी सीमा, कारण और परिणाम, और समस्या विवरण का वह हिस्सा जिसे संगठन और साधन संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं, को समझाया जाएगा।

   संगठन चुनौती में भाग लेने या चुनौती में भाग लेने की योजना कैसे बना रहा है?

   संगठन या विशिष्ट उपकरण किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा होगा या पहले से ही उपयोग कर रहा है, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। संगठन को यह भी बताना होगा कि लक्षित लाभार्थी के लिए क्या परिवर्तन हो रहा है और लक्ष्य समूह का कितना अनुपात परिवर्तन का अनुभव कर रहा है।

   कौन प्रभावित हो रहा है (लक्षित खंड)?

   विभिन्न प्रकार के लक्षित समूहों को कवर करने के लिए लक्षित लाभार्थियों / हितधारकों। संगठन के "लक्षित खंडों" की आंतरिक परिभाषा को शामिल करें, जिसे वह सेवा देना चाहता है, आमतौर पर तीन आयामों में से एक या अधिक आयामों के साथ अर्थात,

   - आय (सामाजिक-जनसांख्यिकीय और/या व्यवहार संबंधी विशेषताओं से प्रेरित)
   - भूगोल (पारिस्थितिकी तंत्र या जनसंख्या घनत्व (शहरी/ग्रामीण), प्रशासनिक सीमाओं, भूभाग आदि द्वारा संचालित भौगोलिक विशेषताएं), और
   - विषयगत मुद्दा (लिंग, जाति, समुदाय जो लक्ष्य खंड को नुकसान में रखता है जिसके आर्थिक और गैर-आर्थिक परिणाम होते हैं)

   जहां लक्ष्य खंड अपनी संपूर्णता में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, तो विवरण दें। विषयगत मुद्दे निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकते हैं: *संसाधनों का संरक्षण, नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से उत्पादन, कचरे में कमी, संरक्षण (भूमि, वन्य जीवन, ऐतिहासिक स्मारकों, आदि का कहना), विषाक्त पदार्थों में कमी।*
   साथ ही, रिपोर्टिंग अवधि में होने वाले संभावित विचलनों को भी सामने लाएं।

2. समाधान/कार्यक्रम के परिणाम क्या होंगे? कवरेज में सकारात्मक और संभावित अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम शामिल होने चाहिए।

3. प्रस्तावित समाधान के लिए परिवर्तन के सिद्धांत / तर्क मॉडल ढांचे (इनपुट, आउटपुट, परिणाम को परिभाषित करना) का वर्णन करें। लक्षित प्रभाव खंड की पहचान करते समय, दोनों सकारात्मक और

संभावित अनपेक्षित नकारात्मक प्रभावों की पहचान करने की आवश्यकता है।

उपागम

1. परियोजना/कार्यक्रम की शुरुआत में आधारभूत स्थिति/स्थिति विश्लेषण/संदर्भ विवरण क्या है?

2. किसी भी परियोजना/कार्यक्रम में प्रारंभिक बिंदु निर्धारित करने के लिए आधारभूत मापन किया जाता है। माप चुनौती की गहराई और/या चुनौती के प्रसार के बारे में बताते हैं। संगठन परिणाम को ध्यान में रखते हुए सही प्रकार के माप निर्धारित करेगा या संगठन या उपकरण क्या हासिल करना चाहता है यह निर्धारित करेगा क्योंकि आधार रेखा का उपयोग हस्तक्षेप के कारण वास्तव में क्या बदला गया है, इसे मापने के लिए किया जाएगा। आधारभूत अध्ययन के अभाव में विस्तृत स्थिति विश्लेषण का उल्लेख करना होगा।

3. पिछले प्रदर्शन की प्रवृत्ति क्या रही है?

   चल रहे प्रोजेक्ट/कार्यक्रम के लिए पिछले प्रमुख प्रदर्शन रुझानों की व्याख्या करें और प्रस्तावित परियोजना/कार्यक्रम के लिए वर्णन को समान परिस्थितियों में समान कार्यक्रमों के अनुभव की व्याख्या करनी चाहिए।

4. समाधान कार्यान्वयन योजना क्या है और कार्यक्रम के परिणामों की स्थिरता के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

   सभी आवश्यक गतिविधियों को शामिल करते हुए विस्तृत कार्यान्वयन योजना का उल्लेख किया जाना है। हस्तक्षेप या तो वर्षभर सहायता या समयबद्ध सहायता के रूप में हो सकता है। समयबद्ध सहायता के मामले में, संगठन बाहर निकलने की रणनीति की व्याख्या करेगा और यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि प्राप्त किए गए परिणाम कायम रहेंगे। वर्षभर सहायता के मामले में भी, संगठन यह बता सकता है कि यह परियोजना/कार्यक्रम की स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है। साथ ही, रिपोर्टिंग अवधि में होने वाले संभावित विचलनों को भी सामने लाएं।

   कृपया एसडीजी/राष्ट्रीय प्राथमिकताओं/राज्य प्राथमिकताओं के समाधान के संरेखण को संक्षेप में बताएं।

   संबंधित एसडीजी और राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकताओं और योजनाओं के लिए कार्यक्रम/समाधान के संरेखण की व्याख्या करें।

5. इस रिपोर्टिंग अवधि में आपने हितधारकों के फीडबैक को कैसे ध्यान में रखा है?

   संगठन को यह उल्लेख करने के लिए कि उन्होंने सगाई के लिए प्रमुख हितधारकों को कैसे मैप और प्राथमिकता दी है। रिपोर्टिंग में शामिल हितधारकों की सूची, उनकी प्रतिक्रिया और संगठन ने फीडबैक का उपयोग कैसे किया, इसकी जानकारी शामिल होगी।

6. पिछले वर्ष में, आपने वांछित प्रभाव की उपलब्धि के लिए सबसे बड़े जोखिम के रूप में क्या देखा है? इन्हें कैसे कम किया जा रहा है?

   संगठन या विशिष्ट साधन से संबंधित प्रमुख संभावित जोखिमों का उल्लेख करें जो पिछले वर्ष में वांछित इच्छित परिणामों की उपलब्धियों में बाधा/बाधा डाल सकते हैं और इसे कम करने के लिए संगठन द्वारा उठाए गए कदमों या रणनीतियों का उल्लेख करें।

प्रभाव स्कोरकार्ड

1. कौन से मेट्रिक्स की निगरानी की गई है और क्या चलन रहा है?

2. प्रदर्शन में प्रवृत्ति को संगठन द्वारा स्थापित आउटपुट, परिणाम और प्रभाव मेट्रिक्स में डेटा की प्रवृत्ति के माध्यम से समझाया जाएगा। मेट्रिक्स कार्यक्रम की पहुंच के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले प्रभाव की समावेशिता के स्तर (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विस्तारित) के बारे में जानकारी देगा। यह समाधान के कारण विभिन्न लक्षित हितधारकों (पर्यावरण सहित) के जीवन में हुए डेल्टा परिवर्तन का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। मॉनिटर किए गए मीट्रिक पहुंच, गहराई और समावेशन को कवर करने के लिए लक्षित होंगे।

   पहूँच - लक्षित सेगमेंट के लिए आउटरीच मीट्रिक:

   - लक्ष्य खंड का अनुपात जो रिपोर्टिंग अवधि में प्राप्त हो चुका है
   - लक्ष्य वर्ग का अनुपात जिन्होंने संगठन के समाधान को स्वीकार किया
   - रिपोर्टिंग अवधि में नियोजित गतिविधियों के किस भाग को पूरा किया गया है
   - संचयी पहुंच (स्थापना के बाद से लक्षित खंड के सदस्य)
   - समाधान के संबंध में अन्य उपयुक्त मेट्रिक्स, आमतौर पर लोगों, संस्थानों या गतिविधियों से संबंधित होते हैं (उदाहरण: ऐप/तकनीकी प्लेटफॉर्म के लिए एमएयू के मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता)। इन्हें आवश्यकतानुसार माना जा सकता है, जहां लक्ष्य खंड विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है।

   गहराई - औसत व्यक्ति पर प्रभाव की गहराई (लक्षित खंड के)

   सर्वेक्षण (ग्राहकों/प्राप्तकर्ताओं का 1%, या प्रति संगठन कम से कम 200 उत्तरदाता) उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि 'क्या आपके जीवन की गुणवत्ता बदल गई है', जिसमे निम्न प्रतिक्रिया विकल्प होते हैं: बहुत सुधार हुआ, थोड़ा सुधार हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा खराब हो गया, बहुत खराब हो गया।

   वैकल्पिक रूप से, एसई खुद की तुलना उच्च-मध्यम-निम्न गहराई वाले संगठनों के विभिन्न 'केस स्टडीज' से कर सकता है।

   समावेशन - एसई को स्वयं इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसका दृष्टिकोण निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों के साथ अपने ग्राहकों/प्राप्तकर्ताओं के लिए समावेशन को कैसे बेहतर बनाना

- थीम 1: संगठन द्वारा तय किए गए लक्ष्य खंड (वर्गों) के बीच ग्राहकों/प्राप्तकर्ताओं की आय के स्तर में शुद्ध वृद्धि। संगठन स्वयं 'निम्न', 'मध्यम' या 'उच्च' का चयन कर सकता है।

- थीम 2: विविधता और समावेशन: एसई यह दर्शाता है कि यह इन वंचित समूहों या समुदायों (मालिकों, भागीदारों या ग्राहकों के रूप में) को शामिल करने को कैसे प्राथमिकता देता है और समय के साथ एसई के साथ अपने संबंधों को सशक्त बनाता है।

- थीम 3: सामाजिक समानता: एसई प्रदर्शित करता है कि कैसे इसके दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वंचित समूह या समुदाय ने सामाजिक समानता में वृद्धि का अनुभव किया है। यह ऊपर दिए गए सर्वेक्षण के माध्यम से, या गुणात्मक मानदंड जैसे कि इसकी रणनीति, प्रक्रियाओं और आंतरिक जवाबदेही / शासन प्रक्रियाओं के विवरण के माध्यम से हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक आंतरिक संस्कृति का निर्माण होता है जो वंचित समूह या समुदाय के लिए सामाजिक समानता प्राप्त करने की दिशा में काम करती है।

3. रिपोर्टिंग अवधि में मुख्य विशेषताएं या उपलब्धियां क्या हैं?

   संगठन को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सामने आई प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धियों, चुनौतियों और/या निराशाओं का उल्लेख करना है।

4. लाभार्थी / हितधारक सत्यापन

   कार्यक्रम द्वारा हासिल किए गए प्रभाव/परिवर्तन की समग्र तस्वीर खींचने के लिए कार्यक्रम के हितधारकों के परिप्रेक्ष्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। हितधारक की आवाज भी जानकारी हासिल करने में मदद करेगी जो प्रभाव दावों को मान्य करने में मदद करेगी। यह एक नियंत्रण स्थापित कर सकता है और ओवरक्लेमिंग से बच सकता है। सत्यापन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगी।

   - इस हस्तक्षेप के अभाव में क्या होता?

   - इस परियोजना ने उन परिवर्तनों में कितना योगदान दिया जो प्रमाणित हैं?

   - हस्तक्षेप के कारण कितने अनपेक्षित नकारात्मक प्रभाव हुए।

संलग्नक-10: विशिष्ट क्षेत्रों में सामाजिक प्रदर्शन के नमूना संकेतक

ग्रामीण आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने वाले संगठनों द्वारा क्रमशः निम्न प्रकार के मापदंडों या प्रदर्शन के संकेतकों को अपनाया गया है। इन्हें या तो अपने आंतरिक एमआईएस और/या तीसरे पक्ष के आकलन के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।

क) प्रत्यक्ष अल्पकालिक आउटपुट,

ख) मध्यम अवधि के परिणाम (सीखना, आय या बेहतर स्वास्थ्य; तथा

ग) प्रभाव जो या तो प्रभावित लोगों की क्षमता और उनके संस्थानों (मांग पक्ष) या सरकारी प्रणाली (आपूर्ति पक्ष) की क्षमता से संबंधित हैं।

जीविकाएँ	
प्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित संकेतक	भौगोलिक विस्तार I. आउटरीच - सामाजिक संरचना के साथ (एससी, एसटी, ओबीसी, आदि) II. एसएचजी और उनके सहयोगी स्तर III. बचत और क्रेडिट जानकारी IV. चेंज वेक्टर - चेंज वैक्टर के रूप में काम करने वाले महिलाओं और पुरुषों की संख्या V. क्षमता निर्माण - एसएचजी, फार्म इंटरवेंशन, एनआरएम, जेंडर, डबल्यूएएसएच VI. संस्था निर्माण - लिंग, जाति और वर्ग के मुद्दों पर कार्रवाई करने वाले स्वयं सहायता समूहों या संघों की संख्या VII. विशिष्ट कार्यक्रम a. डबल्यूएटीएसएएन b. भूमि अधिकार c. युवा VIII. आठवीं। सकल वार्षिक घरेलू आय IX. वित्त उत्तोलन और निवेश X. सामुदायिक योगदान XI. दानकर्ता की आवश्यकता – उदाहरण a. आजीविका कोष परियोजना - वृक्षों की संख्या, वृक्षों की प्रजातियाँ, मृत्यु दर, कार्बन पृथक्करण की मात्रा b. एचयूएफ - उपचारित भूमि की मात्रा, जल संचयन संरचनाओं की संख्या, संरक्षित जल की मात्रा c. आईसीआईसीआई द्वारा वित्त पोषित "अरेस्टिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन" -

	मनरेगा में श्रम रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या, सामाजिक संरचना, और औसत कार्यदिवस
प्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित संकेतक	XXX
स्वास्थ्य	
प्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित संकेतक	स्वास्थ्य क्षेत्र के संगठनों के दो प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं: क. चिकित्सकीय सेवाएं ख. सामुदायिक सेवाएं <u>चिकित्सकीय सेवाओं के लिए सकेतक</u> I. इलाज किए गए रोगियों की संख्या - ओपीडी, आईपीडी, संचालित (मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट, साथ ही ऐच्छिक और आपातकालीन), प्रसव (योनिक, सहायता प्राप्त, सिजेरियन), आपात स्थिति, आईसीयू देखभाल (डिनोमिनेटर निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि मरीज व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों से आ सकते हैं - इसलिए बचाई गई जानें, या चिकित्सा दर में कमी निर्धारित करना मुश्किल है) II. मृत्यु दर (अस्पताल में) III. लिंग, सामाजिक समूह (आदिवासी, दलित, ओबीसी), गरीब वर्ग, IV. प्रत्यक्ष व्यय - तुरंत देय औसत व्यय (ओपीडी, आईपीडी) <u>सामुदायिक सेवा कार्यक्रम से संबंधित संकेतक</u> I. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) - मातृ मृत्यु, संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव%, नियर मिस, एनबी मृत्यु, एलबीडब्ल्यू और वीएलबीडब्ल्यू परिणाम, 5 वर्ष से कम आयु, 5 वर्ष तक टीकाकरण कवरेज - अवनी ऐप (पूर्व में खुला सीएचएस प्लेटफॉर्म) II. गैर-संचारी रोग (एनसीडी) - जांच और निदान की संख्या, नए मामले और चल रहा उपचार, एफयू के दौरे या पीएसजी बैठकों के लिए नियमित रूप से आने वाली कुल संख्या (अवनि - सीनियर स्वास्थ्य कार्यकर्ता) III. मलेरिया - बुखार के मामलों की संख्या, बनाई गई और परीक्षण की गई स्लाइड, पोसिटिव स्लाइड दर, मौसमीयता
प्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित संकेतक	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (राज्य सरकार और एनएचएसआरसी के साथ साझेदारी में) • प्रशिक्षण • सलाह और सहायक पर्यवेक्षण

	• तकनीकी समर्थन - • जवाबदेही • क्यूआई पहल
शिक्षा	
प्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित संकेतक	निम्नलिखित परिणामों की दिशा में जिलों में XXXX शिक्षा लीडरों की नेतृत्व क्षमता को मजबूत किया I. प्रशिक्षित और समर्थित कोचों की संख्या II. स्कूलों में कार्यात्मक पुस्तकालय III. लर्निंग एड के रूप में भवन वाले स्कूल IV. सक्रिय बाल संसद वाले स्कूल V. सरकारी स्कूलों में नामांकित नए छात्र VI. स्कूल छोड़ कर गए छात्र वापस नामांकित VII. 3 से अधिक अभियानों में शामिल स्वयंसेवक VIII. एएलपी कार्यक्रम के लिए नामांकित छात्र (एएलपी - उन्नत शिक्षण कार्यक्रम) IX. xxx प्रदर्शन स्कूलों में बेहतर सीखने के परिणाम
प्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित संकेतक	I. शिक्षा विभाग के प्रबंधकों के पास 21 वीं सदी का नेतृत्व कौशल है II. स्कूल क्लस्टर वास्तविक 'परिवर्तन की इकाइयों' के रूप में III. शिक्षक शिक्षा 21वीं सदी के कौशल पर केंद्रित है IV. भविष्य के लिए तैयार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन